खण्ड-404, अंक-1
सोमवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(9 मार्च, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल; उत्तर प्रदेश	
विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	ग–ड
उपस्थित सदस्य	ण–त
नियम ३११ की सूचना लिए जाने की मांग	१
प्रश्नोत्तर	२–१०७
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छेदी लाल, श्री श्याम लाल वर्मा, श्री भगवान दास यादवेन्दू, श्री भगेलू सिंह, श्री सूरज भान पंडित तथा डाक्टर खमानी सिंह के निधन पर शोकोद्गार	१०७–११३
निमय ३०१ के अन्तर्गत सूचनाएं	११४
जनपद टिहरी गढ़वाल में जल विद्युत गृह तिलवाड़ा को पुनः कार्यान्वित कराने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११५
जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड उन्नाव, द्वारा सिंचाई में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११५
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में कई गांवों में जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निमय ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११५–११६
जनपद ललितपुर में शिव सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११६
भूकम्प से हुई क्षति में पुनरीक्षण कार्य आरम्भ न होने एवं राहत से वंचित लोगों के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११६–११७
गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ितों को सहायता वितरण में हुई कथित धांधली के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११७
जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगर में स्थित परिवहन निगम बस स्टेशन परिसर में हो रहे अतिक्रमण के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ..	११७–११८
जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा के पथरदेवा कस्बे में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के संबंध में नियम ३११ के अन्तर्गत सूचना	११८–१४४
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	१४५
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, १९९२	१४५
(सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२	१४५
(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९२	१४५
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	१४५
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	१४६
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण	१४६
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९९२ .. .. .. (पुरः स्थापित किया गया)	१४७
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९९२ (पुरः स्थापित किया गया)	१४७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	१४७–१४८
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२..... (पारित)	१४८–१५०
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२..... (पारित)	१५०–१५२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१५२
मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय भाटपाररानी जनपद देवरिया के छात्रों के विधान भवन के समक्ष धरना व आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत मा० मुख्य मंत्री का वक्तव्य	१५२–१५३
आगरा मंडी समिति में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत मा० कृषि मंत्री का वक्तव्य	१५३–१५५
राजकीय अस्पतालों में मेडिकल लैब केमिस्ट संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन ..	१५६
जनपद उन्नाव में ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित विकास कार्यों में शिथिलता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	१५६
अजुध्या डिस्टिलरी बिलारी, जनपद मुरादाबाद में गैस-रिसाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	१५६
नत्थियां	१५७–१६१

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

१–अंगद सिंह यादव, श्री	आजमगढ़	२८–इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर
२–अकबर, श्री	मुरादाबाद	२९–इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा
३–अखिलेश, श्री	महराजगंज	३०–इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ
४–अछैबर लाल, श्री	बहराइच	३१–इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
५–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	३२–उदय प्रताप, श्री	गाजीपुर
		३३–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
६–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	३४–उमाकान्त, श्री	जौनपुर
७–अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	३५–उम्मेद सिंह, श्री	आगरा
८–अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद	३६–उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद
९–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	३७–ऊदल, श्री	वाराणसी
१०–अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़	३८–ओंकार सिंह, श्री	एटा
११–अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर	३९–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
१२–अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी	४०–ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
१३–अमर सिंह, श्री	बिजनौर	४१–ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
१४–अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	मऊ	४२–ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
१५–अम्बिका सिंह, श्री	देवरिया	४३–ओम प्रकाश, श्री	बिजनौर
१६–अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	४४–ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	फिरोजाबाद
१७–अरविन्द प्रताप सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	४५–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
१८–अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	४६–कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
१९–अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर	४७–कटार सिंह, श्री	मेरठ
२०–अरजुन सिंह, श्री	सुल्तानपुर	४८–कप्तान सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
२१–अवध पाल सिंह, श्री	एटा	४९–कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
२२–अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	५०–कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा
२३–अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	५१–कल्पनाथ, श्री	आजमगढ़
२४–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	५२–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
२५–अशोक दुबे, श्री	इटावा	५३– कासिम हसन सैय्यद, श्री	फतेहपुर
२६–इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	५४–किशन गोपाल, श्री	आगरा
२७–इजहार आलम खां, श्री	फर्रुखाबाद	५५–किशन लाल, श्री	पीलीभीत

५६–किशन लाल दिलेर, श्री अलीगढ़
५७–किशोरी लाल यादव, श्री जौनपुर
५८–किशोरी लाल, श्री सीतापुर
५९–किशोरी श्याम, श्री मथुरा
६०–कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
६१–कृष्ण किंकर सिंह, श्री बस्ती
६२–कृष्ण कुमार, श्री फतेहपुर
६३–कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री इटावा
६४–कृष्ण कुमार नवमान, श्री अलीगढ़
६५–कृष्ण चन्द्र, श्री पिथौरागढ़
६६–कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री गाजियाबाद
६७–कृष्ण वीर सिंह, श्री बदायूं
६८–कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री बदायूं
६९–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
७०–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
७१–केशव सिंह, श्री जालौन
७२–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री वाराणसी
७३–कोविद कुमार सिंह, श्री शाहजहांपुर
७४–खालिद गौरी, श्री हरदोई
७५–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
७६–गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
७७–गन्धर्व सिंह, श्री मैनपुरी
७८–गया चरन दिनकर, श्री बांदा
७९–गामाराम शास्त्री, श्री गाजीपुर
८०–गिरधारी, श्री गाजीपुर
८१–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री रायबरेली
८२–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
८३–गोपी नाथ दीक्षित, श्री उन्नाव
८४–गोमती प्रसाद, श्री लखनऊ
८५–घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
८६–घुरहू, श्री बलिया
८७–चन्द्र भान मौर्य, श्री आगरा
८८–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
८९–चन्द्र शेखर सिंह, श्री बस्ती
९०–चरन सिंह, श्री मेरठ
९१–छक्की लाल, श्री इटावा
९२–छत्रपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
९३–छब्बू, श्री वाराणसी
९४–छेदी लाल, श्री गोण्डा
९५–छोटे लाल मिश्र, श्री हमीरपुर
९६–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
९७–जगदम्बा सिंह, श्री बस्ती
९८–जगदीश मुनि आचार्य, श्री हरिद्वार
९९–जगदीश सिंह, श्री सहारनपुर
१००–जगराम सिंह यादव, श्री कानपुर नगर
१०१–जटा शंकर सिंह, श्री बहराइच
१०२–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
१०३–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थ नगर
१०४–जागेश्वर प्रसाद उर्फ भाई जी, श्री फतेहपुर
१०५–जाहिद हुसैन, श्री मुरादाबाद
१०६–जी० एस० विनोद, डा० मुजफ्फरनगर
१०७–जे० पी० सिंह मेजर, श्री मुरादाबाद
१०८–जैदान सिंह यादव, श्री फिरोजाबाद
१०९–ज्ञान चन्द्र, श्री उत्तरकाशी
११०–ज्ञानवती सिंह, श्रीमती अलीगढ़
१११–ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
११२–ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
११३–ज्वाला प्रसाद, श्री रामपुर

११४–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
११५–झाऊ लाल यादव, श्री फिरोजाबाद
११६–ठाकुर पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
११७–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल,श्री गोरखपुर
११८–वीरेन्द्र [illegible] श्री मोनभद
११९–तुलसी दास, श्री गोण्डा
१२०–तुलाराम सैनी, श्री मुरादाबाद
१२१–तेज नारायन त्रिवेदी, श्री लखीमपुर खीरी
१२२–तेजपाल, श्री हरिद्वार
१२३–तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
१२४–त्रिवेनी, श्री फैजाबाद
१२५–दयाराम वर्मा, श्री हरदोई
१२६–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
१२७–दल सिंगार, श्री आजमगढ़
१२८–दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
१२९–दिनेश जौहरी, डा० बरेली
१३०–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
१३१–दीना नाथ सिंह यादव, श्री वाराणसी
१३२–दीप लाल भारती, श्री देवरिया
१३३–दुर्गा प्रसाद मिश्रा, श्री देवरिया
१३४–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
१३५–दुलारे लाल, श्री मिर्जापुर
१३६–देवेन्द्र पाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
१३७–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह,श्री कानपुर देहात
१३८–दौलत राम, श्री सीतापुर
१३९–धनराज यादव, श्री सिदुधार्थ नगर
१४०–धनीराम वर्मा, श्री इटावा
१४१–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री बुलन्दशहर
१४२–नन्द किशोर मिश्रा, श्री देवरिया
१४३–नन्द राम, श्री बरेली
१४४–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
१४५–नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
१४६–नरेन्द्र सिंह, श्री मैनपुरी
१४७–नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
१४८–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
१४९–नरेश अग्रवाल, श्री हरदोई
१५०–नवल किशोर, श्री बुलन्दशहर
१५१–नवाब सिंह, श्री मथुरा
१५२–नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री बांदा
१५३–नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
१५४–निर्वेन्द्र कुमार, श्री खीरी
१५५–नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
१५६–नीलम सिंह, श्रीमती बहराइच
१५७–नेतराम, श्री शाहजहांपुर
१५८–नेतराम सिंह, श्री एटा
१५९–पतिराज, श्री आजमगढ़
१६०–पद्मा सेठ, श्रीमती सीतापुर
१६१–परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री रामपुर
१६२–पवन कुमार पाण्डेय, श्री फैजाबाद
१६३–पीतम सिंह, श्री एटा
१६४–पूरन चन्द्र, श्री अल्मोड़ा
१६५–पूरन चन्द्र शर्मा, श्री अल्मोड़ा
१६६–पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री मथुरा
१६७–पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
१६८–पूर्णमासी पंकज, श्री वाराणसी
१६९–पृथ्वी सिंह, श्री हरिद्वार
१७०–प्यारे लाल संखवार, श्री कानपुर देहात
१७१–प्रताप सिंह, श्री मुरादाबाद
१७२-प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद

१७३–प्रमोद कुमार, श्री — पीलीभीत
१७४–प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
१७५–प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
१७६–प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
१७७–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
१७८–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
१७९–फतेह बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
१८०–फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
१८१–फागू, श्री — मऊ
१८२–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
१८३–बंशीधर राज, श्री — लखीमपुर खीरी
१८४–बच्ची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
१८५–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
१८६–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
१८७–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
१८८–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
१८९–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
१९०–बसन्त लाल गुप्ता, श्री — लखनऊ
१९१–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
१९२–बाबू खां, श्री — हरदोई
१९३–बाबू राम एम० काम०, श्री — जालौन
१९४–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
१९५–बाबू लाल गोयल, श्री — आगरा
१९६–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
१९७–बाला प्रसाद, श्री — खीरी
१९८–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
१९९–बिंदु लाल, श्री — गोण्डा
२००–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
२०१–बृजभान यादव, डा० — इलाहाबाद
२०२–बृजराज त्रिपाठी, श्री — बहराइच
२०३–बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
२०४–बृजेश कुमार शर्मा, श्री — प्रतापगढ़
२०५–बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
२०६–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
२०७–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
२०८–भगवन्त प्रसाद, श्री — इलहाबाद
२०९–भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
२१०–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
२११–भगवती सिंह बिशारद, श्री — उन्नाव
२१२–भरत सिंह, श्री — बलिया
२१३–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
२१४–भागीरथी, श्री — इलाहाबाद
२१५–भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री — जालौन
२१६–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
२१७–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
२१८–भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
२१९–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
२२०–मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद, श्री — फैजाबाद
२२१–मदन भइया, श्री — मेरठ
२२२–मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
२२३–मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
२२४–मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
२२५–मस्तराम, श्री — उन्नाव
२२६–महक सिंह, श्री — मेरठ
२२७–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
२२८–महावीर सिंह, श्री — बिजनौर
२२९–महावीर सिंह, श्री — हरदोई
२३०–महेन्द्र जैन, श्री — मेरठ

२३१-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
२३२–महेन्द्र पाल सिंह, श्री बिजनौर
२३३-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री इलाहाबाद
२३४–महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री अलीगढ़
२३५–महेन्द्र सिंह भाटी, श्री गाजियाबाद
२३६–मानवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
२३७–माधव, श्री एटा
२३८–मामचन्द्र, श्री सहारनपुर
२३९–माया शंकर पाठक, श्री वाराणसी
२४०–मारकण्डेय, श्री बलिया
२४१–मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
२४२–मिही लाल, श्री हमीरपुर
२४३–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
२४४–मुलायम सिंह यादव, श्री इटावा
२४५–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
२४६–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थ नगर
२४७–मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री मुरादाबाद
२४८–मोहम्मद वसीम हाजी, श्री रायबरेली
२४९–मोहम्मद हसन एडवोकेट, श्री सहारनपुर
२५०–यदुनाथ प्रसाद, श्री गोरखपुर
२५१–यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
२५२–योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
२५३–रघुराज, श्री जौनपुर
२५४–रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
२५५–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
२५६–रमा कान्त यादव, श्री आजमगढ़
२५७–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री देवरिया
२५८–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
२५९–रमेश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
२६०–रमेश पोखरियाल, श्री गढ़वाल
२६१–रमेश बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़
२६२–रविकान्त गर्ग, श्री मथुरा
२६३–रवीन्द्र प्रताप, श्री देवरिया
२६४–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
२६५–राकेश सोनकर, श्री कानपुर देहात
२६६–राज नारायण बिन्द, श्री जौनपुर
२६७–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
२६८–राजीव कुमार, श्री नैनीताल
२६९–राजेन्द्र, श्री बिजनौर
२७०–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
२७१–राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिर्जापुर
२७२–राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
२७३–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
२७४–राजेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
२७५–राजेश कुमार, श्री वाराणसी
२७६–राधे श्याम वर्मा, श्री बाराबंकी
२७७–राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
२७८–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
२७९–राम किशन ददाजू, श्री फिरोजाबाद
२८०–राम कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
२८१–राम कुमार शुक्ल, श्री लखनऊ
२८२–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
२८३–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
२८४–राम गोपाल वर्मा, श्री लखीमपुर खीरी
२८५–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
२८६–राम चन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
२८७–राम चरित्तर, श्री बस्ती
२८८–राम देव आचार्य, श्री बाराबंकी
२८९–राम पारस रजक उर्फ नाटे, श्री जौनपुर
२९०–राम पाल वर्मा, श्री हरदोई

२९१–राम पाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
२९२–राम प्यारे आजाद, श्री महराजगंज
२९३–राम प्यारे शुक्ल, श्री सुल्तानपुर
२९४–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
२९५–राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
२९६–राम प्रसाद सिंह, श्री बांदा
२९७–राम मूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
२९८–राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
२९९–राम लखन सिंह, श्री फैजाबाद
३००–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
३०१–राम शरण, श्री लखीमपुर खीरी
३०२–राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
३०३–राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
३०४–राम सिंह, श्री अलीगढ़
३०५–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
३०६–राम सिंह, श्री हमीरपुर
३०७–राम सेवक, श्री बदायूं
३०८–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
३०९–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
३१०–राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर देहात
३११–रामू प्रियदर्शी, श्री फैजाबाद
३१२–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
३१३–रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
३१४–रूदेन्द्र विक्रम सिंह, श्री बहराइच
३१५–लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री बस्ती
३१६–लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
३१७–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
३१८–लाखन सिंह, श्री नैनीताल
३१९–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
३२०–लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
३२१–लाल चन्द्र, श्री जौनपुर
३२२–लाल चन्द्र निषाद, श्री गोरखपुर
३२३–लाल चन्द्र पाण्डेय, श्री वाराणसी
३२४–लालजी वर्मा, श्री फैजाबाद
३२५–लीला राम शर्मा, श्री पिथौरागढ़
३२६–वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
३२७–विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
३२८–विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
३२९–विजय कुमार त्रिपाठी राजा, श्री लखनऊ
३३०–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
३३१–विजय पाल सिंह तोमर, श्री मेरठ
३३२–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
३३३–विजय सिंह राणा, श्री आगरा
३३४–विजेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
३३५–विजेन्द्र सिंह, श्री मथुरा
३३६–विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
३३७–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
३३८–विशुन दयाल, श्री बहराइच
३३९–विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
३४०–विश्वनाथ, श्री देवरिया
३४१–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
३४२–वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री सहारनपुर
३४३–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
३४४–श्याद अली, श्री प्रतापगढ़
३४५–शारदा चौहान, श्रीमती गाजीपुर
३४६–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
३४७–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर
३४८–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
३४९–शिव दर्शन, श्री रायबरेली
३५०–शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर देहात

३५१–शिव नारायण मिश्र, श्री — प्रतापगढ़
३५२–शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
३५३–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
३५४–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
३५५–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
३५६–शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
२५७–शिव लाल मित्तल, श्री — सिद्धार्थ नगर
३५८–शिवा कान्त ओझा, श्री — प्रतापगढ़
३५९–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
३६०–श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
३६१–श्याम नारायण, श्री — महराजगंज़
३६२–श्माय बिहारी सिंह, श्री — बरेली
३६३–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
३६४–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
३६५–श्री निवास, श्री — देवरिया
३६६–श्रीराम, श्री — जालौन
३६७–श्रीराम, श्री — मऊ
३६८–श्रीराम चौहान, श्री — बस्ती
३६९–श्रीराम सिंह, श्री — गोण्डा
३७०–सतीश भाटिया, श्री — लखनऊ
३७१–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
३७२–सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
३७३–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
३७४–सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
३७५–सन्त श्रीराम द्विवेदी, श्री — फैजाबाद
३७६–समीउल्ला, श्री — गोण्डा
३७७–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
३७८–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
३७९–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
३८०–सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
३८१–सुधाकर वर्मा, श्री — एटा
३८२–सुधीर, श्री — बलिया
३८३–सुधीर कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
३८४–सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
३८५–सुभाष पटेल, कुंवर — बरेली
३८६–सुरेन्द्र प्रताप, कुंवर — बरेली
३८७–सुरेन्द्र नाथ, श्री — बाराबंकी
३८८–सुरेन्द्र शुक्ला, श्री — देवरिया
३८९–सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
३९०–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री — मुजफ्फरनगर
३९१–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
३९२–सुरेश प्रताप गांधी, श्री — अलीगढ़
३९३–सुरेश भारती, श्री — प्रतापगढ़
३९४–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
३९५–सुलतान रजा मिर्जा, श्री — जौनपुर
३९६–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
३९७–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
३९८–सोमनाथ शुक्ला, डा० — कानपुर देहात
३९९–सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
४००–सोमारूराम, श्री — जौनपुर
४०१–स्वामी नाथ यादव, श्री — देवरिया
४०२–हनुमन्त सिंह, श्री — गोण्डा
४०३–हरक सिंह रावत, श्री — पौड़ी गढ़वाल
४०४–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
४०५–हरद्वार दूबे, श्री — आगरा
४०६–हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
४०७–हरपाल, श्री — बुलन्दशहर

४०८–हरबंश कपूर, श्री देहरादून
४०९–हरी चरन यादव, श्री सुल्तानपुर
४१०–हरि नारायण, श्री बलिया
४११–हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
४१२–हरिशंकर माहौर, श्री अलीगढ़
४१३–हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
४१४–हरिश चन्द्र, श्री बरेली
४१५–हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
४१६–हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव
४१७–होराम, श्री बुलन्दशहर
४१८– रिक्त
४१९– रिक्त
४२०– रिक्त
४२१– रिक्त
४२२– रिक्त
४२३– रिक्त
४२४– रिक्त
४२५– रिक्त
४२६– रिक्त (नाम-निर्देशित)

विधान सभा

राज्यपाल

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी

मंत्रि-परिषद्

१—श्री कल्याण सिंह — मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, सूचना, निर्वाचन, नागरिक उड्डयन, गृह, आवास तथा उद्योग ।

अतिरिक्त कार्य प्रभार

ग्राम्य विकास, वन, पर्यावरण, जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त — वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री ।

३—श्री लालजी टण्डन — ऊर्जा मंत्री ।

४—श्री गंगा भक्त सिंह — कृषि मंत्री ।

५—श्री ओम प्रकाश सिंह — सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री ।

६—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी — राजस्व मंत्री ।

७—श्री राजनाथ सिंह — माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री

८—श्रीमती प्रेमलता कटियार — नगर विकास मंत्री ।

९—श्री सत्य प्रकाश विकल — आबकारी, परिवहन, पूर्त धर्मस्व मंत्री ।

१०—डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर — उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री ।

११—डा० सरजीत सिंह डंग — लोक निर्माण मंत्री ।

१२—श्री हनुमन्त सिंह — गन्ना विकास मंत्री ।

१३—श्री रमापति शास्त्री — समाज कल्याण मंत्री ।

१४—श्री एजाज रिजवी — खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ मंत्री ।

१५—श्री सुधीर कुमार बालियान — सहकारिता मंत्री ।

१६—श्री केदार सिंह फोनिया — पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री ।

राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

१—श्री उमानाथ सिंह — कारागार एवं राजनैतिक पेंशन

२—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य — पंचायती राज

३—श्री चन्द्र शेखर सिंह — पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य

४—श्री शिव प्रताप शुक्ल — बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा

५—श्री पूरन चन्द्र शर्मा — पर्वतीय विकास

राज्य मंत्री

१—श्री सूर्य प्रताप शाही	गृह
२-श्री धनराज यादव	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
३—श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण
४—श्री मस्त राम	नागरिक आपूर्ति
५—श्री अमर नाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा
६—श्री मयंकर सिंह	लघु उद्योग
७—श्री रवि कान्त गर्ग	ऊर्जा
८—श्री हरद्वार दुबे	संस्थागत वित्त
९—श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास
१०—श्री बाल चन्द्र मिश्र	श्रम तथा सेवायोजन
१.१—श्री शिव बहादुर सक्सेना	गन्ना विकास
१२—श्री हरवंश कपूर	ग्राम्य विकास
१३—श्री बाबू राम एम० काम०	खाद्य
१४—श्री बृजेश कुमार शर्मा	परिवहन
१५—श्री सूरज सिंह शाक्य	सहकारिता
१६—श्रीं बालेश्वर त्यागी	राजस्व
१७—श्रीमती शारदा चौहान	नियोजन
१८—डा० अमर सिंह	१-चिकित्सा
	२-परिवार कल्याण
१९—श्री अनिल कुमार तिवारी	समाज कल्याण
२०—श्री महाबीर सिंह	१-कृषि शिक्षा
	२-कृषि अनुसंधान
२१—श्री हरख सिंह	पर्यटन
२२—श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई

उप मंत्री

१—श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध विकास
२—श्री पतिराज	पंचायती राज
३—श्री मन्नू लाल कुरील	१-कारागार
	२-होमगार्ड्स

नेता बिरोधी दल

कुंवर रेवती रमण सिंह	जनता दल (ब)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

श्री राम आसरे वर्मा

अधिष्ठाता मण्डल

१–श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा,

२–श्री माया शंकर पाठक, सदस्य, विधान सभा,

३–श्री अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा,

४–श्री सत्य देव पचौरी, सदस्य, विधान सभा,

५–श्रीमती उर्मिला राजपूत, सदस्य, विधान सभा,

६-श्री विश्राम दास, सदस्य, विधान सभा,

७–श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा,

८–श्री मोहम्मद हसन, सदस्य, विधान सभा,

९–श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा,

१०–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ।

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सोमवार, दिनांक ९ मार्च, १९९२

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अंगद सिंह यादव, श्री	आजमगढ़	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर
अछैबर लाल, श्री	बहराइच	जाहिद हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	ज्ञानेन्द्र, श्री	महराजगंज
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	तेज नरायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी
अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	दौलत राम, श्री	सीतापुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	धर्मपाल यादव, श्री	बुलन्दशहर
अरजुन सिंह, श्री	सुल्तानपुर	नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अंशोक कुमार, श्री	लखनऊ	नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	नवाब सिंह, श्री	मथुरा
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री	रामपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	फिरोजाबाद	प्रेम प्रकाश, श्री	सिद्धार्थ नगर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	फागू, श्री	मऊ
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	बंशीधर राज, श्री	लखीमपुर खीरी
खालिद गौरी, श्री	हरदोई	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
गन्धर्व सिंह, श्री	मैनपुरी	बाबू लाल गोयल, श्री	आगरा
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
घुरहू, श्री	बलिया	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	भरत सिंह, श्री	बलिया
छोटे लाल मिश्र, श्री	हमीरपुर	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	सहारनपुर	मदन भइया, श्री	मेरठ

मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय, श्री	बलिया
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश कुमार, श्री	वाराणसी
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शरण, श्री	लखीमपुर
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर देहात
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाल चन्द्र पाण्डेय, श्री	वाराणसी
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशुन दयाल, श्री	बहराइच
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
श्याद अली, श्री	प्रतापगढ़
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिव लाल मित्तल, श्री	सिद्धार्थ नगर
श्री निवास, श्री	देवरिया
सन्त श्री राम द्विवेदी, श्री	फैजाबाद
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सोमारूराम, श्री	जौनपुर
हरक सिंह रावत, श्री	पौढ़ी गढ़वाल
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

सोमवार, दिनांक ९ मार्च, १९९२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के ११.०० बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम ३११ की सूचना लिए जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, देवरिया में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं । पहले आप इसको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन सुन लें । मुझे आपकी लिखित सूचना प्राप्त हुई है, पहले प्रश्नकाल हो जाये फिर निधन के निर्देश हैं । उसके बाद सुन लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

इसको सबसे पहले ले लें ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें एक मंत्री की साफ साजिश नजर आ रही है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

यह सरकार के मंत्रियों द्वारा कराया जा रहा है । इससे महत्वपूर्ण सवाल और कोई नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है प्रश्नकाल के बाद सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला योजनाओं के परिव्यय में कटौती

**१—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजनाओं के परिव्यय में भारी कटौती की गयी है ? यह कटौती गत वर्ष की जिला योजना से कितने प्रतिशत कम है ? क्या सरकार बतायेगी कि कटौती से उपलब्ध धन को कहां और किस मद में प्रयोग किये जाने के प्रस्ताव हैं ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत वर्ष की जिला योजना का परिव्यय कितना था और प्रश्नगत जिला योजना जिसके बाबत सवाल किया गया है उसका परिव्यय कितना है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन पहले राज्य सेक्टर से जाती थी अब इसे जिला योजना के परिव्ययों में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे जिला योजना का परिव्यय और कम हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो योजना ७३० करोड़ रुपये की थी वह १९९१-९२ में ८०० करोड़ रुपये की है कोई कटौती नहीं की गयी है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मेरा प्रश्न था कि पहले वृद्धावस्था पेंशन का धन स्टेट सेक्टर से जाता था अब उसको जिला परियोजनाओं में जोड़ दिया गया है । पहले १० प्रतिशत जुड़ जाता था अब परम्परा समाप्त हो गयी है, तो क्या वृद्धावस्था पेंशन का धन जिला योजना में जोड़ दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

परिव्यय जिस मद में था वही है । बाकी के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह सम्भवतः आपके संज्ञान में है कि योजनाओं का जो व्यय है इसको कम कर दिया गया है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिला योजना जितने परिव्यय पर स्वीकृत होकर आ गयी वही परिव्यय इन योजनाओं में स्वीकृत किया गया है या कम किया गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसा मैंने जानकारी दी कि ८०० करोड़ का परिव्यय जिला योजना का स्वीकृत किया गया। ५५० करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अभी समय है इसमें प्रयास कर रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

जो वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि जिला योजना में सम्मिलित कर दी गयी है इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार या राज्य सेक्टर से कराने की घोषणा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, वृद्धावस्था पेंशन के लिए सूचना की आवश्यकता होगी। आगे जो विशारद जी जानना चाहते हैं उसका आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि जिला योजना में कोई कटौती नहीं की गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि महराजगंज जनपद के लिये १९९०-९१ के लिये कितने रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी और १९९१-९२ में कितनी धनराशि की जिला योजना स्वीकृत होकर शासन के पास आयी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं उत्तर दे चुका हूं लेकिन माननीय सदस्य की जिज्ञासा को देखते हुये बताना चाहता हूं कि ८०० करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया था जिसमें से साढ़े ५ सौ करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर सके हैं। जो स्वीकृतियां बाकी हैं उनके लिये हम प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आदरणीय सदन को उस बात की जानकारी है कि हमारे पास धन कहां से आता है, केन्द्रीय सरकार का जो अंश होता है, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता, जो योजना का परिव्यय निर्धारित हुआ था उसमें बहुत सा पैसा हमको नहीं मिला तो स्वाभाविक है कि स्वीकृतियां जारी नहीं कर पाये। मैंने किसी बात को छिपाया नहीं, जो जानकारी थी उसको मैंने आपके सामने रखा है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने इसको बड़ी खुबसूरती से टाल दिया है। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या वृद्धावस्था पेंशन इसमें जोड़ी गयी है, अगर जोड़ी गयी है तो उसकी राशि बता दें। पिछले वर्ष के मुकाबले निश्चित रूप से इसमें कटौती की गयी है। माननीय मंत्री जी के पास सूचना नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें और इसकी सूचना के साथ मंत्री जी आयें। एक प्रश्न मैं इसी में और जोड़ना चाहता हूं कि लगभग प्रत्येक वर्ष दामों में १०–१५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है। इसी हिसाब से योजना आयोग द्वारा राशि बढ़ायी जाती थी। क्या इस बार भी १०–१५ प्रतिशत के हिसाब से राशि बढ़ायी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? अगर जानकारी हो तो उपलब्ध करा दें नहीं तो मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्न को आप स्थगित करें या न करें, यह आपके विवेक पर है । मैं निवेदन चाहूंगा कि जो प्रश्न किया जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन की योजना जिला सेक्टर में बनेगी या नहीं । यह मान्यवर, १९९२-९३ के लिए है । तीन दिन बाद बजट पेश करना है । क्या यह उचित होगा कि जो जानकारी हमारे पास है वह इस समय दे दें । अगर इस समय दे दें तो गोपनीयता भंग करने का आरोप हम पर लग सकता है । मैं क्षमा चाहता हूं । ३ दिन बाद पूरी जानकारी आपको मिल जायेगी ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मैदानी क्षेत्र की जानकारी इस प्रश्न के उत्तर में दी । ऐसा लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों को माननीय मंत्री जी बिल्कुल खा गये । सवाल पूरे प्रान्त के सिलसिले में किया गया है और जवाब आया है कि मैदानी क्षेत्रों में कोई कटौती नहीं की गयी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जिला योजना में कोई कटौती की गयी है, यदि की गयी है तो वह कितनी धनराशि की कटौती की गयी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह सोच रहा था कि किसी माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में क्यों नहीं पूछा । मान्यवर, जो योजना बनती है या जो बजट आता है उसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परिव्यय अलग-अलग रखा जाता है । पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुल परिव्यय ३७५ करोड़ रुपये का था जिसमें से २७० करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि यह प्रदेश के विकास से संबंधित प्रश्न था, इसमें माननीय मंत्री जी को साफ जवाब देना चाहिए था, ५ करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं और ३० करोड़ की स्वीकृतियां जारी होना बाकी है । माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं कि पैसा समय से खर्च करेंगे । मार्च का महीना खतम हो रहा है और ३० करोड़ की स्वीकृतियां जारी होना बाकी है और इनको यह कहने में शर्म नहीं आ रही है कि योजनाओं में कटौती नहीं की है । जो स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी हैं, ९१-९२ की, ३१ मार्च आ रहा है, वे स्वीकृतियां किस तारीख तक जारी कर देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी ने सवाल किया है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि किसी तरह का कोई संकोच नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, वह माननीय वर्मा जी को, हमको, आपको पता है । वर्ष १९९१-९२ के लिए ३,७१० करोड़ रुपये का प्रस्ताव आपने पेश कर दिया था । यह सही है कि उस समय बजट में हमने इसकी आलेचना की थी, कार्यवाही में लिखा होगा, चार्ज हमारे सामने पेश किया गया था, जो प्लान असिस्टेंस ७८७ करोड़ रुपया था, उसको जोड़ कर बताया गया था, मैने कहा था कि अगर रुपया नहीं मिला, क्योंकि प्रतिबन्ध है, उस समय कह दिया कि हो जायेगा । आप योजना स्वीकृत कराकर गये थे । केन्द्र सरकार के सामने ७८७ करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण या जो और रुपया था, यह हमको नहीं दिया, इसलिए ९२४ करोड़ रुपये की कमी पड़ गयी । जब कमी पड़ गयी तो आज की स्थिति में जो वित्तीय स्थिति है, उसके अनुसार स्वीकृति जारी करेंगे । अभी समय है, हमारा प्रयास है कि पूरी व्यवस्था कर सकें, लेकिन तत्काल तारीख बता सकना सम्भव नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । स्वीकृतियां पहले जारी हो जाती हैं, धन बाद में अवमुक्त हो जाता है । स्वीकृतियां ९ मार्च तक जारी नहीं की गयी हैं । मैं आरोप लगा रहा हूं कि जानबूझकर सदन को मंत्री जी ने गुमराह किया है । इनकी पहले से कटौती करने की मंशा थी । आप भी सरकार चला चुके हैं । स्वीकृतियां सितम्बर, अक्टूबर तक हर विभाग की जारी हो जाती हैं और धन अवमुक्त होता रहता है । आज तक स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं, इनकी कटौती करने की मंशा पहले से ही थी, इसलिए स्वीकृतियां जारी नहीं कीं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, जिस समय यह व्यवस्था हुई थी, मैं वहां पर बैठा था, इसलिए उसके बारे में क्या बता सकूंगा, लेकिन यह सही है कि हमारी सरकार नारों और थोथे बातों में विश्वास नहीं करती । हम कर्म संस्कृति में विश्वास करते हैं । जिन्होंने पिछला बजट भाषण सुना होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ५० करोड़ रुपया रोजगार सृजन के लिए उल्लेख था, वित्त मंत्री ने बताया, लेकिन उसके बारे में कोई योजना प्लान में नहीं मिली । इस तरह मात्र घोषणाओं में हमारी सरकार विश्वास नहीं करती, कार्य संस्कृति में विश्वास करती है । हम रुपये की व्यवस्था करके ही स्वीकृतियां जारी करते हैं । हमारा पहले से कोई कलुषित ऐम नहीं है । हमने स्थिति को माननीय सदन के सामने रखने का प्रयास किया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी उत्तर दिया कि परिव्यय में कटौती का प्रश्न नहीं उठता, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष १९९०-९१ में जिला योजनाओं में पूरे प्रदेश से कितनी स्वीकृतियां आयी थीं और ३१ मार्च, १९९१ तक शासन ने कितनी स्वीकृति भेजी और कितने परसेंट कटौती हुई । दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि बेनी प्रसाद वर्मा जी ने आरोप लगाया कि १० मार्च हो गया और अभी तक शासन ने ३०० करोड़ की स्वीकृतियां नहीं भेजी और संसदीय कार्य मंत्री ज़ी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि रुपया स्वीकृत हो जाय, मैं जानना चाहता हूं कि १९९०-९१ में शासन ने जितने रुपयों की स्वीकृति भेजी, उसमें से कितना रुपया विभागों ने खर्च कर लिया और कितना पी० एल० ए० में डाल कर अभी तक नहीं खर्च किया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मूल प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में जो संगत बातें हैं, उसकी तो मेरी जानकारी है.....

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

आपके अधिकारों की चुनौती हो रही है, मान्यवर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कभी-कभी बुद्धि का अपच होना भी गड़बड़ होता है । मैं यह कह रहा हूं कि जिलों से कितने रुपये की मांग की गयी और इसके अगेंस्ट कितना रुपया स्वीकृत किया गया था, इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न किया, लेकिन उसके उत्तर के लिए माननीय मंत्री जी की सूचना की आवश्यकता है, इसे मान्यवर स्थगित कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने तीन प्रश्न किये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने तो तुलना में पिछले वर्ष को कहा है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर माननीय अग्रवाल जी शान्ति से कोई बात सुनें, तो इनकी समझ में आ जायेगा । मान्यवर, इन्होंने तीन सवाल किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने दो सवाल किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उसको तीन भागों में विभाजित करता हूं । इन्होंने जानने की जिज्ञासा की कि वर्ष १९९०-९१ में कितने रुपये की योजना थी और कितने रुपये की स्वीकृति जारी की गयी । मान्यवर, योजना ७३० करोड़ रुपये की थी और ७३० करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी । यह मान्यवर, १९९०-९१ की बात रही । वर्ष १९९१-९२ की बात बता दूं, आपकी एक जिज्ञासा और थी कि कितने रुपयों की मांग की गयी और कितना रुपया स्वीकृत किया गया । तीसरा यह कि आप यह भी जानना चाहते हैं कितने रुपये की स्वीकृति हरदोई जिले के लिए की गयी और कितना पैसा खर्च हो गया और कितना पैसा पी० एल० ए० में चला गया ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

इसे मान्यवर, स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें ।

श्री नरेश अग्रवाल

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, इसे मान्यवर, स्थगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कथनी, करनी और नारों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वह अपनी लच्छेदार बातों से सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं, जो स्वीकृतियां हैं, वह जारी हो

गयी हैं या नहीं । स्वीकृतियां जारी न होने से जो सारे अधिकारी है, वह रुपया खा जायेंगे । आपने इसमें कटौती कर लिया, डांड़ी मार दिया, लेकिन जो डांड़ी नहीं मारा, क्या उसकी स्वीकृति हो गयी है या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अब अधिकारियों को पैसा खाने की सम्भावनायें नहीं रह गयी हैं । अगर खाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कोई अधिकारी बख्शा नहीं जायेगा, जो पैसा खाने का दुश्चक्र करेगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट आ रहा है, इस समय चर्चा हो जायेगी ।

(श्री सुरेश प्रताप गांधी के खड़े होने पर व्यवधान)

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप बैठें ।

शासन द्वारा हल्की व भारी गाड़ियों के रोड टैक्स में वृद्धि का निर्णय

** २–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, १९९२ में हल्की व भारी गाड़ियों के रोड टैक्स में वृद्धि का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्तावित वृद्धि को वापस/कम करने पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री–(श्री सत्य प्रकाश विकल)–

केवल हल्की मोटर गाड़ियों के लिए मार्ग कर की दरें उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९९२ द्वारा पुनरीक्षित की गयी है ।

प्रदेश में उत्तरोत्तर बढ़ती हल्की मोटर गाड़ियों की संख्या को देखते हुए वाहन स्वामियों को मार्ग कर जमा करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष १९८८ में हल्की गाड़ियों के लिए एक बारीय कर प्रणाली लागू की गयी थी परन्तु वार्षिक कर की दरें जो मोपेड/स्कूटर के लिए वर्ष १९७४ व अन्य प्रकार की गाड़ियों के लिए वर्ष १९७३ से प्रचलित थीं, पुनरीक्षित न किये जाने के कारण वार्षिक कर व एक बारीय कर की दरों में असंतुलन हो गया जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से अब मार्ग कर की दरें संशोधित की गयी हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोपेड, स्कूटर और अन्य छोटी गाड़ियों के रोड टैक्स की दरों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी है और इससे जनता पर कितना भार पड़ेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो दरें बढ़ाई गयी हैं, वह हैं-मोपेड की दर पहले ३५ रुपया वार्षिक थी और इसे बढ़ाकर ६० रुपया वार्षिक किया गया है । स्कूटर की दर अभी तक ५५ रुपये थी, उसको बढ़ाकर अब ९० रुपया किया गया है । मोपेड एक बारीय रोड टैक्स की दर अभी तक ३५० रुपया थी, जिसे ४५० रुपया किया गया है और स्कूटर की एक बारीय रोड टैक्स की दर अभी तक ७५० रुपया थी जिसे बढ़ाकर ८५० रुपया किया गया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वार्षिक कर की दरें जो मोपेड/स्कूटर के लिए वर्ष १९७४ व अन्य प्रकार की गाड़ियों के लिए वर्ष १९७८ से प्रचलित थीं, पुनरीक्षित न किए जाने के कारण वार्षिक कर व एक बारीय कर की दरों में असंतुलन हो गया जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से अब मार्ग कर की दरें संशोधित की गयी हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह असंतुलन कितने का बढ़ा है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

श्रीमन्, ५-२-१९८८ से एक बारीय कर प्रणाली लागू है । १९७४ और १९७८ से एक बारीय करों की दरों में कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया । आप जानते हैं कि १९७४ और १९७८ से कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं । उस समय जब इनका पुनरीक्षण किया गया था, तो इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया था, परन्तु इस बार जब पुनरीक्षण किया गया तो इसका ध्यान रखा गया है और असंतुलन कम हुआ है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या १ पुकारे जाने पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों में बचत हेतु जारी शासनादेश

*१–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री राम चन्द्र (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंग कि प्रदेश सरकार की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुये सरकारी खर्चे में बचत हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी वाहनों में व्यय होने वाले पेट्रोल व्यय में कटौती का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकारी वाहनों का प्रयोग करने संबंधी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु कोई नीति निर्धारित है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

सरकारी खर्च में विभिन्न मदों में बचत करने हेतु शासनादेश संख्या-२१६३/दस-सं० वि०-३(१)/९१, दिनांक १८-१२-१९९१ में निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त शासनादेश दिनांक १८-१२-१९९१ द्वारा वर्ष १९९१-९२ में वर्ष १९८९-९० की अपेक्षा पेट्रोल की खपत में २० प्रतिशत की कमी किए जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

जी हां । शासनादेश संख्या–४५११/टी/३०-४-४-जेवी/७७, दिनांक २४-१०-८८ के साथ पठित शासनादेश संख्या–३७८५/टी/३०-४-४-जेवी/७७, दिनांक १६-११-९० में सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी गाड़ी/स्टाप कार के प्रयोग के संबंध में निर्देश दिये गये हैं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, यह बड़ा महत्व का प्रश्न है और हम लोग इसमें रुचि रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। अगर बाद में समय बचा तो इसको ले लिया जायेगा, लेकिन इस समय नहीं।

जनपद लखनऊ में प्रदूषण का कुप्रभाव रोकने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*२–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ में माह जनवरी, १९९२ के आखिरी सप्ताह में गोमती में भारी तादाद में मछलियां मर गयी थीं? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जल प्रदूषण का यह कुप्रभाव महानगर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा है? जल प्रदूषण का कारण किस कारखाने से निकला दूषित पानी था? सरकार ने उस कारखाने पर क्या कार्यवाही की है?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य रूप से लखनऊ शहर में स्थित एक आसवनी व एक दुग्ध उत्पादन इकाई। आसवनी की वर्ष १९९२ हेतु जल सहमति अस्वीकृत की जा चुकी है तथा दुग्ध इकाई हेतु जल सहमति प्रकरण विचाराधीन है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखें। मैंने प्रश्न के पहले भाग में प्रश्न किया था कि राजधानी लखनऊ में माह जनवरी, १९९२ के आखिरी सप्ताह में गोमती में भारी तादाद में मछलियां मर गयीं थीं तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं, यानी कि वह इस घटना को अस्वीकार करते हैं और फिर मेरे प्रश्न के तीसरे भाग को देखें, जिसमें पूछा गया था कि जल प्रदूषण का कारण किस कारखाने से निकला दूषित पानी था, तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मुख्य रूप से लखनऊ शहर में स्थित एक आसवनी व एक दूग्ध उत्पादन इकाई। यानी मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं उनके दूषित जल के कारण मछलियां मरी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल सहमति प्रकरण पर कब तक विचार हो जायेगा, उसका निस्तारण कब तक हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के पहले भाग में आपने कहा था कि भारी तादाद में मछलियां मर गयी थीं तो आपका बल भारी तादाद पर था इसीलिए इसका उत्तर आया है "जी नहीं"। दूसरे अनुपूरक का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अगर कम तादाद में मरी हैं तो कम करके ही बता दें और आगे वाला हिस्सा है कि दुग्ध इकाई के विरुद्ध प्रकरण विचाराधीन है ? तो मान्यवर, सरकार को इस प्रदूषण की जानकारी है और राजधानी का मामला है, माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर दे दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हूं । माह जनवरी में जो इन्होंने भारी तादाद में कहा तो किसी भी तादाद में मछलियां मरने की शिकायत, जहां-जहां से परीक्षण होता है वहां से और अन्य सूत्रों से भी नहीं प्राप्त हुई थी । यह बात सच है कि गोमती नदी में प्रदूषण की मात्रा है और इसी वजह से इन दोनों इकाइयों को यह कहा गया कि उसके लिए शोधक यंत्र लगाया जाय । डिस्टलरी की चर्चा की गयी है तो उन्होंने प्राथमिक स्तर पर शुद्धिकरण यंत्र लगाया है और उसकी गति को तेज किये जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है, वह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है । जहां तक दुग्ध इकाई का प्रश्न है उसको भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र लिखा है कि अपनी व्यवस्था करें और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि मई १९९३ के मध्य तक वह अपनी व्यवस्था कर लेंगे । इस सन्दर्भ में आपको यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा १९८१ के पहले के उद्योगों को ३१ दिसम्बर, १९९३ तक शुद्धिकरण यंत्रों की व्यवस्था किये जाने के लिए इन लोगों को इजाजत दे दी है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, गोमती का पानी तो प्रदूषित है यह मंत्री जी ने मान लिया । वर्ष ८५ में ८८ में मरी हैं, ९२ में न मरी हों, पिछले वर्ष मरी हैं । यहां पर लखनऊ वालों को, जो लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं उनको प्रदूषित जल पीना पड़ता है और जब भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यवाही करता है तो ये लोग कोर्ट में चले जाते हैं, डिस्टलरी वाले चले गये, वहां से डिसीजन जब तक नहीं होता है तब तक प्रदूषित जल पीना पड़ेगा तो यह प्रदूषित जल न पिलायें, इसके लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि गऊघाट के अपस्ट्रीम से वाटर सप्लाई की आपूर्ति होती है और इसके डाउन स्ट्रीम की ओर ये दोनों फैक्ट्रियां विद्यमान है । इसलिए जो सप्लाई की जाती है वह उसके पूर्व के जल से की जाती है, इसलिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर; मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी ऐसी नदियां हैं जिनमें कारखाने का गन्दा पानी आकर उसमें गिरता है और उससे जल प्रदूषित होता है जिससे मछलियां ही नहीं जानवर भी मर जाते हैं । क्या सरकार यह कोई व्यवस्था बनायेगी जिससे जल को प्रदूषित होने से रोका जाय ? मान्यवर, मैनपुरी जनपद में एक ईसन नदी है और वहां के जो कारखाने हैं उसका पानी ईसन नदी में गिरता है जिससे जानवर और मछलियां दोनों मर जाती हैं तो क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप इसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गोमती नदी का जल प्रदूषित है, इसमें लेटेस्ट परीक्षण हुआ है तो उसमें गोमती नदी की परीक्षण रिपोर्ट क्या है ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आसवनी के लिए जल परीक्षण हुआ था और उसको अस्वीकृत कर दिया गया है तो आसवनी की रिपोर्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट में मामला कब से चल रहा है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, २१-१-९२, २८-१-९२ तथा ३०-१-९२ की इस संबंध में परीक्षण रिपोर्ट हमारे सामने है। गऊघाट अपस्ट्रीम पर घुलनशील किये जाने की मात्रा १० मिलीग्राम प्रति लीटर पायी गयी थी। जिधर आसवनियां हैं वहां पर घुलनशील किये जाने की मात्रा २८-१-९२ को ६ मिलीग्राम प्रति लीटर पायी गयी थी। जब यह अवस्था शून्य पर पहुंच जायेगी या निरन्तर बारह घन्टे तक वैसी रहेगी तो मछलियों के मरने की सम्भावना नहीं रहेगी। ३-१-९२ को बी० ओ० डी० १६०० मिलीग्राम प्रति लीटर था और सी० ओ० डी० ४१६० मिलीग्राम प्रति लीटर था। इसी तरह २७-१-९२ को बी० ओ० डी० १५०० और सी० ओ० डी० ३८४० था। ३१-१-९२ को यह बी० ओ० डी० ६४० व सी० ओ० डी० ४१६० था। १२-२-९२ को बी० ओ० डी० ४६० तथा सी० ओ० डी० ९६० था। १३-२-९२ को बी० ओ० डी० ५४० व सी० ओ० डी० १४५६ था। १४-२-९२ को बी० ओ० डी० १७० और सी० ओ० डी० ४२४ था। १५-२-९२ को यह क्रमशः २१० और ५८२ था एवं २२-२-९२ को २८६ और ९६० था।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मेरे इस प्रश्न का जबाब नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सुप्रीम कोर्ट में मामला रिट पिटीशन नम्बर ३७२७ पर सन् ८५ से प्रचलित था, तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मंत्री जी ने यह माना है कि यहां गोमती का पानी प्रदूषित है और यह भी माना है कि उसकी गुणवत्ता हानिकारक है, फिर भी उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है कि चूंकि वह अपस्ट्रीम में है इसलिए उससे कोई नुकसान नहीं है। किन्तु डाउन स्ट्रीम में जितना पानी प्रवाहित होता है उसके अन्तर्गत जो लखनऊ की नीचे की आबादी है उसको उस प्रदूषित पानी से बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

लखनऊ में बैराज की जो स्थिति है और जो सी० ओ० डी० है उसका संतुलन बना हुआ है। जब बैराज बन्द रहता है उस समय यह अधिक रहता है, जब बैराज खुल जाता है, नदी में उसका प्रवाह रहता है, तो जितना प्रवाह होता है उसकी आक्रमकता उतनी ही कम हो जाती है, उसका खतरा उतना नहीं रहता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनको बचाने में हजारों आदमी मर जायेंगे । जब बैराज बन्द रहता है तो इसका आशय यह कदापि नहीं है कि गोमती के पानी का प्रवाह बिल्कुल बन्द हो जाता है । वास्तविकता यह है कि उस पानी का प्रतिशत रुक जाता है और कुछ निरन्तर प्रवाहित होता रहता है तो इस प्रवाहित होते दूषित पानी के प्रदूषण से बचाने के लिए लखनऊ की डाउन स्ट्रीम आबादी के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह तो पहले से मिला जुला पानी पीते रहे हैं, इन्होंने ही यह व्यवस्था दे रखी है । हमने यह व्यवस्था की है कि जल संस्थान इसे देखे और जो पेयजल की आपूर्ति होती है, उसका पूर्ण शुद्धीकरण करे ।

मान्यवर, हमने डिस्टलरीज के ऊपर भी प्रेशर किया है और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया कि वे व्यवस्था दें कि सेकेन्ड फेज के लिए शुद्धीकरण संयंत्र लगाने की व्यवस्था करें । न्यायालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त होने के बाद, हम उसे कार्यान्वित करेंगे, जैसे ही आदेश प्राप्त होगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की समस्या है, फैक्ट्रियों से नदियों का जो पानी प्रदूषित होता है, उससे जानवरों को खतरा होता है, आदमियों को खतरा होता है । सब यह भी चाहते हैं कि औद्योगिक विकास भी प्रदेश में हो । जो उस प्रदूषण का उपचार है उसमें तमाम फैक्ट्रीज तो फर्स्ट फेज में व्यवस्था कर लेती हैं लेकिन अभी भी तमाम फैक्ट्रियों ने फर्स्ट फेज में व्यवस्था नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट से बहुत ने स्टे भी ले रखा है, सेकेन्ड फेज की बात ही दूर रही । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जल प्रदूषण के संबंध में कोई ऐसा कानून बनायेंगे कि जिससे उन्हें कोर्ट से स्टे न मिले और सेकेन्ड फेज भी अनिवार्य रूप से करना पड़े ताकि जल प्रदूषण की समस्या दूर हो ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं । इस सन्दर्भ में आपकी चिन्ता को हम लोगों ने प्रस्तुत किया था केन्द्र सरकार के समक्ष, यह प्रकरण वहां प्रस्तुत किया गया था, केन्द्र सरकार ने कह दिया कि उद्योगों को चलाया जाना चाहिए । श्रमिकों के हित में यह आवश्यक है । इसमें दो प्रकार की व्यवस्था की गयी है एक १९८१ के बाद के जो उद्योग हैं, उसमें ३१ दिसम्बर, १९९२ तक के लिए यह कहा कि फर्स्ट फेज का शुद्धिकरण संयंत्र लगना चाहिए, उसके लिए ३१ दिसम्बर, १९९२ की तिथि निर्धारित की है । जो १९८१ के पूर्व के उद्योग हैं और उनके यहां शुद्धिकरण की व्यवस्था नहीं है उन्हें ३१ दिसम्बर, १९९३ तक का समय दिया गया है । राज्य सरकार केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करायेगी, इसका विश्वास रखें ।

प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग के घाटे को रोकने हेतु केन्द्र सरकार के सुझावों के अनुरूप लिए गये निर्णय की जानकारी

*३–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने बिजली के अनुरूप परिवहन की दरें बढ़ाये जाने तथा जन उपयोगी सेवाओं के कारण परिवहन विभाग के घाटे को रोके जाने के संबंध में सुझाव राज्य सरकारों को दिये हैं ? यदि हां, तो यह सुझाव क्या हैं ? प्रदेश सरकार द्वारा इस सुझावों के अनुरूप लिए जाने वाला निर्णय क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हू कि विगत ६ माह में राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी दरों का कितनी बार और किस रेट से पुनरीक्षण किया है तथा क्या पुनः कोई पुनरीक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत विस्तृत सवाल पूछ रहे हैं, बाद वाले प्रश्न का उत्तर दिला देता हूं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, विगत ६ माह की बात पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में तो आता नहीं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

यही बता दें कि भविष्य में किराये के पुनरीक्षण की कोई योजना है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर से तो वे सहमत हैं । परन्तु उन्होंने दूसरा प्रश्न किया है कि क्या कोई इस तरह का प्रस्ताव है । परिवहन निगम में बसों के किराये के वृद्धि के लिए निगम ने प्रस्ताव किया है कि ३० प्रतिशत दरों में वृद्धि की जाय और यह शासन के विचाराधीन है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा, यह ३० प्रतिशत की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि होगी, गरीबों पर बोझ बढ़ेगा ?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

यह जो परिवहन निगम में घाटा आ रहा है इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बांदा जनपद में कितनी अवैध बसें प्राइवेट चल रही हैं जिससे कि राज्य सरकार को घाटा हो रहा है और उसकी वसूली पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चल रही है, मटोन में चल रही हैं, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रही है, सरकार को लाखों रुपया का घाटा हो रहा है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं कि वे एक मामला संज्ञान में लाये पर मान्यवर, प्रश्न को देखने की कृपा करें । प्रश्न क्या है और प्रश्न क्या किया जा रहा है । प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार ने बिजली के अनुरूप परिवहन की दरें बढ़ाये जाने.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो घाटा हो रहा है उसके संबंध में कहा है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, बांदा के बारे में, मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता । हां जो प्रश्न उन्होंने किया कि घाटा हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है और निगम इस ओर प्रयासरत है । हमने कई प्रकार की चीजें शुरू की हैं जिससे कोशिश कर रहे हैं निगम को होने वाले घाटे में कमी हो । उदाहरण के लिए पहले जो बस चालक बस को चलाता था तो उसे सिर्फ किलोमीटर का हिसाब देना पड़ता था लेकिन अब यह किया गया है कि चालक को किलोमीटर अर्जित करने के साथ-साथ यह लक्ष्य भी दिया जाता है कि वह इतनी आय अर्जित करेंगे । इससे दो बातें हुई । एक तो किलोमीटर अर्जित करने की चिन्ता उसे होती है वहीं दूसरी ओर उसे प्रतिदिन आय की पूर्ति का भी लक्ष्य देना पड़ता है । हमारी जो आफ रोड बसों की संख्या छः महीने पहले १२,१३ प्रतिशत थी वह अब ८,९ प्रतिशत ही रह गयी है और जो लोड फैक्टर पिछले आठ महीने पहले ६८ प्रतिशत था वह अब बढ़कर ७४ प्रतिशत हो गया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो ३० प्रतिशत बसों के किराये में वृद्धि हुई है उसका क्या तर्क है जिसके आधार पर यह वृद्धि की गयी है । दूसरा यह कि क्या उसे शासन स्वीकृत करने जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, शासन क्या निर्णय लेगा यह तो मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि यह गोपनीय है । परन्तु माननीय विशारद जी ने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दूंगा । उन्होंने जो प्रश्न किया है कि शासन इसमें क्या निर्णय लेगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला अभी विचाराधीन है, जब इसका निर्णय हो जायेगा तब हम अवगत करा देंगे । जहां तक वृद्धि के लिए जो निगम ने तर्क प्रस्तुत किया है उसके बारे में पूछा गया है.....

श्री प्रमोद तिवारी–

क्या आप इससे संतुष्ट हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

हां, हम तो हर हाल में संतुष्ट हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब आप संतुष्ट हैं तो क्या पूछा जाये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जो निगम का प्रस्ताव है, ३० प्रतिशत की वृद्धि का और माननीय विशारद जी ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या तर्क है तो मैं कहना चाहता हूं कि १ अगस्त, १९९० को बसों के किराये में वृद्धि हुई थी। डेढ़ वर्षों से बसों के किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले डेढ़ वर्षों में अगर आप देखें तो बसों के काम में आने वाली जो चीजें हैं उसमें भारी वृद्धि हुई है। पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट तथा डीजल आदि की कीमतों में ४३.०१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, इस प्रकार से वेतन भत्तों में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमारी बसों में स्प्रिंग लीप्स वगैरह लगते हैं, उसमें ६३.७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसी तरह से जो टायर, ट्यूब, पलैप्स वगैरह होते हैं, उसमें २८.३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार बसों के उपयोग में आने वाली चीजों, वेतन भत्तों तथा उनके रखरखाव आदि में वृद्धि हुई है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंत्रियों के अधिकारों को कम कर दिया है, श्रीमन्, यह गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि यह जवाब देने से कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह गोपनीय है।

श्री अध्यक्ष–

इसकी अनुमति नहीं है।

श्री लीला राम शर्मा–

प्राइवेट बस आपरेटर्स ने किराया वृद्धि के लिए कभी प्रस्ताव दिया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न के बाहर की बात है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी को उनकी ईमानदारी के लिए बधाई देता हूं, उनकी मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बचानी भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि परिवहन निगम की बसों का प्रयोग ज्यादातर मिडिल और लोवर मिडिल क्लास के लोग करते हैं और पूर्व में परिवहन निगम ने किराया वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन जनहित में शासन ने उसे अस्वीकार कर दिया था, तो आज फिर जनहित में माननीय मंत्री जी परिवहन निगम को यह निर्देश देंगे कि वह अपनी अक्षमता को क्षमता में बदले, घाटे को मुनाफे में लाने के लिए कदम उठाये, ताकि उनकी अक्षमता का दण्ड जनता को न मिले और क्या इसके लिए मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि किराया वृद्धि नहीं की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह तो दिया कि विचाराधीन है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि क्या मंत्री जी किराया वृद्धि के प्रस्ताव को मना कर सकने की स्थिति में हैं ?

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी जानना चाहते हैं कि क्या आप आश्वासन देने की स्थिति में हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, हमारे सम्माननीय मित्र तिवारी जी को सम्मानपूर्वक बताना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ वर्ष में रेल किरायों की दरें कई बार बढ़ायी गयी हैं, क्या उस समय जनहित का ध्यान रखा गया, अभी २५ फरवरी को जो बजट आया उसमें भी रेल किराये की दरे बढ़ायी गयीं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह रेल मंत्री हैं या परिवहन मंत्री । रेल गाड़ी की बात तो आपकी पार्टी के सांसद केन्द्र में पूछेंगे ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आज केन्द्र में जो मतदान हो रहा है, उसमें इनके सांसद सरकार के पक्ष में क्या मतदान करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने तो अपनी स्पष्ट नीति दे दी । मैं पूछ रहा हूं कि यह जो ३० प्रतिशत किराया बढ़ाने की बात है, क्या मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे या रद्द करेंगे, इस पर बता दें, इन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगा दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आरोप नहीं है । किराया बढ़ाने के संबंध में परिवहन निगम का जो प्रस्ताव शासन के पास आया है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने पूर्व में ही बता दिया है कि वह शासन के विचाराधीन है । मैंने सारे प्रश्नों को संक्षेप में करते हुए माननीय मंत्री जी से पूछा भी था कि वह इस संबंध में कोई स्पष्ट आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि नहीं । इस पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । चूंकि प्रस्ताव विचाराधीन है इसलिए ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, निगम की अक्षमता को छिपाने के लिए यह सरकार जनता के ऊपर बोझ डालने जा रही है । इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी जी व उनके दल के अन्य माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने तर्क में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीजल, मेन्टीनेन्स व अन्य चीजों के दाम बढ़ गये हैं । दूसरी चीज माननीय मंत्री जी ने यह भी कही है कि इधर रेल के किराये में वृद्धि हुई है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं । जब

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर यहां पर चर्चा हो रही थी तो उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गयी थी कि केन्द्र सरकार के कारण गेहूं के दाम बढ़ गये हैं, इसलिए हमें कीमत बढ़ानी पड़ रही है । उस समय सरकार ने यह भी कहा कि न चाहते हुए भी हम महंगाई के साथ बढ़ रहे हैं । माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि वर्ष १९९० से लेकर अब तक महंगाई काफी बढ़ी है और रुपये की कीमत कम हो गयी है और आदमी की क्रय शक्ति बहुत कम हो गयी है । ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किराया बढ़ाने के संबंध में निगम की ओर से जो प्रस्ताव शासन के पास आया है, उस पर विचार करते वक्त क्या सरकार जनता की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर उस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, श्री पाण्डेय जी ने जो प्रश्न किया है, उसका मैं बड़े सम्मानपूर्वक यह उत्तर देना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है, उस पर शासन हर दृष्टिकोण से विचार करेगा । मैंने कहा भी है कि प्रस्ताव विचाराधीन है । जो भी उस पर अन्तिम निर्णय होगा वह सबके सामने जायेगा ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन के पास ३० परसेन्ट किराया बढ़ाने का प्रस्ताव आया है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद ये तीन चार जिले ऐसे हैं, जहां पर ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, जिनका न तो कोई आर० टी० ओ० के यहां रजिस्ट्रेशन है और न उनके पास लाइसेन्स हैं । जिसकी वजह से निगम को काफी नुकसान हो रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी इन गाड़ियों पर कोई टैक्स लगाने की कार्यवाही करेंगे या फिर इन गाड़ियों को बन्द करने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है, वह बहुत साफ है । बिना लाइसेन्स की गाड़ियां अवैध रूप से चल रही हैं या तो उन गाड़ियों को बन्द कर दिया जाय या फिर उन पर टैक्स लगाया जाय, जिससे परिवहन निगम को आमदनी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

अवैध रूप से चलने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगा भी दिया जाता है तो उससे निगम की आमदनी पर क्या फर्क पड़ेगा । टैक्स लगाने से जो आमदनी होगी, वह सरकार की होगी । इसलिए इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

(प्रश्न संख्या ३ पुकारने पर)

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया । जनोपयोगी-सेवा इस निगम द्वारा....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका अगला प्रश्न ले लिया है प्रश्न संख्या ३ आप सुनें ।

सोमवार, दिनांक ९ मार्च, १९९२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*२–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[१२वें मंगलवार में तारांकित प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ में बहने वाली काली नदी के जल प्रदूषण के निवारण की कार्यवाही

*३–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ जनपदों में बहने वाली काली नदी में जल प्रदूषण के कारण काले एवं पीले रंग का पानी बह रहा है जो कि पशु-पक्षी एवं अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो प्रदूषण का कारण क्या है ? इसके निवारण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

निकटवर्ती प्रदूषणकारी उद्योगों का प्रदूषित उत्प्रवाह एवं नगरीय जल मल ।

शुद्धीकरण संयंत्रों को स्थापित कर उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्सारण करने हेतु बाध्य करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, कौन-कौन से कारखाने ऐसे पाये गये हैं जिनका जल मल इस काली नदी में प्रवाहित किया जाता है और सर्वेक्षण में ऐसे कितने उद्योगों की जानकारी आई है जिन्होंने एफ्लूवेंट ट्रीटएन्ट प्लान्ट नहीं लगाया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस नदी का नाम लिया है काली नदी उससे स्पष्ट है कि इसका पानी पहले से ही काला रहा होगा (व्यवधान) फिर भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ३१ प्रमुख उद्योगों को चिन्हित किया गया है.....

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

कौन-कौन से हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

लम्बी सूची है । आप कहें तो बता दूं ।

श्री अध्यक्ष–

संख्या बता दीजिए अगर आपके पास सूचना है तो ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

तो मैं कह रहा था कि ३१ उद्योग चिन्हित किये गये हैं उनमें से एक बुलन्दशहर, १० मेरठ, १७ गाजियाबाद, एक मुजफ्फरनगर, २ अलीगढ़ । इस प्रकार कुल मिलाकर ३१ हैं । इनमें से १२ उद्योगों द्वारा पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर लिए हैं ४ उद्योगों से आंशिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की व्यवस्था है, ४ उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण कराया जा रहा है एक उद्योग द्वारा प्राथमिक शुद्धिकरण स्थापित किया है तथा द्वितीय चरण की योजना बोर्ड में प्रेषित की है । इसके अतिरिक्त ५ उद्योगों द्वारा भी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की योजना बोर्ड में प्रेषित है और केवल ५ में यह व्यवस्था नहीं है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

जिन ५ उद्योगों ने एफ्लूएन्टट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिन्होंने कोई समयबद्ध कार्यक्रम बोर्ड को नहीं भेजा है उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार ८ उद्योग ऐसे हैं जिनके द्वारा बोर्ड के निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, यह काली नदी के प्रदूषण का मामला पिछले वर्ष भी सदन में उठा था और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर फैक्ट्रियों की वजह से पानी प्रदूषित हो गया है । मान्यवर, इस प्रदूषित जल की वजह से वहां कई लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों पशु-पक्षी मर गये हैं । लोगों को एलर्जी हो गयी है । इस प्रदूषित पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, किसी भी व्यक्ति के प्रदूषित जल पीने से मृत्यु की कोई सूचना शासन के पास प्राप्त नहीं है । यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसी सूचना है तो उसे भिजवा दें । उसंकी जांच करा ली जायेगी । यह सत्य है कि वहां पर फैक्ट्रियां हैं, उससे जल कुछ प्रदूषित हुआ है इसलिए वहां पर का जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है । आठ फैक्ट्रियों को छोड़कर २३ उद्योगों ने इस दिशा में कार्यवाही कर ली है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल को प्रदूषण रहित करने के लिए जो योजनायें हैं उसमें काली नदी भी सम्मिलित है ? अगर है तो योजना का परिव्यय क्या है, उसका स्वरूप क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

*४–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दिनांक १३-८-९१ को अता० प्र० सं० ४७ द्वारा उत्तरित]

*५–श्री रमाकान्त यादव–

[३सरे मंगलवार में अता० प्र० सं० १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर सैदपुर इकाई में डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया से अनधिकृत रूप से रुपये का आहरण

*६–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९८५-८६ में डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत सैदपुर इकाई, जनपद-गाजीपुर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से किये गये ५७९१० रुपये को अनधिकृत आहरण के संबंध में चार अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? यदि यह रुपया बैंक में किसी कर्मचारी ने जमा कर दिया है तो कब और किस आधार पर ? क्या यह धनराशि उस समय जमा की गयी, जबकि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन उप कृषि निदेशक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी ? यदि हां, तो निलम्बित कर्मचारियों को किस सीमा तक दोषी पाया गया है ? यदि नहीं दोषी पाया गया, तो इन्हें कब तक बहाल किया जायेगा ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा लिखित उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बता दिया है कि जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न संख्या ८–श्री यदुनाथ सिंह–

*७–श्री राम लखन–

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश के पत्र पर शासन द्वारा कार्यवाही करके निर्णय लिए जाने की जानकारी

*८–श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–१-पी०एफ०/५९४६/बिक्रीकर दिनांक २३-३-९१ वित्त बिक्रीकर अनुभाग–४ उत्तर प्रदेश शासन को माह अप्रैल, १९९१ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित विषय के संबंध में शासन द्वारा ४ माह के अन्दर निर्णय ले लिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में चार माह तक शासन द्वारा निर्णय न लेने के संबंध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या शासन उक्त प्रकरण में लापरवाही/शिथिलता बरतने के संबंध में दोषी अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

आयुक्त बिक्रीकर के पत्र दिनांक २३-३-९१ द्वारा अपूर्ण सूचनायें उपलब्ध करायी गयी थी । परीक्षण पर सूचनायें अपूर्ण पायी गयीं, आयुक्त से पूरक सूचना उनके पत्र दिनांक १-८-९१ द्वारा प्राप्त हुई, जिस पर विचार कर मामले में अन्तिम रूप से निर्णय शासन द्वारा ८-८-९१ को लेकर उससे श्री मेहरोत्रा को अवगत करा दिया गया ।

उक्त स्पष्ट की गयी स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं हुआ । अतः किसी अधिकारी को दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के खोले जाने एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी

*९–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन ने इस वर्ष हरदोई नगर में एक नया राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोला है ? क्या यह सत्य है कि उक्त इण्टर कालेज में किसी शिक्षक की नियुक्ति न होने कारण दाखिल हुई छात्राओं ने अपना दाखिला निरस्त करा लिया और विद्यालय बन्द है ? यदि हां, तो शासन शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैंने प्रश्न पूछा था इस वर्ष हरदोई नगर में कोई कन्या हाई स्कूल खोला गया है । यदि हां, तो उसमें कितने अध्यापक अब तक नियुक्त किये गये ? जितनी बालिकाओं ने वहां ऐडमिशन ले लिया था उन्होंने अपना दाखिला निरस्त करा लिया क्योंकि वहां पर अभी तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, हरदोई में राजकीय कन्या हाईस्कूल खोले जाने के लिए ३० मार्च, १९९१ को एक शासनादेश हुआ था । चूंकि १९९१ में किसी भी पद का सृजन नहीं हुआ इसलिए किसी अध्यापक की नियुक्ति वहां पर नहीं की गयी और उस विद्यालय में किसी भी छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए कि उस कन्या हाईस्कूल में ६७ बालिकाओं ने इस वर्ष ऐडमिशन लिया था और उनका दाखिला इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वहां पर कोई शिक्षक नहीं है, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने इस वर्ष अनुपूरक अनुदान में २० हजार रुपये का प्राविजन रखा है जो सितम्बर में लिया गया था । क्या माननीय मंत्री जी इन बातों को सही मानते हुए वहां पद सृजित करायेंगे जिससे स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हो सके और बालिकायें वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सकें ?

श्री राजनाथ सिंह–

जहां तक शासन की जानकारी है, वहां पर किसी भी छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया है । यह बात सच है कि २५ अप्रैल, १९९१ को २५ हजार रुपये का एक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य के नाम से स्वीकृत हुआ था उस समय न तो यह पद सृजित था और न ही नियुक्ति हुई थी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैंने प्रश्न किया । चूंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिलाओं की शिक्षा में सबसे पीछे है । इसकी गम्भीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी अपने विभाग को आदेश करने की कृपा करेंगे कि वहां पर पद सृजित करके नियुक्तियां की जायं जिससे बालिकाओं का भविष्य बन सके ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, कन्या हाईस्कूल अथवा इण्टर कालेज खोलने की बात ठीक है । शासन के कुछ मानक होते हैं । अगर उस मानक के अन्तर्गत आता है तो निश्चित रूप से शासन उस पर विचार करेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं श्रीमन्, हमने पूछा तो मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने स्वीकृत कर दिया और रुपया दे दिया और अब मानक की बात कह रहे हैं, तो इन्होंने सदन को गुमराह किया है । मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि स्कूल खोलने के लिए जब रुपया दे दिया था तो निर्धारित मानकों में आ रहा है कि नहीं ? यदि मानक में आ रहा है तो कब तक शिक्षकों की वहां आप नियुक्ति कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मानक के संबंध में अलग प्रश्न कर लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

स्कूल मानक के आधार पर खुला है तो अब कहना कि मानक में आयोग तो विचार किया जायेगा । यह कहना ठीक नहीं है । इसमें प्रश्न लगा दिया तो हो सकता है कि सरकार निरस्त करने जा रही हो, इसलिए मानक की बात कह रहे हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, इस विद्यालय को खोले जाने के संबंध में शासनादेश जारी हुआ था लेकिन मानक का ध्यान नहीं रखा था । व्यवस्था यह है कि ब्लाकों और टाउन एरिया में जहां कोई कन्या हाईस्कूल नहीं है वहां सरकार खोलेगी ।

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी के जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों के किसानों की फसलों को क्षति से बचाने का प्रस्ताव

*१०–श्री निर्वेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९० के पहले सोमवार को उत्तरित प्र० सं०–११ के सन्दर्भ में क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बिजली के तार लगाकर रोके जाने के बावजूद नेपाल सीमा पार करके आने वाले हाथी जनपद लखीमपुर के कई ग्राम जो नेपाल सीमा से सटे हैं, को क्षति पहुंचा जाते हैं ? यदि हां, तो उनको रोकने हेतु कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि नेपाल सीमा पार कर आने वाले हाथियों का दायित्व किस पर है ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

दुधवा राष्ट्रीय पार्क की नेपाल से लगी सीमा पर विद्युत तार बाड़ हाथियों के आवागमन पर रोक के लिए नहीं लगायी गयी है, बल्कि पार्क के अन्य जानवरों को पार्क क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के

लिए लगायी गयी थी । नेपाल से आने वाले हाथियों से पार्क नेपाल सीमा से लगे ग्रामों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है ।

हाथियों का आवागमन रोकने की आवश्यकता नहीं है और न ऐसा करना सम्भव ही हैं ।

नेपाल सीमा पार करके हाथी स्वेच्छा से आते जाते रहते हैं । उनके आवागमन का दायित्व किसी पर नहीं है ।

जनपद देवरिया के परिवहन डिपो में बसें बढ़ाने पर विचार

*११–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया डिपो में वर्ष १९८९ में कुल कितनी बसें थीं ? ३१ अक्टूबर, १९९१ में कितनी बसें हैं ? इनमें से कितनी बसें ५ लाख कि०मी० से ऊपर चल चुकी हैं ? कितनी बसें एक लाख कि०मी० से ऊपर चल चुकी हैं ? ० से १ लाख कि० मी० तक कितनी गाड़ी इस डिपो में रखने की व्यवस्था की गयी है तथा कितनी इस समय हैं ? कितनी नीलामी गाड़ी इस डिपो में चल रही हैं ? वह कितने कि०मी० चल चुकी हैं ? क्या इस डिपो में बसें बढ़ाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

देवरिया डिपो में वर्ष १९८९ में औसतन कुल १०५ बसें थीं । इस डिपो में ३१ अक्टूबर, १९९१ में कुल ९७ बसें थीं, इनमें से २२ बसें पांच लाख कि०मी० चल चुकी थीं । ७५ बसें १ लाख कि०मी० से ऊपर चल चुकी हैं । ० से १ लाख कि० मी० की बसें रखने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । दिसम्बर, ९१ में ० से १ लाख कि०मी० के अन्दर की दो बसें थीं । देवरिया डिपो में नीलामी के लिए अलग की गयी बसें संचालित नहीं हैं । इस प्रकार नीलामी गाड़ी के चलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । संसाधनों में सुधार आने पर ही बसें बढ़ाने पर विचार हो सकेगा ।

श्री स्वामीं नाथ यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में जो बसें चलाई जाती हैं, कितने कि०मी० चलने के बाद उन्हें नीलामी के लिए अलग कर दिया जाता है ?

दूसरा प्रश्न देवरिया जनपद में कुल कितनी बसें इस समय संचालित हो रही हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मा० सदस्य ने नीलामी के संबंध में जो पूछा है तो बताना चाहता हूं कि सवा पांच लाख कि०मी० चलने के बाद बस को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है लेकिन ऐसी बसें भी हैं जो सवा पांच लाख कि०मी० चलने के बाद भी ६-७ लाख कि०मी० बहुत अच्छे ढंग से और आसानी से चलती हैं, तो जब तक बसें चलने लायक होती हैं वह निष्प्रयोज्य घोषित नहीं की जाती हैं । मान्यवर, इस समय २२ बसें ऐसी हैं जो ५ लाख कि०मी० चल चुकी हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि कितने कि०मी० चलने के बाद बस को नीलामी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है ? दूसरा प्रश्न देवरिया डिपो में इस समय कुल कितनी बसें हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जब सवा पांच लाख कि०मी० बस चल लेती है तो उसके बाद उसको निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए क्षेत्र से सूचना मांगी जाती है। और वह सारी रिपोर्ट आने के बाद यदि निष्प्रयोज्य घोषित की जाए तो नीलामी के लिए रखी जाती है। २२ बसों के बारे में सूचित किया गया था उनमें कोई बस निष्प्रयोज्य घोषित नहीं की गयी।

श्री स्वामी नाथ यादव–

कितने कि०मी० चलने के बाद गाड़ियों को निष्प्रयोज्य किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बता दिया है कि बस निष्प्रयोज्य होने के बाद सूचना एकत्र की जाती है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

लक्ष्य नहीं बता रहे हैं। कितने कि०मी० चलने के बाद निष्प्रयोज्य घोषित होगी। कितने कि०मी० चलने के बाद यह गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल सकती हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि सवा पांच लाख कि०मी० का मानक होता है, लेकिन सवा पांच लाख कि०मी० चलने के बाद बस निष्प्रयोज्य घोषित हो जाए यह आवश्यक नहीं है। सवा पांच लाख कि०मी० से कम चलने पर भी कभी-कभी बस खराब होने पर नीलाम हो जाती है। और कभी-कभी ६-७ लाख कि०मी० चलने के बाद भी बस अच्छी चलती रहती हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक महीने पहले बस की चेकिंग प्रबन्ध निदेशक ने की, तो उस बस के चालक को सम्मानित किया गया जो सात लाख कि०मी० चल चुकी बस पर था और वह बस सबसे अच्छी चल रही थी। बस को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मानक यह है कि उसके लिए सूचना मंगाई जाती है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह देवरिया जनपद का सवाल है।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कुछ बसें अधिक चल जाती हैं कुछ नहीं ज्यादा चलती हैं, तो कितनी ऐसी बसें नई हैं जिनका सामान निकाल कर बेकार डाल दिया गया है जिनकी वजह से बस कम चल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

देवरिया में कितनी बसें चल रही हैं यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न संख्या–१२ पुकार लिया है।

जनपद पिथौरागढ़ की केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित योजनाओं की संख्या

*१२–श्री लीलाराम शर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ की कुल कितनी योजनायें, आज तक नोडल अधिकारी के यहां वन संरक्षण अधिनियम १९८० के अन्तर्गत कब से लम्बित पड़ी हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि कितनी योजनायें केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु कब से लम्बित पड़ी हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वन भूमि के हस्तान्तरण विषयक दिनांक १३-२-९२ तक पिथौरागढ़ जिले का कोई भी प्रस्ताव नोडल अधिकारी के यहां लम्बित नहीं है । १८ प्रस्ताव भारत सरकार को उक्त दिनांक तक भेजे गये हैं जिन पर अभी भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १८ प्रस्तावो में कितने ऐसे प्रस्ताव हैं जो दो हजार से ज्यादा वहां लम्बित हैं । दूसरा सवाल जानना चाहूंगा १८ प्रस्तावों में जो योजनायें हैं वह कितने रुपये की लम्बित हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, ७ ऐसे प्रस्ताव हैं जो २ वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं । भारत सरकार से बार-बार अनुरोध हम लोगों ने किया है कि इनका निस्तारण शीघ्र कर दिया जाय ।

श्री जागेश्वर–

मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये ।

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि १८ प्रस्तावों की लागत क्या है, इसका उत्तर यही आया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो प्रस्ताव जाते हैं, पेयजल सम्पूर्ति, सड़क निर्माण आदि के उनमें वन भूमि को प्राप्त किये जाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं । इन प्रस्तावों के लिए अनुमति मांगी गयी है । अभी तक अनुमति मिली नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्न दूसरा है, मंत्री जी उत्तर दूसरा दे रहे हैं । प्रश्न किया गया है कि कितना रुपया इससे संबंधित है लेकिन वह जवाब न देकर इधर-उधर के जवाब दे रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि १८ प्रस्ताव लम्बित हैं । कुछ प्रस्ताव मार्ग निर्माण के, कुछ प्रस्ताव पेयजल सम्पूर्ति के और कुछ प्रस्ताव पाठशालाओं के खोलने के बारे में हैं । जब तक अनुमति नहीं मिल जाती, रोज रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, फिर से योजना बनानी पड़ेगी ।

श्री जागेश्वर–

मान्यवर, बसें पुरानी हो गयी हैं, अगर गिर गयीं तो सरकार की जिम्मेदारी होगी । उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न के बारे में मुझसे कक्ष में मिल लें ।

(ता० प्र० सं०–१४ पुकारे जाने पर)[1]

(माननीय मंत्री जी द्वारा ता० प्र० सं०–१३ का उत्तर पढ़ा गया)

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से १३-६-७९ से १०-१-८६ के मध्य सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों को.....

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न संख्या–१३ का उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नाम पुकारा था । अभी आप प्रश्न संख्या–१४ का उत्तर दे दें । प्रश्न संख्या–१३ बाद में ले लूंगा ।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों से राजकीय विद्यालयों में आये अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेन्शन और ग्रेच्युटी में अशासकीय विद्यालयों की सेवा का लाभ देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश की जानकारी

*१४–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा कोई ऐसा शासनादेश निर्गत हुआ है जिसके अनुसार अशासकीय विद्यालयों से राजकीय विद्यालयों में आये हुए अध्यापकों को, जो १३-६-७९ से १०-१-८६ के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन तथा ग्रेच्युटी में अशासकीय विद्यालयों की सेवा का लाभ प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश को सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेंगे कि ऐसे ही अध्यापकों को उक्त तिथि के बाद सेवा निवृत्त होने पर इस लाभ से क्यों वंचित किया जा रहा है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

शासनादेश की प्रति पटल पर रख दी गयी है ।

---

[1] टप्पणी:–श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार तारांकित प्रश्न संख्या–१४, तारांकित प्रश्न संख्या–१३ के पहले लिया गया ।

वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण इस अवधि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालयों से राजकीय विद्यालयों में आये हुए अध्यापकों को जो १३-६-७९ से १०-१-८६ के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पेंशन, ग्रेच्युटी देने में अशासकीय विद्यालयों की सेवा का लाभ प्रदान किया गया है । लेकिन १९८६ के बाद जो लोग आये हैं उनको यह लाभ नहीं प्रदान किया जा रहा है । आपने बताया कि संसाधन नहीं है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संसाधन न होते हुये भी क्या उनके इस औचित्य को आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, औचित्य को स्वीकार करने या न करने का प्रश्न नहीं है । उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब वित्तीय संसाधन होंगे तब इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, वित्तीय संसाधन न होना अलग बात है और किसी औचित्य को स्वीकार करना अलग बात है । अगर माननीय मंत्री जी ने पहले औचित्य को स्वीकार किया है तो १९८६ के बाद उसी तरह से सेवा में आये हुए लोगों को लाभ देने के औचित्य को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि शिक्षक संगठनों और उत्तर प्रदेश शासन के बीच एक समझौता हुआ था उस समय कि १३-६-८९ और १०-१-८६ के बीच ऐसे शिक्षा जो अशासकीय विद्यालयों में सेवा किये और बाद में शासकीय विद्यालयों में सेवा कर रहे हैं, उनको पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय । उसी समझौते के तहत यह व्यवस्था की गयी ।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को उसके अधिकार वापसी की मांग

*१३–श्री नन्द राम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धधिकरण के अधिकारों की कटौती के बाद विद्यालयों में शिक्षा के स्तर व विद्यालय के प्रशासन में सुधार हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या प्रबन्धधिकरण को पुनः उसके अधिकार वापस लौटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

इस संबंध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है ।'

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो विद्यालयों के अधिकारें में कटौती की गयी है, इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसका अध्ययन करके कटौती वापस करने का कष्ट करें ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रबन्धाधिकरण के अधिकारों में जो कटौती हुई, उससे शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में कोई गिरावट आयी है । यह सच है कि इसका अध्ययन होना चाहिए । अध्ययन किये जाने के संबंध में विचार कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ । [1]

जनपद मुरादाबाद के ग्राम नांदपुर के समीप मिनी बस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

*१५–श्री अकबर–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम नांदपुर के समीप दिनांक २३-६-९१ को मिनी बस नं० यू० पी० २१–५९८५ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें २२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा अन्य ३० व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे ? क्या उसी समय जिलाधिकारी द्वारा मृतकों एवं घायलों के आश्रितों की सहायतार्थ धनराशि देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक किसी भी आश्रित परिवार को धनराशि उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ? उक्त बस का परमिट कितनी सवारियों का था तथा यदि क्षमता से अधिक सवारी थी तो इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

दिनांक २३-६-९१ को मिनी बस सं०–यू० पी० २१/५७९५ जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग पर मुरादाबाद से ९ कि०मी० दूर ग्राम हुसैनपुर छिरावली के निकट पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी । जिसमें चालक परिचालक सहित कुल २० व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा २४ व्यक्ति घायल हुए । गम्भीर रूप से घायल ३ व्यक्तियों में से एक श्री रंजीत पुत्र श्री बहादुर की मृत्यु बाद में हुई ।

घोषणा के संबंध में कोई अभिलेखीय पुष्टि उपलब्ध नहीं है । इस विषय में समाचार प्रकाशित हुआ था ।

परिवहन आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता वितरण करने हेतु रुपया ३,६०,००० की धनराशि जिलाधिकारी, मुरादाबाद को आवंटित कर दी गयी है । घायल व्यक्तियों की विकलांगता को देखते हुए उन्हें शासनादेश के अनुसार सहायता देय नहीं है ।

उक्त बस का परमिट २२ सवारियों के लिए वैध था ।

क्षमता से अधिक सवारी ढोने के लिए विधिक रूप से दुर्घटना वाहन स्वामी दोषी है । चालक जिसकी मृत्यु हो गयी, के तीव्र गति से बस चलाने के कारण यह दुघर्टता हुई । इस प्रकार उसके द्वारा चालन दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं किया गया । प्रवर्तन कार्य में ढिलाई के संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद को सचेत कर दिया गया है ।

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

जनपद आगरा की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी में पारित प्रस्ताव को बदले जाने की शिकायत

*१६–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गवर्निंग बाडी के पारित प्रस्ताव को किसी स्तर पर बदला जा सका है ? यदि हां, तो किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत ? क्या जनपद आगरा की जिला गवर्निंग बाडी की दिनांक २९ फरवरी, १९९१ की बैठक के सर्व सम्मति से पारित जल भराव के कारण बांध के निर्माण के निर्णय को बदल कर वहां तालाब या कुएं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के तहत और किस आदेश से ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां ।

यदि पूर्व में पारित किसी प्रस्ताव को बदलने की आवश्यकता समझी जाती है तो उसे अध्यक्ष की अनुमति से भविष्य में निर्धारित तिथि पर गवर्निंग बाडी की बैठक बुलाकर, उसमें पूर्व पारित प्रस्ताव के बदलने के औचित्य पर विचार-विमर्श के पश्चात् सदस्यों के बहुमत के आधार पर एवं अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रस्ताव बदला जा सकता है ।

(ख) जी नहीं ।

आगरा जनपद के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी में पारित किसी प्रस्ताव का बदला नहीं गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में लाल और नीली बत्तियों के अनधिकृत रूप से प्रयोग के संबंध में पूर्व खाद्य मंत्री, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के पत्र पर कार्यवाही

*१७–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विभिन्न जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों एवं प्राइवेट लोगों द्वारा अपने वाहनों (कार और जीप गाड़ियों) में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से लाल और नीली बत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है ? क्या लाल और नीली बत्तियों के इसी प्रकार के जनपद फैजाबाद में अवैध और अनधिकृत प्रयोग के बारे में पूर्व खाद्य मंत्री, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक २७-८-९१ का शिकायती पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति और इस प्रकार के लाल और नीली बत्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी हां ।

शासनादेश सं०–३२८४टी/३०-४-८७-२५पी/८७, दिनांक २३-७-८७ एवं शा० १३६७टी/३०-४-८९-२५पी/७७, दिनांक ४ अप्रैल, १९८९ द्वारा मोटर गाड़ियों में लाल/नीली बत्ती का अवैध प्रयोग रोकने की व्यवस्था की गयी है । जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । इस संबंध में अब तक नियमों का उल्लंघन करने के कारण ३ चालान किये जा चुके हैं ।

कर निर्धारण के संबंध में दोषी बिक्रीकर अधिकारियों को दण्डित किया जाना

*१८–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपायुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, अलीगढ़ द्वारा बिक्रीकर अधिनियम की धारा-१० (बी) के अन्तर्गत वर्ष १९८९-९० व ९०-९१ में अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध फर्मों/प्रतिष्ठानों पर निर्धारित टर्नओवर/कर में वृद्धि के आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों के नाम क्या हैं ? क्या शासन द्वारा ऐसे कर निर्धारण अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

वर्ष १९८९-९० हेतु ऐसे प्रकरणों की संख्या ५ तथा वर्ष १९९०-९१ हेतु ६ है । कुल संख्या ११ है। सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों के नाम निम्न प्रकार हैं :––

<u>१९८९-९०</u>

१–श्री रवीन्द्र कुमार, बि० क० अ०

२–श्री हरीकिशन, बि० क० अ० श्रेणी-२

३–श्री वी० पी० अवस्थी, बि० क० अ०

४–श्री अम्ब्रेश श्रीवास्तव, बि० क० अ०

<u>१९९०-९१</u>

१–श्री आर० एन० सिंह, बि० क० अ०

२–श्री एस० पी० द्विवेदी, बि० क० अ०

३–श्री जे० सी० श्रीवास्तव, बि० क० अ०

४–श्री आर० के० गोयल, बि० क० अ०, श्रेणी-२

५–श्री नारायन सिंह, बि० क० अ०

उक्त प्रकरण में ९ बिक्रीकर अधिकारी अथवा बिक्रीकर अधिकारी, श्रेणी-२ अन्तर्ग्रस्त थे । उक्त में से एक अधिकारी की मृत्यु हो गई तथा एक अधिकारी दिनांक ३१-३-८३ को सेवानिवृत्त हो गया है । २ अधिकारियों को निर्दोष पाया गया है । एक अधिकारी को दोषी पाये जाने पर चरित्र-पंजिका के माध्यम से चेतावनी दे दी गयी है । शेष ४ अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश सरकार से रोटी, डबलरोटी, बन्द आदि पर से सेल्स टैक्स हटाने की मांग

*१९–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार प्रदेश में रोटी, डबलरोटी, बन्द आदि पर से सेल्स टैक्स हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

शासन द्वारा अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर की दरों को युक्तिसंगत बनाने हेतु सुझाव देने के लिये गठित सरलीकरण समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है । अभी उस पर विचार किया जा रहा है ।

उ० प्र० रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् के मांग-पत्र के कतिपय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही

*२०–श्री पूरन प्रकाश–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा प्रमुख सचिव, परिवहन एवं निगम प्रबन्ध के बीच दिनांक २९ सितम्बर, १९९१ से ३ अक्टूबर, १९९१ के बीच रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् द्वारा २० अगस्त, १९९१ को प्रेषित मांग-पत्र के संबंध में हुए समझौता वार्ता में क्या निर्णय लिए गये थे एवं लिए गये उक्त निर्णयों का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त निर्णयों के अनुपालन में किए जा रहे विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? क्या सरकार उक्त निर्णयों को विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ० प्र० तथा प्रमुख सचिव, परिवहन एवं निगम प्रबन्ध के बीच दिनांक २९ सितमबर, १९९१ तथा १ से ३ अक्तूबर, १९९१ के बीच रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् द्वारा २० अगस्त, १९९१ को प्रेषित मांग-पत्र पर वार्ता हुई थी । मांग-पत्र के कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही हो चुकी है तथा शेष बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है ।

इस संबंध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रति संलग्न है । †

अतारांकित प्रश्न

माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण पर निर्णय

१–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में करने का निर्णय शासन ने ले लिया है ? यदि हां, तो शासनादेश निर्गत कर, जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश अभी तक जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? स्थानान्तरण संबंधी शासनादेश आवश्यक निर्देशों सहित, जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास कब तक भिजवा दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, केवल शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण का निर्णय लिया गया है ।

आवश्यक निर्देश तथा विनियम संशोधनों से सभी क्षेत्राधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में गोसाईखेड़ा मार्ग के निर्माण में दोषी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

२–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खण्ड में गोसाईखेड़ा मार्ग के निर्माण में हुई जांच में अपर जिलाधिकारी, परियोजना ने अपने अर्धशासकीय पत्रांक-४४०८/एस० टी० दिनांक ६-१०-९१ द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया है कि दोषी को दण्डित करने हेतु सहायक आयुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को लिखा जा चुका है ? यदि हां, तो इस भारी घपले में कुल कितने अधिकारी, अवर अभियन्ता, उच्च अधिकारी सम्मिलित पाये गये ? दोषी को क्या दण्ड दिये गये हैं ? क्या प्राग्दर्शन में दोषी पाये गये लोग अपने-अपने पदों पर बरकरार हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं ।

विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं । स्थानान्तरण आदेश पारित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मिर्जापुर बरोधा माण्डा तथा बरौधा दोहथा बस सेवा शुरू करने की मांग

३–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश रा० स० प० नि० मिर्जापुर डिपो की बस सेवायें लालगंज मार्ग पर १ अक्टूबर, १९९१ के बाद संचालित की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त मार्ग पर मिर्जापुर बरौधा माण्डा एवं बरौधा दोहथा तथा बड़ोखर बरौधा सेवा संचालन के लिए कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कब और आदेश के बाद सेवा संचालन कब से आरम्भ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में मिर्जापुर बरौधा माण्डा तथा बरौधा दोहथा सेवा संचालन का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मिर्जापुर से लालगंज होते हुए हनुमना, मनिगढ़ा तथा हलिया के लिए सेवायें पूर्व से संचालित हैं । १ अक्टूबर, १९९१ से भी इस मार्ग पर एक सेवा प्रारम्भ की गयी जो कि बरकछ तक संचालित है ।

समय-समय पर दिये गये आदेशों के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्गों पर संचालन की स्थिति निम्नवत् है :–

मिर्जापुर से बड़ोखर के लिए बस सेवा उपलब्ध है जो कि माण्डा रोड व माण्डा खास होकर आती जाती है । इसके अतिरिक्त मिर्जापुर से हनुमना व मनिगढ़ा के लिए तथा इलाहाबाद से माण्डा खास, बरौधा होकर हनुमना के लिए सेवायें संचालित हैं । इलाहाबाद से दोहथा के लिए भी बस सेवा उपलब्ध है । इस प्रकार प्रश्न में उल्लिखित स्थानों से होकर परिवहन निगम की सेवायें संचालित हैं ।

प्रश्नगत स्थानों के लिए उपरोक्तानुसार सेवायें उपलब्ध हैं ।

पूर्व में मिर्जापुर बरौधा माण्डा सेवा असंतोषजनक आय एवं उपरोक्त बस सेवायें उपलब्ध होने के कारण बन्द कर दी गयी थी । मिर्जापुर-बरौधा-दोहथा मार्ग का दोहथा से हाटा तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है ।

वर्तमान बस बेड़े तथा संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इन नवीन सेवाओं का संचालन सम्भव नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर डिपो की रेनूकूट लखनऊ बस सेवा को रात्रि सेवा के रूप में पूर्ववत् चलाने की मांग

४–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर डिपो की रेनूकूट लखनऊ (रात्रि सेवा) बस बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सेवा बन्द करने का कारण क्या है और किस प्राधिकारी ने उसे बन्द करने का आदेश किया है ? बस बन्द करने की आदेश संख्या एवं तिथि क्या है ? क्या मंत्री जी रेनूकूट लखनऊ बस सेवा को रात्रि सेवा के रूप में पूर्ववत् चलाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त सेवा की इनकम पूर्ववत्/वर्तमान में क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

दिनांक २३-२-९१ को इस रात्रि सेवा में डकैती व छुरेबाजी की घटना के बाद आदेश संख्या–३९वी/३२४/मिर्जापुर/९१, दिनांक २६-२-९१ द्वारा इस सेवा को बन्द कर दिया गया और दिन में चलाया गया । दिन में चलाने पर आमदनी तथा लोड फैक्टर बढ़ जाने के कारण तब से यह सेवा दिन में ही चलाई जा रही है ।

जी नहीं ।

वर्णित बस सेवा का पूर्ववत् तथा वर्तमान में आय निम्नवत् है :–

माह	आय प्रति कि०मी०	लोड फैक्टर
जनवरी ९१	२.७२	३६% पूर्ववत्
फरवरी ९१	३.३३	४५% (रात्रि सेवा के रूप में)
जनवरी ९२	४.३५	६०% वर्तमान
फरवरी ९२ (१२-२-९२ तक)	५.७३	७७% (दिन सेवा के रूप में)

उत्तर प्रदेश रा० स० प० नि० मिर्जापुर के कतिपय कर्मचारियों को अनधिकृत रूप से अवकाश स्वीकार करने के संबंध में कार्यशालाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

५–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश रा० स० प० नि० मिर्जापुर डिपो कार्यशाला में कार्यरत श्री अजीज अहमद, मु० कादीर, इसहाक, रिजवान, अब्दुल सुभाम, इकबाल, नौसाद अली,

मकबूल, अन्सार खां, मुबारक अली, सफीउल्ला, सिराजूद्दीन को गत २४/२५ जून, १९९१ को कार्यशालाध्यक्ष द्वारा अवकाश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति के बाद भी उक्त तिथि का वेतन क्षेत्रीय प्रबन्धक (इलाहाबाद) द्वारा काटा गया है ? यदि हां, तो उक्त तिथि को इन कर्मियों के अवकाश के बावजूद वेतन काटे जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो किससे और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी हां ।

विश्राम दिवस के बदले में नियमानुसार केवल एक दिन (२४ अथवा २५ जून, १९९१) को अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए था । कार्यशालाध्यक्ष, मिर्जापुर द्वारा जिन्हें एक दिन से अधिक अवकाश अनाधिकृत रूप से स्वीकृत किया गया, उन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गयी है । अनधिकृत अवकाश स्वीकृत करने के सन्दर्भ में कार्यशालाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों के विनियमितीकरण

६–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९९१-९२ में खण्ड विकास अधिकारियों का प्रदेश स्तर पर विनियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर किया गया है तथा वरिष्ट अधिकारियों को इस लाभ से क्यों वंचित किया गया है ? क्या मण्डल स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारियों के पद पर प्रोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि पदोन्नति की गयी है, तो किस नियमावली के अनुसार की गयी है ? क्या वरिष्ठ अधिकारी की भी खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अधिसूचना संख्या–१५/९३/८६(१)-कार्मिक–१, दिनांक ३-११-८८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, १९८८ के उपबन्धों के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर प्रश्नगत विनियमितीकरण किया गया है जिसमें विनियमितीकरण हेतु जिन ज्येष्ठ अधिकारियों को चयन समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया, उन्हें विनियमित नहीं किया गया है ।

जी हां, छः-छः माह के लिए स्थानापन्न व्यवस्था के रूप में पात्र कर्मचारियों में से नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये जाने का अधिकार संबंधित मण्डलायुक्त को तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अधीन प्राप्त था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या–५३३६/३८-१-३९डब्लू० सी०/८६, दिनांक १३ जून, १९९० में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसार । नियमानुसार यथा-समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित गोविन्द शुगर मिल ऐरा के मजदूरों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

७–श्री बाला प्रसाद –

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द शुगर मिल, ऐरा, जनपद लखीमपुर खीरी में मिल मजदूरों के कल्याण के लिए अब तक कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गयी हैं और कौन-कौन कल्याण की सुविधायें अनुमन्य हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और कल्याणकारी सुविधायें उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

इस प्रकार की औद्योगिक इकाई के मजदूरों के लिए कल्याण सुविधाओं का अंकन कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ४२ से ४९ में दिया गया है । जनपद लखीमपुर की गोविन्द शुगर मिल ऐरा की १५-२-९२ को की गयी आकस्मिक जांच में हाथ-मुंह धोने के लिए वाश-वेसिन, काम के समय न पहने जाने वाले कपड़ों को रखने के लिए कमरे या लाकरों की व्यवस्था, कार्य-स्थल पर विश्राम हेतु बैठने की व्यवस्था, डिस्पेंसरी में कार्य योग्य स्टेचर्स, कैण्टीन में खाद्य सामग्री की मूल्य सूची तथा कैण्टीन में सफाई और फर्श के रख-रखाव सुविधाओं की कमी पायी गयी थी जिनके लिए सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर कर दिया गया है ।

८–श्री बाला प्रसाद –

[२सरे मंगल में अता० प्र० सं० १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० परिवहन निगम फैजाबाद क्षेत्र की बहराइच डिपो में तैनात श्री हरिद्वार सिंह राठौर यातायात निरीक्षक के विरुद्ध कतिपय मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही

९–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिद्वार सिंह राठौर, यातायात निरीक्षक, उ० प्र० परिवहन निगम, क्षेत्र-फैजाबाद की बहराइच डिपो में तैनाती के समय उनके आवंटित मार्ग पर, जनवरी, १९८९ से जनवरी, १९९१ तक अधिक संख्या में भ्रष्टाचार संबंधी मामले पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इनके आवंटित मार्ग पर अधिक भ्रष्टाचार होने के कारण क्या उन्हें निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल

श्री हरिद्वार सिंह राठौर, यातायात निरीक्षक, उ० प्र० परिवहन निगम, फैजाबाद क्षेत्र की बहराइच डिपो में तैनाती के समय उनके आवंटित मार्ग पर जनवरी, १९८९ से जनवरी, १९९१ तक भ्रष्टाचार के ३४ मामले क्षेत्रीय चेकिंग अधिकारियों/उपाधिकारियों द्वारा पकड़े गये थे ।

जी नहीं ।

इस संबंध में निगम द्वारा श्री राठौर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के श्री नरपति सिंह इण्टर कालेज, माधोगंज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री नत्थू सिंह चन्देल की पेंशन का निर्धारण

१०–श्री राम लखन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के श्री नरपति सिंह इण्टर कालेज, माधोगंज के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य श्री नत्थू सिंह चंदेल की पेंशन का अन्तिम निर्धारण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि प्रबन्धक द्वारा लगाये गये फर्जी आरोपों की जांच करके जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आरोप निराधार पाये जाने की सूचना भी पत्रांक पेंशन ११७८/९१-९२ दिनांक ४-४-९१ द्वारा भेज दी गयी है ? क्या प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष प्रबन्ध समिति द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र भी जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो प्रबन्धक द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? श्री चन्देल की पेंशन का अन्तिम निर्धारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के आई० टी० आई० के भवन निर्माण हेतु भूमि का तलाश किया जाना

११–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत सलेमपुर में आई० टी० आई० खोलने की सारी प्रक्रिया पूरी करके वहां पर छात्रों का प्रवेश भी ले लिया गया है ? यदि हां, तो इसके निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि छात्रों की पढ़ाई पडरौना में करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस आई० टी० आई० का भवन निर्माण कार्य यथा शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

इस संस्थान के भवन हेतु भूमि की तलाश की जा रही है ।

१२–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम कन्चनपुर में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की मांग

१३–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष ९०-९१ में राज्य के लगभग १०० पिछड़े स्थानों में राजकीय कन्या हाईस्कूल खोले जाने का निर्णय शासन ने लिया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसार कितने कन्या राजकीय हाईस्कूल खुले हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन्नाव जिले के सबसे पिछड़े विकास खण्ड असोहा के ग्राम कन्चनपुर में कन्या हाईस्कूल खोले जाने के शासन के निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

११० स्थानों पर राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने के सशर्त आदेश निर्गत किये गये हैं ।

ग्राम कन्चनपुर स्थान विशेष पर कन्या हाईस्कूल खोलने हेतु शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतः क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध संचालक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाना

१४–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सन् १९८५ से लेकर अगस्त, १९९१ तक कितने इण्टर कालेज ऐसे हैं जहां प्रबन्ध समिति भंग है और प्रशासक निषुक्त हैं ? क्या यह सही है कि प्रबन्ध समिति के भंग होने से उन कालेजों के विकास से संबंधित धन प्रशासन को तथा प्रधानाचार्य को नहीं दिया जाता है ? क्या सरकार ऐसे कालेजों का नाम व पता बतायेगी ? क्या सरकार जब तक प्रशासक नियुक्त है, सारे विकास कार्य का धन सरकार उन्हें उपलब्ध कराकार विकास कार्य प्रधानाचार्य से करवाने की आज्ञा देगी ? क्या सरकार ने सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज वसनी में लैब की कमी के संबंध में जांच भी करवायी थी और एक लाख रु० का अनुदान देने की आख्या भी शासन में पहले सन् ९० तथा मार्च, ९१ के पूर्व आ गयी है ? इस पर विचार कर क्या सरकार एक लाख रुपये देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वाराणसी जनपद में सन् १९८५ से अगस्त, १९९१ की अवधि में ५ प्रबन्ध समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उक्त विद्यालयों की प्रशासन योजनान्तर्गत विद्यालयों में प्रबन्ध संचालक नियुक्त किये गये ।

उक्त के अतिरिक्त एक विद्यालय में वेतन वितरण अधिनियम १९७१ के अन्तर्गत तथा एक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम १९२१ के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त है ।

जी हां ।

विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं :–

१–रामकृष्ण इण्टर कालेज, तियरी, वाराणसी ।

२–गांधी राष्ट्रीय इण्टर कालेज, सदलपुरा, वाराणसी ।

३–युगुल बिहारी इण्टर कालेज, रामेश्वर, वाराणसी ।

४–सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, वसनी, वाराणसी ।

५–श्री लक्ष्मी शंकर इण्टर कालेज, राजवारी, वाराणसी ।

६–जय नारायण इण्टर कालेज, वाराणसी ।

७–महावीर इण्टर कालेज, विछिया वनकट, वाराणसी ।

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१५–श्री दीना नाथ सिंह यादव–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १८६ द्वारा उत्तरित]

१६–श्री बाला प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (रोडवेज) बस्ती (क्षेत्र गोरखपुर) द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की जांच

१७–श्री राम लखन–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बस्ती (क्षेत्र गोरखपुर) द्वारा बरती गयी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित तथ्य प्रकाश में आये हैं ? क्या यह सही है कि श्री राम जीत वर्मा स० क्षे० प्रबन्धक के विरुद्ध रोडवेज मजदूर सभा प्र० प्र० के महामंत्री श्री विष्णु देव पाण्डेय का एक पत्र भ्रष्टाचार/ अनियमितताओं के तथ्यों को उजागर करते हुए दिनांक २१-८-९१ को प्रबन्ध निदेशक को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या तथ्यों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

जी हां । श्री विष्णुदेव पाण्डे, महामंत्री, रोडवेज मजदूर सभा उ० प्र० का शिकायती पत्र दिनांक २१-८-९१ श्री हरी केवल प्रसाद सांसद के पत्र दिनांक १-१०-९१ के साथ परिवहन निगम मुख्यालय में दिनांक २-१२-९१ को प्राप्त हुआ था ।

जांच कराई गयी तथा शिकायतें निगधार पायी गयीं ।

परिवहन निगम गोण्डा डिपो के कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी मामले का निस्तारण

१८–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम गोण्डा डिपो के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले के निस्तारण हेतु उन्हें सदस्य विधान सभा श्री सुरेन्द्र सिंह का पत्र दिनांक २६-१०-९१ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा के कतिपय जू० हा० स्कूल के निर्माण कार्य का विवरण

१९–श्री बाल प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में कौन-कौन जूनियर हाई स्कूल का निर्माण ग्रामीण अभियन्ता सेवा प्रखण्ड लखीमपुर खीरी द्वारा कराया गया ? क्या निर्माण कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गुणवता के आधार पर कार्य

कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार टी० ए० सी० भेजकर जांच करायेगी और निर्माण समय से पूरा कराने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में चार जूनियर हाई स्कूल भवन क्रमशः (१) लाखुन (२) लौकाही मल्लापुर (३) अकड़ी (४) विरसिंहपुर का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी तक किसी भवन में गुणवत्ता कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई है ।

विशिष्ट शिकायत मिलने पर जांच करायी जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के रेन्ज धौरहरा में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

२०–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश वन प्रभाग-लखीमपुर खीरी के रेंज धौरहरा में कितने हेक्टेयर भूमि वन विभाग की है ? उसमें से कितने हेक्टेयर पर वन विभाग का कब्जा है व कितने हेक्टेयर भूमि पर अनधिकृत कब्जा है ? क्या सरकार अनधिकृत कब्जेदारों को वन विभाग की भूमि से बेदखल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला लखीमपुर खीरी में उत्तर वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी के रेंज धौरहरा में ७८५०.६३ हेक्टेयर भूमि वन विभाग की है ।

उपर्युक्त में से ६२८०.५४ हेक्टेयर पर वन विभाग का कब्जा है व १५७०.०८४ हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है ।

५५४.८४८ हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र के संबंध में अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किये जा चुके हैं तथा शेष अतिक्रमित क्षेत्र के अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति पर है ।

न्यायालय से वाद निर्णीत होने के उपरान्त ही निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा में मृतक जगतधारी प्रसाद के आश्रित को सेवा में समायोजित करने के आदेश

२१–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा में कार्यरत जगतधारी प्रसाद सहायक अध्यापक प्रशिक्षित वेतनमान की सेवा काल के दौरान दिनांक ७-१२-८२ को मृत्यु हो गयी है ? क्या उसके एक मात्र वारिस पुत्र श्री कामता प्रसाद ने दिनांक

१७-७-९१ को अपनी योग्यताओं की प्रतिलिपियों सहित लिपिक संवर्ग में मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु रिक्त पद पर आवेदन-पत्र साधिकार नियंत्रक हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा को सम्बोधित एवं उप शिक्षा निदेशक झांसी, शिक्षा निदेशक उ० प्र० सामान्य (१) तृतीय अनुभाग इलाहाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा, प्रधानाचार्य हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा को पृष्ठांकित करके राजाज्ञा का उद्धरण देते हुए दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक नियुक्ति पत्र दे दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत जगतधारी प्रसाद की दिनांक ७-१२-८२ के मृत्यु के पश्चात् उनके एक मात्र पुत्र कामता प्रसाद ने दिनांक १७-७-९१ को उक्त आशय का आवेदन-पत्र संबंधित अधिकारियों को दिया था ।

निदेशालय द्वारा दिनांक ७-१२-८२ को जिला विद्यालय निरीक्षक को एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक २८-१२-९१ को साधिकार नियंत्रक एवं प्रधानाचार्य, हिन्दू इण्टर कालेज, अर्तरा को श्री कामता प्रसाद को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने हेतु निदेशित किया गया है । मण्डलीय उच्च शिक्षा निदेशक झांसी द्वारा भी जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को श्री कामता प्रसाद को मृतक आश्रित के रूप में तत्काल सेवायोजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/उत्तरी खीरी वन प्रभाग द्वारा अवैध कटान की पकड़ी गयी लकड़ियों का विवरण

२२–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी उत्तर वन प्रभाग लखीमपुर खीरी/गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग गोण्डा में १ जनवरी, १९९० से आज तक किस-किस रेंज में कितने मूल्यों के किस प्रजाति की लकड़ियां किस वाहनों से अवैध कटान की लकड़ियां पुलिस विभाग द्वारा तथा वन विभाग द्वारा पकड़ी गयीं ? कितने मामले में जुर्माना लिया गया कितने मामले न्यायालय भेजे गये और कितने मामले अदालत द्वारा मुक्त किये गये तथा कितने मामले में अभियुक्तों के पक्ष में न्यायालय द्वारा वन सम्पदा छोड़ा गया ? क्या निचले अदालत के फैसले के विरुद्ध प्रभागीय वन अधिकारियों ने जिला सत्र न्यायालय के स्तर पर अपील की ? क्या सरकार ऐसे वन रेंजरों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिनके शिथिलता से वन सम्पदा की चोरी हुई ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग तथा उत्तरी खीरी वन प्रभाग में १ जनवरी, १९९० से २६ नवम्बर, १९९१ तक विभिन्न रेंजों में साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर, डनलप, बैलगाड़ी, रिक्शा द्वारा निम्नलिखित अवैध कटान की लकड़ियां वन विभाग द्वारा पकड़ी गयीं :–

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग

रेंज का नाम	प्रजाति	मूल्य (रु० में)
१–भांभर	शीशम, साखू, सागौन, भड़कुल तथा जलौनी	२३,५५५.००
२–रामपुर	शीशम, साखू तथा जलौनी	१२,१५७.३०

३–तुलसीपुर	शीशम, सागौन, साखू तथा जलौनी	१,५१,०४०.००
४–वरहवा	शीशम, सागौन तथा जलौनी	७०,५६३.३०
५-बनकटवा	शीशम तथा जलौनी	७,६५०.००

उत्तर खीरी वन प्रभाग

१–सम्पूर्णा नगर	खैर	३,१४३.००
२–पलिया	खैर	१५,०००.००
३–मझगई	शीशम, सागौन, जामुन, कुकाट	६२,९६६.००
४–द० निघासन	शीशम, खैर	१९,१००.००
५–धौरहरा	खैर	१५,०००.००
६–उ० निघासन	जामुन, सागौन, कुकाट, गूलर	२६,३३४.००

पुलिस विभाग द्वारा पकड़ी गयी अवैध कटान की लकड़ियों की सूचना वन विभाग में उपलब्ध नहीं है।

६० मामलों में जुर्माना लिया गया और १३ मामले न्यायालय में भेजे गये जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वन रेंजरों द्वारा शिथिलता बरतने की जानकारी नहीं है अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

२३–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मुरादाबाद में कुओं की योजना हेतु आवंटित धन का दुरुपयोग करने की शिकायत

२४–श्री अकबर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक १२ नवम्बर, १९९१ प्राप्त हुआ है, जोकि गत वर्ष जनपद मुरादाबाद में १० लाख कुओं की योजना हेतु दिये गये धन का दुरुपयोग करने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० के मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

२५–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर विद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है, वहां जब तक आवश्यक कोटा पूरा न कर दिया जाये तब तक दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति न किये जाने

का शासन से आदेश हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के किन विद्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है ? मोती लाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, तहसील जलालपुर फैजाबाद में हिन्दी के प्रवक्ता पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को न रखने का क्या कारण है जबकि उक्त विद्यालय में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? क्या शासन संबंधित नियुक्ति को निरस्त कर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति दिलाने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित स्वरूप केमिकल्स वाटर वर्क्स का स्थानान्तरण

२६–श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री उमा कान्त यादव तथा श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्वरूप केमिकल्स वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ के रसायनिक दुर्गन्ध से वहां रहने वाले पांच हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष १९८८-८९ में इस कारखाने के मालिक द्वारा इसे शहर से बाहर शिफ्ट करने का सरकार से आश्वासन भी दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार इसे वहां से तत्काल हटवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उद्योग की औद्योगिक प्रक्रिया से जनित दुर्गन्ध से उद्योग के आस-पास के क्षेत्र में समस्या सम्भावित है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत उद्योग द्वारा माह जून, ९२ तक इकाई को वर्तमान स्थल से औद्योगिक क्षेत्र चिनहट में स्थानान्तरण हेतु सूचना दी है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को अधिक प्रभावी बनाने की कार्यवाही

२७–श्री राम लखन–

विधान सभा के प्रथम सत्र १९८९ के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित ता० प्र० सं० १५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत पद कौन-कौन हैं तथा क्या वे भर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यालय पर दिनांक २३-१२-८९ को डिजाइन सेल की स्थापना की गयी और इसके लिए निम्नलिखित पद स्वीकृत किये गये हैं :–

१–सहायक वास्तुविद	१ पद
२–वास्तुविद सहायक	१ पद
३–कम्प्यूटर	१ पद
४–मानचित्रकार	१ पद
५–रेखाकार	१ पद

उक्त स्वीकृत पदों में से मानचित्रकार तथा रेखकार के पदों को भर दिया गया है ।

शेष पदों के भरने के संबंध में कार्यवाही मितव्ययिता की दृष्टि से अभी नहीं की जा रही है ।

अवध वन प्रभाग लखनऊ के अन्तर्गत रहमतनगर मोहनलालगंज की पौधशाला में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मियों का विवरण

२८–श्री बच्चा पाठक–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग लखनऊ के अन्तर्गत रहमत नगर मोहनलालगंज, पौधशाला में कितने माली/चौकीदार दैनिक वेतन पर वर्ष १९७४ से कार्यरत हैं जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? उनके नाम क्या हैं और उसमें कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ? क्या सरकार इनको शीघ्र ही नियमित किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के इण्टर कालेज मझोली राज को परीक्षा केन्द्र बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश

२९–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत वर्ष १९८८ के बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल कराने तथा उत्तर-पुस्तिकाओं को बाहरी व्यक्तियों द्वारा लिखवाने के कारण पुलिस में किन-किन विद्यालयों के विरुद्ध रपट दर्ज करायी गयी थी ? क्या अभी वह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या वे विद्यालय १९८९ व ९० में परीक्षा केन्द्र रहे ? यदि नहीं, तो क्या वर्ष १९९२ के लिए इन्हें पुनः परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब यहां सामूहिक नकल नहीं होगी ? यदि नहीं, तो इन्हें परीक्षा केन्द्र पुनः बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद देवरिया के निम्नलिखित दो विद्यालयों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी :–

१–जनता इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, देवरिया ।

२–इण्टर कालेज मझौली राज, देवरिया ।

जी हां ।

जी नहीं ।

केवल इण्टर कालेज मझोली राज देवरिया को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

३०–श्री विजय सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बिक्रीकर अधिकारी मुरादाबाद द्वारा कर के निर्धारण के संबंध में पत्र पर कार्यवाही

३१—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९८६ के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० १८३ के सन्दर्भ में संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं०—५७६ में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय विधायक के पत्र सं०—५७६ में श्री ए० के० अस्थाना, बिक्री कर अधिकारी की सम्पत्ति के बारे में ७ बिन्दुओं (भूखण्ड, फ्रिज व स्कूटर खरीदने का श्रोत, इलाहाबाद के मकान निर्माण की लागत, उसके सकल वेतन व नेट वेतन, मासिक खर्चों व बचत खातों) पर जानकारी मांगी गयी थी।

वांछित सूचना संलग्न है। †

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्री कर बनाम कृष्ण एजेन्सी मुकदमें में दिया गया निर्णय

३२—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९८६ के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता० प्रश्न सं—१९० के सन्दर्भ में संस्थागत वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं०—६६१, जो मुख्य मंत्री के कार्यालय में दिनांक १३-५-८६ को प्राप्त हुआ था, में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्न में सन्दर्भित माननीय सदस्य विधान सभा का पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य विधान सभा को उक्त पत्र की एक प्रति पुनः प्रेषित करने हेतु लिखा जा रहा है।

जनपद लखनऊ में स्थित बाला जी बोल्ट्स, ऐशबाग रोड फर्म की वर्ष ८५-८६ में अपवंचित बिक्री कर का निर्धारण

३३—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात हुआ है कि लखनऊ के खण्ड—४ के अधिकारी ने दिनांक १५-१०-९० को फर्म बाला जी बोल्ट्स, ऐशबाग रोड को वर्ष ८५-८६ का आदेश पारित किया है और रु० ९,२०,०००.०० की करबंचक बिक्री के आधार पर रु० २,१३,४५२.०० कर लगाया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रु० ९,२०,०००.०० की राशि वर्ष ८५-८६ व ८६-८७ में की पेमेंट की राशि थी, जिसमें वर्ष ८५-८६ की पेमेन्ट की राशि मात्र रु० ४०,०००.०० थी ? यदि हां, तो वर्ष ८५-८६ की तथाकथित करबंचक बिक्री वास्तव में कितनी थी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी हां।

जी नहीं। वर्ष ८५-८६ के कर निर्धारण आदेश दिनांक १५-१०-९० में व्यापारी पर कुल रु० ४९,५०,००० कर योग्य विक्रय धन निर्धारित करते हुए रु० २,१३,४५२ कर निर्धारित किया गया है। उक्त बिक्री में से रु० ४२,२३,१०० की बिक्री अपवंचित बिक्री निर्धारित की गयी है। इसमें से रुपया

---

† छापी नहीं गयी।

९,२०,००० खाली बोतलों की बिक्री केवल एक पार्टी मझोला डिस्टिलरी की थी । वर्ष ८५-८६ की सप्लाई के लिए रु० ९,२०,००० का भुगतान मझोला डिस्टिलरी द्वारा दिनांक १९-३-८६ से २७-६-८६ के मध्य किया गया । उक्त में से दिनांक १९-३-८६ को रु० ४०,००० का भुगतान तथा शेष भुगतान वर्ष ८६-८७ में हुआ है ।

वर्ष ८५-८६ की अपवंचित बिक्री रु० ४२,२३,१०० निर्धारित की गयी है ।

३४–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी उत्तरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी के रेंज धौरहरा में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

३५–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी उत्तर वन प्रभाग लखीमपुर के रेंज धौरहरा में वन विभाग की भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जेदार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वन विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिनकी शिथिलता से वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया गया था ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लखीमपुर खीरी उत्तर वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी के रेंज धौरहरा में वन विभाग की भूमि पर ९१३ अनाधिकृत कब्जेदार हैं ।

२९६ अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध वाद न्यायालय में दायर किये जा चुके हैं । शेष के विरुद्ध जांच व कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

२९६ अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध वाद न्यायालय में दायर किये जा चुके हैं । शेष के विरुद्ध जांच व कार्यवाही प्रगति पर है ।

धौरहरा रेंज के समस्त वन खण्ड जमींदारी विनाश के परिणामस्वरूप वन विभाग में निहित हुए थे, जिन पर उसी समय अथवा उसके तुरन्त पश्चात ही व्यापक रूप से अतिक्रमण किया गया । उत्तर खीरी वन प्रभाग अत्यन्त छोटे-छोटे आबादी से घिरे हुए तथा कम घनत्व वाले निहित वन क्षेत्रों के रूप में हैं । इसलिए अतिक्रमण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है । अभी तक किसी अधिकारी की शिथिलता के बारे में शासन को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के ब्लाक भुता (कुंआ डाड़ा) के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बुखारियों के क्रय एवं वितरण की जांच

३६–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के ब्लाक भुता (कुंआ डाड़ा) के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मार्च, १९९१ में कितनी बुखारियां किस दर से क्रय करके, किन-किन

कृषकों में वितरित की गयी हैं ? क्या यह सही है कि उक्त बुखारियां ब्लाक के किसी भी कृषक को न देकर केवल कागज पर इनका फर्जी वितरण दिखाकर कार्य पूर्ति सत्यापन करके कमीशन प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भ्रष्ट अधिकारी का स्थानान्तरण कर उसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी जा रही है । स्थानान्तरण के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां बरवां द्वारिका से पिपरिया तक के अवशेष खड़ंजा कार्य को पूरा करने की मांग

३७–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सिसवां, जनपद महराजगंज में एन० आर० ई० पी० योजना के द्वारा बरवां द्वारिका से पिपरिया तक एक कि०मी० खड़ंजा मार्ग का निर्माण तीन वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या आर० ई० एस० कार्यदायी विभाग द्वारा प्राक्कलन के विरुद्ध धन स्वीकृत होने के बाद भी समय से कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या अब तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के संबंध में संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच करायेंगे ? इस मार्ग को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कार्य समय से प्रारम्भ कराया गया ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कम धन दिये जाने के कारण मात्र ६५० मीटर की तकनीकी स्वीकृति दी गयी । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध ३० लाख रु० की धनराशि कम उपलब्ध कराने के कारण अनेक योजनाओं को धनाभाव के कारण तत्काल रोक देना पड़ा, फलस्वरूप ५०० मीटर खड़ंजा कार्य ही कराया जा सका । अवशेष खड़ंजा कार्य हेतु संशोधित प्राक्कलन तैयार कराकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महराजगंज को प्रेषित किया जा रहा है । निर्माण कार्य कराने में कोई अनियमितता नहीं हुई है । अतः सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच कराने का औचित्य नहीं है । अवशेष कार्य धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर पूरा करा दिया जायेगा ।

३८-३९–श्री भगवती प्रसाद–

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में स्थित राज्य कताई मिल के श्रमिकों द्वारा समझौते की प्रति को उप श्रम आयुक्त के कार्यालय में दाखिल किया जाना

४०–श्री राम लखन–

क्या श्रम मंत्री दिनांक १९ मई, १९९० ई० को अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच हुए समझौते की प्रति को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? संबंधित समझौते पर जिला स्तर के प्रशासनिक व परगना स्तर के संबंधित किन-किन अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं ? क्या यह सही है कि श्रमिक पक्ष ने भी उक्त समझौते की प्रति को उप श्रम आयुक्त को दाखिल किया है ? यदि हां, तो कब ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स राज्य कताई कम्पनी लि० अकबरपुर, फैजाबाद में दिनांक १९-५-९० को प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों/श्रमिक संगठनों द्वारा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक का घेराव कर एक तथाकथित समझौते जिस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद तथा परगना अधिकारी, अकबरपुर के हस्ताक्षर बताये जाते हैं, कराया गया बताया गया है । समझौते की मूल प्रति श्रमिक अपने साथ ले गये थे एवं उसकी कोई अन्य प्रति नहीं बनाई गयी थी । अतः उक्त समझौते को सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है । श्रमिक पक्ष द्वारा उक्त समझौते की प्रति उप श्रमायुक्त कार्यालय, फैजाबाद में प्रस्तुत/दाखिल नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया रूट पर प्राइवेट बसों की चेकिंग न करने की शिकायत

४१–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ११५२/९१ दिनांक ९-९-९१ को जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया रूट पर प्राइवेट बसों के संबंध में जिलाधिकारी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो निर्धारित किराये से अधिक किराया चार्ज करने एवं यात्री-कर की चोरी होने की सूचना क्या सरकार को है ? यदि हां, तो निर्धारित चक्करों से अधिक चक्कर लगाने वाले वाहनों की चेकिंग न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

इस संबंध में की गयी जांच के फलस्वरूप उक्त पत्र में उल्लिखित मार्गों पर निर्धारित से अधिक किराया चार्ज करने एवं यात्री-कर की चोरी नहीं पायी गयी ।

चेकिंग की गयी तो आरोप सही नहीं पाया गया ।

जनपद खीरी के अन्तर्गत पलिया रूट पर बसों का संचालन

४२–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि पलिया रूट पर जनपद-खीरी के अन्तर्गत आने वाले मार्गों जैसे पलिया-खजुरिया, पलिया-कबीरगंज, पलिया-विशेनपुरी, पलिया-गौरीफिन्टा, पलिया-चन्दन चौकी, पलिया-निघासन, पलिया-मैलानी, पलिया-गोला, पलिया-लखीमपुर, नवीन विजुआ मार्गों पर कितनी बसों का परमिट जारी है ? आवागमन में असुविधा को देखते हुए नई बसों का परमिट जारी न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि पलिया रूट पर आने वाले मार्गों पर आर० टी० ओ० तथा बस यूनियन की मिली भगत से केवल (९) नौ वापसी नम्बरों का लमसम एग्रीमेंट कर रखा है जबकि यह यूनियन वालों द्वारा पुरानी जर्जर बसों द्वारा ५२ नम्बर तक लगते हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्गों पर ५२ चक्कर लगाकर चोरी करने वाले दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इन मार्गों पर कुल ५३ बसों के परमिट जारी हैं । नवीन विजुआ का कोई न तो मार्ग है न परमिट जारी है ।

पलिया एरिया रूट के ११९ तथा अन्य मार्गों के ३३२ अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण अभी बस संचालन हेतु आज्ञा नहीं दी गयी है।

जी नहीं। उक्त सातों मार्गों में से पलिया एरिया रूट के परमिट धारकों को २८ एकल फेरे अनुमत हैं। शेष ६ मार्गों के परमिट धारकों को ३४ एकल फेरे अनुमत हैं और इनमें किसी मार्गों पर निर्धारित से अधिक फेरे नहीं लगाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर, अकबरपुर तथा सदर में निर्मित हरिजन कालोनियों के निर्माण कार्य की जांच की मांग

४३–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील, बीकापुर तहसील और सदर तहसील में हरिजन कालोनियों का निर्माण कराये जाने के एक माह के अन्दर ही निर्माण कार्य ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सारे निर्माण कार्यों की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उटता।

४४–श्री श्याम नारायन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र दुगड्डा के ग्राम सभा बालासौड़ के हेतु स्वीकृत धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा दुरुपयोग किये जाने की जांच

४५–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बालासौड़, विकास क्षेत्र दुगड्डा, जनपद–पौड़ी गढ़वाल को शासन द्वारा वित्तीय वर्ष १९९०-९१ में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? इसमें से २१ मार्च, १९९१ तक कितनी धनराशि व्यय की गयी थी ? क्या यह सत्य है कि प्रधान, ग्राम सभा बालासौड़ द्वारा अपने निजी खाते में दि० १-१-९० को ४० हजार रुपये मिनी बैंक सहकारी समिति, सुखरौ देवी में जमा किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष ९०-९१ में इसी खाते में एक लाख रुपये ज़मा हुए थे ? यदि नहीं, तो कुल धनराशि कितनी जमा हुई है ? क्या प्रधान द्वारा ग्राम सभा के नाम पर स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम सभा इछवार में खड़ंजे व कुओं की मरम्मत हेतु जवाहर रोजगार योजना में दी गयी धनराशि का विवरण

४६–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, ग्राम इछवार के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत १९८९ से अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ? उस धन से योजनावार कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या कृत कार्यों की टेक्निकल जांच करायी जायेगी ? क्या ग्राम इछवार में खड़ंजे व कुओं की मरम्मत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि मरम्मत होगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम सभा इछवार के ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत १९८९ से अब तक मु० १,४२,८४९.०० रु० की धनराशि दी गयी है ।

उक्त धन से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

	रु०
१–चर्तुभुज नाले से प्रा० पा० तक मिट्टी का कार्य	२६०८२.००
२–बरमदेव नाले में मिट्टी भराई का कार्य	१००८०.००
३–गडरिया नाले में मिट्टी भराई का कार्य	२५२०.००
४–खड़ंजा निर्माण	१५६४०.००
५–गुडियाहा तालाब से चर्तुभुज नाले तक मिट्टी का कार्य	९९९०.००
६–गुडियाहा तालाब से चुनकू के कुआं तक मिट्टी का कार्य	९०००.००
७–पुलिया निर्माण का कार्य १ नग	१७०९२.००
८–हरिजन कूप मरम्मत १ नग	१४१३०.००
९–बरमदेव नाले में रपटा बंधाई का कार्य	१६०३६.००
१०–खड़न्जा निर्माण का कार्य	१६४०८.००
११–निर्बल वर्ग आवास हेतु दी गयी धनराशि	९५००.००
१२–उपरोक्त कार्यों में मु० ३,६३७.०० रुपये भू-राजस्व ब्याज एवं पंचायत कर की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निर्माण कार्य कराये गये हैं ।	.....
योग :	१४६४८६.००

.....

जी नहीं ।

एक हरिजन कूप की मरम्मत की गयी है। जवाहर रोजगार योजना की मार्ग निर्देशिका के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत को खुली बैठक बुलाकर वार्षिक कार्यकारी योजना बनाने व उसी के अनुसार कार्य कराने का अधिकार है।

यदि ग्राम पंचायत आवश्यकता समझेगी तो खड़ंजा की मरम्मत कराने पर विचार करेगी।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में अमड़ी इटैहया अधूरे खड़ंजा मार्ग को पूर्ण करने की मांग

४७–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में १९८८-८९ में निर्मित डेढ़ कि०मी० खड़ंजा जो अमड़ी इटैहया मार्ग पर एन० आर० ई० पी० योजना द्वारा स्वीकृत था, के निर्माण में एजेन्सी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा कोई गड़बड़ी की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग मौके पर अधूरा रहने के बाद भी कागजों में पूर्ण दर्शाया गया है ? क्या अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही करेंगे तथा उक्त कार्य को यथा स्वीकृत पूर्ण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

१६२९ मीटर पूर्ण दिखाया गया है किन्तु सत्यापन में १६०० मीटर पाया गया।

जी हां।

अवशेष कार्य को वर्ष १९९२-९३ तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ ग्रामीण बैंक आफिसर्स एशोसियेशन ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी का पंजीकरण

४८–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ ग्रामीण बैंक आफिसर्स एशोसियेशन, अलीगढ़ ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत एक पंजीकृत श्रमिक संघ है ? यदि हां, तो इसकी पंजीयन संख्या तथा पंजीकृत पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ? क्या वर्ष १९९१ में इस संघ के पदाधिकारियों के चुनाव की सूचना फार्म (जे) में रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उ० प्र०, कानपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या इस कार्यकारिणी को पंजीकृत कर दिया गया है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

इसका पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या ७११३ दिनांक १३-१-८८ है।

वर्ष १९८८ की पंजीकृत कार्यकारिणी के पदाधिकारी निम्न हैं :–

१–श्री सुरेश सिंह	अध्यक्ष
२–श्री हरिशंकर शर्मा	उपाध्यक्ष
३–श्री कमल प्रकाश सिंघल	उपाध्यक्ष

४–श्री मुरारी लाल गुप्ता महामंत्री
५–श्री वीरेन्द्र गुप्त संयुक्त मंत्री
६–श्री हरिओम सारस्वत संयुक्त मंत्री
७–श्री बसन्त लाल गुप्ता क्षेत्रीय मंत्री
८–श्री हरीश कुमार सक्सेना –तदैव–
९–श्री मुकेश चन्द्र पाण्डेय –तदैव–
१०–श्री गिरीश चन्द्र जैन –तदैव–
११–श्री सुनील कुमार शर्मा –तदैव–
१२–श्री विनोद बाबू गुप्ता –तदैव–
१३–श्री अतुल कुमार बिन्दल कोषाध्यक्ष
१४–श्री आर० पी० सिंह कार्यकारिणी सदस्य
१५–श्री भागीरथ शर्मा –तदैव–
१६–श्री अनिल कुमार –तदैव–
१७–श्री आलोक यागनीक –तदैव–
१८–श्री टी० पी० वार्ष्णेय –तदैव–
१९–श्री अक्षय भट्ट –तदैव–
२०–श्री अजय कुलश्रेष्ठ –तदैव–
२१–श्री संजीव वार्ष्णेय –तदैव–

जी हां ।

यूनियन के कारण फार्म (जे) में त्रुटियों के कारण उक्त चुनाव का पंजीयन अभी तक नहीं हो सका है ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी की शिक्षिकाओं तथा कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान करने की मांग

४९–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी की किन-किन शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का वर्ष १९७४ से वर्ष १९८० तक का प्रत्येक वर्ष का कितना वेतन बकाया है ? इसके लिए शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से वर्ष १९८४ में प्राप्त धन को भुगतान करने हेतु, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद ने दिनांक १-१-८४ से दिनांक ३०-९-९१ तक कितनी बार और कब-कब अधिकारियों को आदेश दिये हैं ? क्या इन आदेशों तथा पत्र संख्या शि० सं०/८५६८/७२/९०-९१ दिनांक २-१-९१ द्वारा दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज जनपद बाराबंकी के आडिट के संबंध में शिक्षा निदेशक से जांच आख्या देने का अनुरोध

५०–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में दिनांक १-४-९० से दिनांक ३०-६-९० के मध्य की गयी जांच व आडिट के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने कितनी बार कब-कब और कितने समय से शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से उनकी आख्या मांगी गयी है ? क्या यह आख्या अब शिक्षा निदेशक ने शासन को उपलब्ध करा दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो आख्या कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रकरण में शिक्षा निदेशक से ९-१०-९० को आख्या भेजने हेतु अनुरोध किया गया था । तत्पश्चात् २०-११-९०, १५-३-९०, १९-६-९१, ३१-७-९१ तथा १०-१-९२ को स्मरण कराया गया ।

जी नहीं, निदेशक से पुनः आख्या निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

५१–श्री यदुनाथ सिंह–

[२सरे मंगल के अता० प्र० सं० १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

५२–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

परिवहन विभाग मध्य जोन द्वारा मैकेनिकल पद हेतु लिये गये साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त न करने के कारणों की जानकारी

५३-श्री राम लखन–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी में कि मध्य जोन में दिनांक १७ फरवरी, १९८९ को लिए गये मैकेनिकल पद हेतु साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की सूची में ५७ अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु चयन किये गये और दिनांक १ मार्च, १९८९ को सूची घोषित की गयी जिसमें क्रम सं० १ से ३८ तथा ४५ से ५७ तक के अभ्यर्थी की स्टोर कीपर पद पर नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो ३८ क्रमांक के बाद ४४ तक के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या क्रमांक ४३ पर अंकित सफल अभ्यर्थी रमेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई आवेदन-पत्र परिवहन राज्य मंत्री, प्रबन्ध निदेशक, उप प्रधान प्रबन्धक (मध्य जोन) को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । मध्य जोन में दिनांक १७-२-८९ से २८-२-८९ तक मैकेनिकल पद पर सीधी भर्ती हेतु ५७ अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के चयनित किये गये थे । इनमें से क्रम संख्या १ से ३६ तक के चयनित अभ्यर्थियों को मैकेनिकल पद पर तथा क्रम संख्या ४५ से ५७ तक के अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपनी नियुक्ति सहायक भण्डारपाल के पद पर किया जाना स्वीकार किया था, नियुक्ति दे दी गयी है । क्रमांक-३७ से ४४ तक के अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर नियुक्ति न किये जाने के मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं ।

जी हां, श्री रमेश कुमार चतुर्वेदी का प्रार्थना-पत्र राज्य मंत्री, परिवहन के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद के सहायक अभियन्ता कार्यालय में मृतक के आश्रित श्री धन लाल मौर्य ग्राम व पोस्ट परसपुर जनपद गोण्डा को सेवा से हटाये जाने की शिकायत एवं पुनः सेवा में लिये जाने की मांग

५४–श्री रमाकान्त यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक छेदी लाल कुशवाहा जो सहायक अभियन्ता कार्यालय, फैजाबाद में जूनियर अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, के आश्रित श्री धनलाल मौर्य ग्राम व पोस्ट परसपुर जिला गोण्डा को वर्क सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया था किन्तु दो वर्ष कार्य कराने के बाद उन्हें हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मृतक आश्रित को सेवा में लिए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

श्री धनलाल मौर्य ग्राम व पोस्ट परसपुर, जिला गोण्डा को सहायक अभियन्ता, फैजाबाद के अधीन निर्माण कार्यों पर कार्य प्रभारी कर्मचारी के पद पर रखा गया था। निर्माण कार्यों पर आवश्यकता न होने के कारण बाद में उन्हें हटा दिया गया।

श्री धनलाल मौर्य मृतक श्री छेदी लाल कुशवाहा, तत्कालीन अवर अभियन्ता के भाई हैं। नियमानुसार वे मृतक आश्रित की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः इन्हें सेवा में लिया जाना संभव नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रबन्ध समिति को सम्बद्ध प्राइमरी अनुभागों में नियुक्ति एवं निष्कासन के अधिकार की जानकारी

५५–श्री ऊदल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज व हाई स्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभागों पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों व हायर सेकेण्ड्री स्कूल्स से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों पर इण्टरमीडिएट एक्ट लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय की प्रबन्ध समिति को प्राइमरी अनुभागों में अध्यापकों व अध्यापिकाओं की नियुक्ति व निष्कासन के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

५६–श्री ऊदल–

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

इंटरमीडिएट एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभागों की निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं के वेतन का प्रकरण

५७–श्री ऊदल–

क्या संरकार बतायेगी कि प्रबन्ध समिति के निश्चयानुसार प्राइमरी अनुभागों की कितनी निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को विभाग बगैर किसी न्यायालयीय आदेशों के अन्तर्गत, वेतन दे रहा है ? यदि हां, तो क्या अध्यापक/अध्यापिकाओं के विवरण सरकार देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्यों ? इण्टरमीडिएट एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभागों से निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को यदि विभाग वेतन दे रहा है, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारियों से वेतन वसूल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी मण्डल में आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन हेतु उत्तरदायी पाये गये अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या और प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं की संख्या

५८–श्री ऊदल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल में ऐसे कितने अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इण्टरमीडिएट कालेज हैं जिनके प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन हेतु उत्तरदायी पाये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि संबंधित प्रबन्ध समितियां उनसे कार्य नहीं ले रही हैं तथापि अधिकारियों द्वारा उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान, "काम नहीं तो वेतन नहीं" के आधार के विपरीत दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि को वसूल करने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के मुख्यालय पर वन विभाग द्वारा वन भूमि पर भवन/कार्यालय का निर्माण

५९–श्री तीरथ राज–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी मुख्यालय पर वन विभाग द्वारा आवासीय एवं कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों की भूमि पर ? क्या ऐसे व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा मुआवजा (प्रतिकर) दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित व्यक्तियों को भूमि का मुआवजा (प्रतिकर) कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

यह निर्माण वन विभाग की भूमि पर किया गया है, किसी व्यक्ति की भूमि पर नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा की श्रीमती कमलेश पत्नी उमा शंकर निवासी सिन्धन कला के अनुरोध पर बैंक द्वारा ऋण की वापसी

६०—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में वर्ष १९९०-९१ में आई० आर० डी० योजना द्वारा कितने लोगों को ऋण दिया गया ? क्या श्रीमती कमलेश पत्नी उमा शंकर निवासी सिन्धन कला को आई० आर० डी० योजना द्वारा १०-९-९१ को ऋण मिला था जिसको बिना सूचना के प्रबन्धक, तुलसी ग्रामीण बैंक सिन्धन कला (बांदा) द्वारा २६-१०-९१ को वापस कर लिया गया है ? क्या सरकार बैंकों के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? जिससे सीधे जनता को ऋण का लाभ मिल सके ? क्या उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा में वर्ष १९९०-९१ में आई० आर० डी० योजना द्वारा २२७ परिवारों को ऋण दिया गया है । श्रीमती कमलेश पत्नी उमा शंकर पुत्र राम सजीवन के परिवार को आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत १०-९-९१ को ऋण मिला था । जिसको लाभार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक २६-१०-९१ के क्रम में शाखा द्वारा दिनांक २६-१०-९१ को वापस कर लिया गया है ।

ये आदेश पूर्व से ही हैं कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित पात्र लाभार्थी परिवार को बैंक द्वारा यथावश्यक अनुमन्यता की सीमा तक ऋण की धनराशि स्वीकृत की जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा कौशल किशोर सिंह ठेकेदार से वसूली की कार्यवाही

६१—श्री छोटे लाल यादव तथा श्री राधे श्याम वर्मा—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेश यादव, विधायक का शिकायती पत्र दिनांक ९-३-९० उन्हें प्राप्त हुआ था, जिस पर सचिव, संस्थागत वित्त ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या—वि०क०-३-१५-ज०प्र०/११-९० वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग—३ दिनांक ६-४-९० द्वारा जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को भेज दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कौशल किशोर सिंह ठेकेदार ने वसूली के विरुद्ध अपर सिविल जज तृतीय, गोरखपुर के न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है जिसके कारण वसूली सम्भव नहीं हो सकी है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की गोविन्द शुगर मिल, ऐरा में मजदूरों के आवास के सफाई हेतु स्वच्छकारों की व्यवस्था

६२— श्री बाला प्रसाद—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द शुगर मिल, ऐरा, जनपद लखीमपुर खीरी में मिल प्रबन्धक द्वारा आज तक मजदूर आवासों की सफाई नहीं करायी गयी है और गन्दगी से लोग बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार मिल प्रबन्ध के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मिल के मजदूर आवासों की सफाई के लिए १५ स्वच्छकार नियोजित हैं जो सफाई का कार्य करते हैं । तथाकथित बीमार लोगों के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कोटेशन के आधार पर स्टेशनरी का क्रय किया जाना

६३–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद लखीमपुर खीरी ने १ जनवरी, १९९० से नवम्बर, १९९१ तक कितने धनराशि का स्टेशनरी की सामग्री तथा देशी हैण्ड पम्प, सुलभ शौचालय ढक्कन, जाली तथा अन्य सामग्री क्रय की है ? क्या उक्त सामान टेण्डर से लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस फर्म से लिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी ने १ जनवरी, ९० से नवम्बर, ९१ तक रु० १,४३,६३०.४० की स्टेशनरी क्रय की । देशी हैण्ड पम्प, सुलभ शौचालय ढक्कन, जाली अभिकरण कार्यालय से नहीं क्रय की गयी ।

अन्य सामग्री रु० ८२,६४७.०२ की क्रय की गयी है ?

स्टेशनरी स्थानीय फर्मो से कोटेशन के आधार पर, फोटो स्टेट स्टेशनरी निर्माता फर्मो की दरों पर व अन्य सामान रेट कांट्रेक्ट अथवा कोटेशन के आधार पर क्रय किया गया है । नियमानुसार कोटेशन, रेट कांट्रेक्ट, अथवा निर्माता फर्म की निर्धारित दरों पर क्रय की गयी है ।

स्टेशनरी स्थानीय फर्म मे० किशन ब्रदर्स एवं मे० मास्टर बुक डिपो, लखीमपुर, फोटो स्टेट स्टेशनरी मोदी जीराक्स की अधिकृत फर्म मे० अनुरूप इण्टरप्राइजेज, लखनऊ, कानफ्रेन्स सिस्टम (फिलिप्स कम्पनी), मे० भारत रेडियो सेन्टर, लखनऊ इलेक्ट्रानिक्स स्टेंसिल कटर, गेसटेटनर इण्डिया लि०, लखनऊ केबिन फैन (पोलर), मे० आनन्द इलेक्ट्रिकल्स, लखीमपुर, जूट मैटिंग मे० सांवल दास बनारसी दास, लखीमपुर से क्रय की गयी है ।

६४–श्री राम प्रसाद सिंह–

[५वें गुरुवार में अता० प्र० सं० १९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दीनदयाल विकास योजना को स्व-रोजगार पद्धति पर चरणबद्ध रूप से लागू करने पर विचार

६५–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोजगार के सृजन हेतु दीनदयाल विकास योजना अन्तर्गत पशु विकास स्व-रोजगार संचालन की नीति की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ? क्या यह सही है कि इस योजना के माध्यम से बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों में जहां पशुओं की संख्या तो अधिक है परन्तु तुलनात्मक आय कम है इनके विकास की सम्भावना भी जुड़ी है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह)–

जी हां ।

यह योजना स्व-रोजगार पद्धति पर चरणबद्ध रूप से लागू की जायेगी । वर्ष ९१-९२ में प्रदेश के ८ जनपदों की ३०० न्याय पंचायतें योजना के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक न्याय पंचायत से एक इन्सेमिनेटर चुना गया है इन्सेमिनेटर, प्रशिक्षण के उपरान्त स्थानीय पशुपालकों को पशु प्रजनन एवं टीकाकरण की सुविधा उनके द्वारा उपलब्ध करायेंगे इन्सेमिनेटर को कार्य के आधार पर विभाग एवं पशुपालक द्वारा भुगतान किया जायेगा । एक वर्ष तक इन्सेमिनेटरों को रु० ३०० प्रतिमाह निर्वाह भत्ता भी दिया जायेगा ।

जी हां ।

बुन्देलखण्ड के विकास की दृष्टि से इस योजना को जनपद बांदा एवं जालौन में लागू किया जा रहा है ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है सवाल ही नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज के बाजार सिसवा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

६६–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिसवा बाजार महाराजगंज में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या उक्त जनपद में कोई अन्य इण्टर कालेज है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? विद्यालय के लिए भवन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बावजूद भी प्रस्तावित विद्यालय सिसवा बाजार में खोलने में क्या परेशानी है ? उक्त विद्यालय सिसवा बाजार में कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

(१) आनन्दनगर तथा

(२) नौतनवां में ।

सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज के सिसवा बाजार खुर्द थाना कोठीभार के निवासी इन्द्रजीत की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में सोलेशियम का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

६७– श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्द्रजीत नामक व्यक्ति निवासी सिसवा खुर्द थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज की जो जून या जुलाई, १९९१ माह में घर के समीप ही सड़क पर वाहन द्वारा दुर्घटना से मृत्यु हो गयी थी संबंधित वाहन का पता न लगने के कारण क्या मृतक के परिवार को परिवहन विभाग द्वारा संचालित सोलेशियम योजना (हीट एण्ड रन) के बीमा राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान् सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

सोलेशियम का प्रकरण नियमानुसार विचारार्थ दावा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तथा संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है ।

६८–श्री शिवेन्द्र सिंह–

[३रे मंगलवार में अता० प्र० सं० १८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आगरा कालेज, आगरा में इंजीनियरिंग फैकल्टी खोले जाने की मांग

६९–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आगरा कालेज, आगरा में इंजीनियरिंग फैकल्टी खोले जाने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में श्री गोविन्द दुबे, लिपिक द्वारा अनियमित अनुदान स्वीकृत किये जाने की जांच

७०–श्री दीना नाथ सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द दुबे, लिपिक का स्थानान्तरण शासन की नीति के विरुद्ध तीन वर्ष के अन्दर ही पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, वाराणसी में हुआ है ? यदि हां, तो कब तक इनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि श्री दुबे ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वाराणसी में कार्यरत रहते हुए लगभग दो लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान गलत ढंग से स्वीकृत करवा दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी या चल रही है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

आगामी वार्षिक प्रबन्ध में अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

श्री दुबे के विरुद्ध अनियमित अनुदान स्वीकृत विषयक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जांच करायी जा रही है ।

पूर्वांचल के कतिपय जिलों में वनरोजों द्वारा कृषि फसलों की क्षति को रोकने के उपाय

७१–श्री दीना नाथ सिंह यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वांचल के गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया आदि कई जिलों में वन्य जीव नील गाय व घोड़रोजों द्वारा व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाये जाने के

कारण किसानों ने दलहन, बागवानी एवं सब्जी की खेती करना बहुत कम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को क्षति पूर्ति करने तथा इन वन्य-जीवों से समुचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपाय करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वन रोजों (नील गायों) द्वारा कई जिलों में फसलों को क्षति पहुंचाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

वन रोजों द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षति पूर्ति करने का प्राविधान नहीं है । उनसे फसलों की क्षति को रोकने के उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पदों पर विभागीय कर्मचारियों को लाभ दिया जाना

७२-श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन विभाग में वर्ष १९८५ से अब तक सहायक वन संरक्षक के १४० पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अवधि में सहायक वन संरक्षक के पद पर विभागीय कर्मचारियों को एक भी पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि संबंधित सेवा नियमावली तथा शासनादेश संख्या–१५७६/१४-१-१९८५-१५/७९ टी०सी०, दिनांक २८-२-१९८५ में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति ५० प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है ? वन विभाग में इस शासनादेश के अनुसार सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति न किये जाने के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी विभागीय कर्मचारियों को शासन के वर्तमान नियमों के अनुसार उनकी प्रोन्नति की देय तिथि से ही प्रोन्नति का लाभ दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वन विभाग में वर्ष १९८५ से अब तक सीधी भर्ती के कुल ११६ सहायक वन संरक्षक आये हैं तथा प्रोन्नति कोटे में २० सहायक वन संरक्षकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है ।

राज्य वन सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति प्रतिभाग के अधिकारियों का कोटा ५०-५० प्रतिशत किये जाने के संबंध में दिनांक २८-२-१९८५ को आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु तत्संबंधी संशोधन उ० प्र० वन सेवा नियमावली, १९५२ में नहीं हुआ है जिसके कारण उक्त शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है । नियमावली में उक्त शासनादेश के अनुरूप संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली के वर्तमान नियमों के अनुसार विभागीय कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है ।

जनपद लखनऊ की बालाजी वोटल्स फर्म का पंजीयन तथा ए० ओ० पी० की नियुक्ति का औचित्य

७३–श्री यनुनाथ सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड–४ में फर्म बालाजी वोटल्स का पंजीयन/नवीनीकरण एक मात्र स्वामित्व के रूप में वर्ष ८५-८६ व ८६-८७ में किया गया था ? यदि हां, तो फर्म के संविधान में बगैर संशोधन किये बाहरी व्यक्तियों को ए० ओ० पी० क्यों और कैसे बनाया गया ? क्या ए० ओ० पी० बनाना विधि सम्मत था ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त फर्म में अन्य व्यक्तियों ने भी व्यापार किया है जिसके आधार पर ही उन्हें फर्म में एसोसियेशन आफ परसन मानकर कर-निर्धारण की कार्यवाही की गयी है । उक्त कार्यवाही करने के पूर्व पंजीयन में संशोधन करना विधिक रूप से आवश्यक नहीं है ।

जी हां, विधि सम्मत था ।

फर्म प्रिन्स सोप फैक्टरी पर बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण के समय प्रपत्र ३-ख का दुरुपयोग

७४–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर की फर्म प्रिंस सोप फैक्टरी का सारे बिक्रीकर अधिकारियों की टीम ने दिनांक १६-१२-८६ को रेड किया था ? यदि हां, तो उक्त रेड किस वरिष्ठ अधिकारी के अण्डर में किया गया था ? रेड में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं ? क्या यह सही है कि कारखाने के मालिक लोग छापे के दौरान कारखाने के अभिलेख आदि उठा ले गये ? यदि हां, तो क्या इस मामले की पुलिस रपट दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो पुलिस रपट का क्या परिणाम रहा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उक्त फर्म का दिनांक १६-१०-८६ को कोई रेड नहीं किया गया था । दिनांक १५-१०-८६ को ३ बिक्रीकर अधिकारियों के एक दल द्वारा फर्म का सर्वेक्षण किया गया है ।

उक्त सर्वेक्षण श्री सभाजीत शुक्ला, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी (वि० अनु० शा०) के नेतृत्व में किया गया था । सर्वेक्षण के समय निर्माण तथा उत्पादन के संबंध में कोई रजिस्टर नहीं पाया गया । स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया । कैशबाक्स में ताला बन्द होने से कैश का सत्यापन नहीं हो सका । प्रपत्र ३-ख का दुरुपयोग भी पाया गया । १२ संदिग्ध कागजात भी अभिग्रहीत किये गये ।

जी नहीं ।

लागू नहीं है ।

लागू नहीं है ।

उ० प्र० रा० स० प० नि०, मिर्जापुर की तहसील लालगंज में हलिया, मनिगढ़ा, दीपनगर गड़बड़ा के लिए नियमित बसों के संचालन की मांग

७५–श्री हरि शंकर तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० नि०, मिर्जापुर डिपो की लालगंज तहसील में हलिया, मनिगढ़ा, दीपनगर गड़्बड़ा के लिए मिर्जापुर से प्रातः ६ बजे से अपराह्न १३.३० बजे तक कुल कितनी बसें कब से संचालित हैं ? लालगंज तहसील को इलाहाबाद से जोड़ने के लिए कौन सी बस सेवा चलाई गयी है ? क्या यह सच है कि उक्त अवधि में निगम की कोई भी बसें नियमित संचालित नहीं होती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में मिर्जापुर से मनिगढ़ा प्रातः ८.३० बजे मिर्जापुर से हलिया प्रातः ७.०० बजे १३.०० बजे और दीपनगर गड़बड़ा की बस सेवायें संचालित किये जाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

प्रश्न में उल्लिखित समय के मध्य मिर्जापुर से हलिया के लिए एक सेवा इस समय के बीच ११.०० बजे रवाना होती है । मिर्जापुर से मनिगढ़ा के लिए १४.०० बजे एक सेवा संचालित है और इसी बस से गड़बड़ा के यात्रियों को भी गड़बड़ा मोड़ तक के लिए बस सुविधा उपलब्ध होती है । मिर्जापुर से दीपनगर के लिए एक बस १०.३० बजे तथा दूसरी ११.०० बजे जाती है । लालगंज तहसील के यात्री मिर्जापुर-हनुमना सेवा से बरौधा पहुंच कर हनुमना-इलाहाबाद सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न सेवाओं से मिर्जापुर पहुंच कर भी इलाहाबाद के लिए भी सेवायें उब्लब्ध हैं ।

जी नहीं । बसें नियमित रूप से उपरोक्तानुसार संचालित हैं ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार बस सुविधा उपलब्ध है । परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति एवं वर्तमान बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर नवीन सेवाओं का विस्तार नहीं किया जा रहा है । मनिगढ़ा, हलिया, दीपनगर, गड़बड़ा अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित है ।

मिर्जापुर डिपो के विकलांग चालक श्री राना सिंह के स्थानान्तरण को निरस्त किया जाना

७६–श्री हरि शंकर तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर डिपो के विकलांग चालक श्री राना सिंह को क्षेत्रीय प्रबन्धक (इलाहाबाद) ने अन्यत्र स्थानान्तरित किया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त चालक के वरिष्टता क्रम के मामले को पूर्व विधायक श्री धर्मज्ञ मिश्र ने उठाया था ? क्या मंत्री जी इस विकलांग चालक का स्थानान्तरण आदेश इसकी विवशता के आधार पर निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या तबादला करने वाले अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी हां ।

श्री राना सिंह, चालक का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तबादला निगम की नीति के अनुकूल ही हुआ था । कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड चित्रकूट (कर्वी) तथा मानिकपुर में रोजगार सृजन हेतु ऋण का दिया जाना

७७–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दुधारू भैंसों की खरीद के लिए विकास खण्ड पहाड़ी चित्रकूट एवं मानिकपुर में लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा ब्लाकवार कितनी-कितनी हैं ? क्या जिन गांवों में पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है, वह गांव दुग्ध विकास सहकारी संघ कर्वी के अन्तर्गत क्रियाशील दुग्ध सहकारी समितियों के अन्तर्गत

आते हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कितने ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन दुग्ध सहकारी समितियों के क्रियाशील क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराकर, ग्रामीण रोजगार को विकसित करने की योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में अभी तक विकास खण्ड चित्रकूट (कर्वी) पहाड़ी एवं मानिकपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत १६९ दुधारू पशुओं की सुविधा उपलब्ध करायी गयी जो निम्न प्रकार है :–

१–विकास खण्ड कर्वी–७६ (लाभाथियों को)

२–विकास खण्ड मानिकपुर–०३ (लाभाथियों को)

३–विकास खण्ड पहाड़ी–९० (लाभाथियों को)

उक्त विकास खण्डों के जिन गांवों में पशुपालन एवं दुग्ध विकास के लिये ऋण सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं उनमें से विकास खण्ड पहाड़ी के ४ ग्राम अशोह; नोनार, बबटाबुजुर्ग तथा पहाड़ी में ६ पशुओं हेतु विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम सेमरदहा में ०१, विकास खण्ड चित्रकूट (कर्वी) के ग्राम क्रमशः रगोली, बसहाई, बराछ, सभापुर, कहेटामाफी, परसोजा, देहुटिया, सिंहपुर, पुरेटनपुर,बंदरी तथा खुटहा में ३८ दुधारू पशुओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है जो दुग्ध सहकारी संघ कर्वी के अन्तर्गत क्रियाशील दुग्ध समितियों के कार्य क्षेत्र में आते हैं ।

जी हां ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत शासन द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों के क्रियाशील क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर दूधारू पशुओं के क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराकर पात्र लाभाथियों को निर्धनता की रेखा के ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही दीन दयाल विकास योजना के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी योजना में ग्रामीण क्षेत्र में मिनी डेरी के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु ऋण दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के पशुपालन विभाग में चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धन का उपयोग

७८–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में पशुपालन विभाग द्वारा चारा विकास की योजना संचालित की जाती है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? क्या चालू वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में सरकार द्वारा एतदर्थ वित्तीय अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और उसका उपयोग किस रूप में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी हां ।

जनपद बांदा में जिला योजना के अन्तर्गत चारा विकास कार्यक्रम सघनीकरण हेतु वर्ष १९९१-९२ में रुपये तीस हजार की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका उपयोग चारा, बीजों के क्रय एवं वितरण में किया गया है ।

जनपद बांदा के पशुपालन विभाग द्वारा समन्वित पशु विकास योजना का प्रस्ताव

७९—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में पशुपालन विभाग के द्वारा गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं में विस्तार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वर्ष १९९१-९२ में इस योजना के लिए कितना धन आवंटित कर दिया गया है ? इस धन का उपयोग किस रूप में किया गया है ? इसकी भौतिक उपलब्धि क्या रही है ? क्या जनपद बांदा के सूखे से प्रभावित ऊंची नीची बीहड़ क्षेत्रों में सरकार इस योजना के विस्तार पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—

जी हां ।

गाय, भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधाओं के "समन्वित विकास की योजना" कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

वर्ष १९९१-९२ में उक्त योजना के लिए रु० ५२.४५ लाख की धनराशि का उपयोग इन्सेमीनेटरों के प्रशिक्षण, उनको निर्वाह भत्ता दिये जाने, इकाइयों की स्थापना एवं आवश्यक उपकरणों आदि के क्रय में व्यय किया जायेगा ।

अभी तक योजना औपचारिक रूप से आरम्भ नहीं हो पायी है अतः भौतिक उपलब्धि का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण बांदा जनपद को लिया गया है । योजना स्वरोजगार पद्धति पर आधारित है । इस योजना हेतु वर्ष १९९१-९२ में २६ इन्सेमिनेटरों का प्रशिक्षण, उनको ३ माह के लिए निर्वाह भत्ता, २६ इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

८०-८१—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाये गये]

८२—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १८७ द्वारा उत्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के परगना पलिया कलां के ग्राम परसपुर के निवासी श्री अमृत लाल के प्रार्थना-पत्र को अग्रसारित किया जाना

८३—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ८१२/९१ अमृत लाल नि० परसपुर परगना पलियां कलां जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक ३-९-९१ को जिला मत्स्य निदेशक, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी हां ।

श्री अमृत लाल का प्रार्थना-पत्र तहसील निघासन में निस्तारण हेतु अग्रसारित कर दिया गया है । वैसे परगना पलिया कलां में स्थित ग्राम-परसपुर में कोई तालाब उपलब्ध नहीं है । मात्र एक नाला है जो वन विभाग के कब्जे में है । उक्त नाले का नीलाम वन विभाग द्वारा दिनांक २६-७-९१ को एक वर्ष हेतु श्री अब्दुल करीम ठेकेदार के पक्ष में निस्तारित किया जा चुका है ।

प्रभारी मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका गढ़वाल मण्डल पौढ़ी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन का मामला

८४–श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रभारी मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा जून, १९९१ के द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह में मुख्यालय पौड़ी में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अनुभव प्राप्त विशेष योग्यता रखने वाले कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? उनका पंजीकरण संख्या व दिनांक क्या है ? क्या यह सत्य है कि इस मण्डल में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए दूसरे मण्डल के अभ्यर्थियों को शासनादेश के विपरीत गढ़वाल मण्डल के अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके चयन किया गया है ? क्या यह सत्य है कि चयन समिति के २ सदस्य ३० जून, १९९१ को सेवा निवृत्त हो गये हैं ? क्या सरकार इस समिति के सदस्यों के विरुद्ध जांच करायेगी और इनकी पेंशन जमा राशि आदि का भुगतान जांच कार्य

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

६४

जनपदवार सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५७ पर)

जनपद गढ़वाल में कोटद्वार के परगनाधिकारी द्वारा ग्राम तिमली के साल एवं कुकाठ के पेड़ों का विक्रय किया जाना

८५–श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक १४-२-९१ पत्रांक २६७०/४१-७ लैंसडाउन (गढ़वाल) द्वारा परगनाधिकारी कोटद्वार जनपद गढ़वाल को ग्राम तिमली (वन पंचायत तिमली) के साल एवं कुकाठ के २६ पेड़ों के संबंध में एक पत्र दिया था ? यदि हां, तो इनमें साल के वृक्षों की संख्या कितनी थी ? साल की लकड़ी कुल कितने घनफुट थी ? इसका बाजार मूल्य

कितना रुपये था ? क्या यह सत्य है कि परगनाधिकारी कोटद्वार एक ठेकेदार से रु० २५,००० अवैध रूप से माल लेकर माल वन पंचायत की साल की लकड़ी मात्र ४,५५० रु० में बेच दी है ? क्या यह भी सत्य है कि वन पंचायत की इमारती लकड़ी के मूल्य का वास्तविक मूल्य से ५ प्रतिशत मात्र दर से बेचा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले कीं जांच विशेष विभागीय गुप्तचर प्रकोष्ठ द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार उक्त धनराशि जो साल की लकड़ी का वास्तविक मूल्य है, पर २० गुना जुर्माने की राशि के साथ परगनाधिकारी कोटद्वार से वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इनमें से साल के १६ वृक्ष थे ।

५८.४११ घनफुट साल की लकड़ी थी ।

इसका बाजार मूल्य रु० ३,४०० आंका गया ।

निर्धारित मूल्य के अनुरूप लकड़ी ४,५५० रु० में विक्रय हुई, जो आंकलित मूल्य से अधिक है ।

यह सही नहीं है क्योंकि इमारती लकड़ी आंकलित मूल्य से ३३.८ प्रतिशत अधिक मूल्य लेकर विक्रय की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्र के ग्राम मवई से कैसरबाग डिपो लखनऊ की बस सेवा का विवरण

८६–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) के ग्राम मवई को कैसरबाग डिपो लखनऊ से वर्ष ८९-९० में कितनी बस सेवायें थीं ? क्या सरकार अवगत है कि मवई के लिए लखनऊ से अप-डाउन करने वाली बस सेवा अक्सर अनियमित रही है और इस समय बन्द है ? क्या इस बस सेवा को पुनः चलाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मा० मंत्री जी को माह नवम्बर, ९१ में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यह सेवा १६-६-९० की तिथि से आरम्भ हुई थी जिसके दो अप व दो डाउन ट्रिप निर्धारित थे ।

जी हां । स्थानीय कठिनाईयों के कारण यह बस सेवा नियमित रूप से नहीं चल पा रही थी तथा उसे अगस्त, ९१ में बन्द कर दिया गया था ।

पूर्ण सन्दर्भ के अभाव में पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो पायी ।

इस सेवा को दिनांक १०-२-९२ से पुनः संचालित कर दिया गया है । यह बस सेवा अब नियमित रूप से संचालित हो रही है ।

८७- श्री विजय सिंह -

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

८८—श्री बाला प्रसाद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद के आदर्श जनता इण्टर कालेज, टाण्डा के सहायक अध्यापक श्री निर प्रसाद शर्मा द्वारा बिना अवकाश लिए बी० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण करने की शिकायत

८९—श्री लाल जी वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक बिना अवैतनिक अवकाश लिए हुए किसी विद्यालय में प्रवेश लेकर बी० एड० की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या आदर्श जनता इण्टर कालेज टाण्डा, जनपद फैजाबाद के सहायक अध्यापक निरप्रसाद शर्मा ने इस वर्ष ८९-९० में के० बी० महाविद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद से संस्थागत छात्र के रूप में बी० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि हां तो क्या उक्त अध्यापक तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी में साइंस कक्ष बनाने हेतु अनुदान देने की मांग

९०—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्राकुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी में साइंस कक्ष की कमी है ? यदि हां, तो क्या साइंस कक्ष बनाने हेतु अनुदान देने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के यहां से वर्ष ९०-९१ में सरकार के पास जांच करके आख्या प्रेषित हुई है ? यदि हां, तो क्या अब तक एक लाख रु० की सहायता दे दी गयी ? यदि नहीं दी गयी, तो क्या सरकार तुरन्त सहायता देगी ?

श्री राजनाथ सिंह—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के गांव सभा बरही नेवादा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धन का विवरण

९१–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा-बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना रुपया अब तक दिया गया है ? क्या यह सही है कि रुपये के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है और फर्जी भुगतान कागजात बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी पूरी जांच तथा कार्यों का सत्यापन करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह –

ग्राम सभा बरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कुल १८०७२७/- रुपये अवमुक्त किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । निश्चित शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के गांव सभा खरायन (भिखारीपुर) को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धन का विवरण

९२–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा खरायन (भिखारीपुर), ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी को कितना रुपया जवाहर रोजगार योजना में अब तक मिला है ? क्या यह सही है कि जितना रुपया मिला है उसके मुताबिक कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह –

ग्राम सभा खरायन (भिखारीपुर) ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी को वर्ष ८९-९० में १,०९,५६३.०० रुपये, वर्ष ९०-९१ में ९१,१८४.०० रुपये तथा वर्ष ९१-९२ (प्रथम किश्त) में ३१,७२४.०० रुपये कुल २,३२,४७१.०० रुपया जवाहर रोजगार योजना में अब तक अवमुक्त किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । निश्चित शिकायत प्राप्त होने पर जाच कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम गड़रिया के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना द्वारा प्राप्त धन का उपयोग

९३–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा अन्तर्गत ग्राम गड़रिया के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ? उक्त धन में अब तक कितने मीटर खड़न्जा डाला गया है ? यदि खड़न्जा चिमनी ईटा का है, तो उसका विवरण क्या है ? यदि पत्थर पटिया है, तो प्रति पटिया की लागत क्या है ? क्या कच्चे कार्य मानव श्रम द्वारा पूर्ण कराने की

तकनीकी जांच करायी गयी है एवं मस्टर रोल में अंकित मजदूरों को मजदूरी दी गयी है ? यदि हां, तो दोनों का अलग-अलग विवरण क्या है ? यदि मजदूरी नहीं भुगतान की गयी, तो क्यों ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा अन्तर्गत ग्राम गड़रिया के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कुल रु० ४,६७,३६९ की धनराशि दी गई है ।

उक्त धन से अब तक १०३५ मीटर खड़न्जा बिछाया गया है ।

८४० मीटर में १,३३,००० चिमनी का ईंटा लगा है जिस पर रुपया १,१०,१४६-५० व्यय हुआ है ।

पत्थर पटिया का खड़न्जा उक्त योजना में नहीं लगाया गया है ।

कच्चे कार्य मानव श्रम द्वारा पूर्ण कराने की तकनीकी जांच नहीं कराई गई है । मस्टर-रोल में अंकित मजदूरों को मजदूरी दी गई है ।

खड़न्जे हेतु ईंट का ही प्रयोग किया गया है अतएवं अलग-अलग विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

९४–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[५वें गुरूवार में अता० प्र० सं० १९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के परगना-पलिया के ग्राम सौनहा के निवासी श्री भज्जी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी श्री संतराम वर्मा के मध्य रुपये के लेनदेन की जांच

९५–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ११६७/९१ श्री भज्जी ग्रा० सौनहा, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक १८-९-९१ को ग्राम विकास अधिकारी श्री संतराम वर्मा द्वारा उक्त व्यक्ति से १४०.०० रु० लेकर रसीद न देने विषयक, जिलधिकारी लखीमपुर को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि दोषी पाये गये श्री संतराम वर्मा के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यावाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दोषी नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा विभिन्न प्रेसों से छपाई कार्य का विवरण

९६—श्री रमाकान्त यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर वर्ष १९९० तथा वर्ष १९९१ के ३१ अगस्त तक, माहवार कितने रुपये का छपाई का कार्य, किन-किन प्रेसों से कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि टेण्डर नहीं निकाले गये और मात्र एक प्रेस से मिली-भगत के कारण कोटेशन के आधार पर उसे काम दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

वांछित विवरण संलग्न है ।

संस्थान में दर्ज बारह प्रेसों से कोटेशन आमंत्रित कर टेण्डर समिति के निर्णयानुसार न्यूनतम दरों के आधार पर छपाई के कार्य दिये गये । संलग्न विवरण से यह स्पष्ट है कि मात्र एक ही प्रेस से कार्य नहीं कराये गये ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५८ पर)

श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ० प्र० पिछड़ा समाज के शिकायत पर कथित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

९७—श्री मारकण्डेय चन्द्र तथा श्री अकबर —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ० प्र० पिछड़ा/अनुसूचित/अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का पत्र दिनांक १९-४-८९ प्रावैधिक परीक्षक के पत्र संख्या-४३६/प्रा० प०-१/टी० ए० सी०/८९, दिनांक १५ फरवरी, १९८९ सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

श्री संकठा प्रसाद यादव के एक पूर्व शिकायती पत्र दिनांक २१-६-८८ में उन्हीं शिकायतों का उल्लेख था । उसके आधार पर विभागीय टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच करायी गयी थी । दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जा चुका है ।

कृत कार्यवाही का विवरण मा० राज्यमंत्री जी के कक्ष में देखा जा सकता है ।

९८—श्री हरिनरायन—

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १८८ द्वारा उत्तरित]

९९—श्री भगवती प्रसाद शुक्ला तथा श्री रवीन्द्र प्रताप—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद के लोक राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जसराना के प्रत्येक फण्ड में जमा धनराशि का विवरण

१००—श्री नेतराम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के लोक राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जसराना के छात्र निधियों के कितने और कौन-कौन से फण्ड हैं ? प्रत्येक फण्ड में कितना-कितना धन वर्तमान में किस-किस निधि में जमा है ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित विद्यालय में छात्र निधियों के १४ निम्नलिखित फण्ड हैं :-

१–रीडिंग रूम फण्ड
२–रेडियो फण्ड
३–खेलकूद फण्ड
४–परीक्षा फण्ड
५–प्रतिभूति (काशन मनी) फण्ड
६–पत्रिका फण्ड
७–इंक (स्याही) फण्ड
८–कला फण्ड
९–विज्ञान फण्ड
१०–विज्ञान (जूनियर सेक्शन) फण्ड
११–स्काउट फण्ड
१२–विज्ञान बचत फण्ड
१३–रेडक्रास फण्ड
१४–निर्धन छात्र फण्ड ।

उक्त १४ छात्र निधियों के फण्ड में दिनांक ३०-१-९१ की स्थिति के अनुसार उनके सम्मुख अंकित धनराशि जमा थी :–

क्र० सं०	खाते का नाम	बैंक में जमा धनराशि	तिजोरी में उपलब्ध धन	कुल जमा धनराशि
१	२	३	४	५
१	रीडिंग रूम	१,२५,६७७.७७	७६.९६	१,२५,७५४.७३
२	रेडियो	३४.५६२.६५	११.२७	३४.५७३.९२
३	खेलकूद	१६,७४३.३७	११७६.६२	१७,९१९.९९
४	परीक्षा	३०,२४७.८०	८२.५०	३८,३३०.३०
५	प्रतिभूति	६९,०३९.३१	३५.०८	६९,०७४.३९
६	पत्रिका	१६,५९९.८२	१०१.६८	१६,६११.५०
७	इंक	७,५०६.९९	१८.५७	०७,५२५.५६
८	कला	११,९२६.९०	८.५८	११,८३५.४८
९	विज्ञान	८६,४२७.६१	७४.८९	८६,५०२.५०
१०	विज्ञान (जू०)	१८,२२८.६५	८४.९९	१८,३१३.६४
११	स्काउट	२,९५६.२२	४८.६२	३,००५.४४
१२	विज्ञान क्लब	९७१.७३	८९.८३	९८१.५६
१३	रेडक्रास	१८,१२५.२५	३५.५२	१८,१६०.७७
१४	निर्धन छात्र	५,६३०.२९	२९.८२	५,६६०.११
	योग	४,५२,४५४.९६	१७९४.९३	४,५४,२४९.८९

अंग्रेजी शराब की दुकानों के खोले जाने के समय जिला प्रशासन द्वारा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना

१०१—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक, सामाजिक, मनोरंजन स्थलों, मिल, कारखानों मजदूर तथा हरिजन बस्तियों, सिंचाई व विकास परियोजनाओं के निर्माणाधीन स्थलों, औद्योगिक संस्थाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों बस व रेलवे स्टेशनों से कितनी दूरी पर खोलने का नियम बनाया गया है ? क्या इन नियमों को कड़ाई से अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

आबकारी मैनुअल खण्ड-१ के प्रस्तर-३२८(४) के प्राविधानों के अनुसार आबकारी की कोई नई दुकान अस्पताल/शिक्षण संस्थाओं/धार्मिक, सामाजिक मनोरंजन स्थलों/मिल कारखानों/बाजार/आवासीय स्थल, सार्वजनिक स्थल के सन्निकट न खोले जाने का प्राविधान है । उक्त नियम-३२८ के प्रस्तर (७) के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन से १/४ मील की दूरी के अन्दर आबकारी की नई दुकान संबंधित रेलवे प्रशासन को सूचित किये बिना खोलने पर प्रतिबन्ध है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में आई० टी० आई०, अमेठी के तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१०२—श्री तेजभान सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित माह जुलाई, १९९१ का प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र जिसमें जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत आई० टी० आई० अमेठी के तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे, प्राप्त हुआ है ? क्या इस मामले की जांच की गई है ? यदि हां, तो जांचकर्ता द्वारा की गई जांच कार्यवाही को क्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी हां । माननीय विधायक के पत्र में निहित शिकायतों की जांच उप निदेशक स्तर के अधिकारी से कराई गई जिस पर कतिपय स्पष्टीकरण आवश्यक हैं ।

जनपद वाराणसी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल के वरिष्ठ सहायक श्री पारस नाथ उपाध्याय द्वारा वित्तीय अनियमितता की शिकायत

१०३—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा, अनुसूचित-अल्प संख्यक समाज सुधार समिति का पत्र दिनांक १९-४-८९ जो श्री पारस नाथ उपाध्याय, वरिष्ठ सहायक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमंडल, वाराणसी द्वारा भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता के संबंध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री संकठा प्रसाद यादव के कथित पत्र दि० १९-४-८९ में संदर्भित पत्र दि० १८-१०-८८ प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१०४–श्री गंगा बख्श सिंह–

(दिनांक २८-२-९२ को अता० प्र० सं० १९६ द्वारा उत्तरित)

जनपद बाराबंकी की स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री द्वारा उत्पादन क्षमता के आधार पर बिक्रीकर की अदायगी

१०५–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री, जनपद-बाराबंकी अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप बिक्रीकर की अदायगी कर रही है ? यदि हां, तो उत्पादन क्षमता और बिक्रीकर अदायगी का आनुपातिक आंकलन क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(१) बिक्रीकर की अदायगी उत्पादन क्षमता के अनुरूप न होकर वास्तविक उत्पादन तथा उसके विरुद्ध बिक्री पर होती है ।

(२) इकाई की उत्पादन क्षमता १८०० मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है । इकाई द्वारा विभिन्न वर्षों में निम्न प्रकार उत्पादन तथा बिक्री दिखाई गई है :-

वर्ष	उत्पादन (किलोग्राम में)	कुल विक्रय धन (लाख रु० में)	जमा कर/करमुक्त
८४-८५	६,११,०४६.१२०	९७.३५	----
८५-८६	११,७९,२२२.९८०	४३.२७	---
८६-८७	१३,४६,४२३.५४०	१८५.८६	---
८७-८८	१६,१०,०७४.९६०	२०५.९७	---
८८-८९	१७,३७,७४४.९४०	२१७.०५	---
८९-९०	१८,०५,५४७.३४०	२२८.३१	६.९८
९०-९१	२१,६१,७२१.३००	२८५.३१	२२.७२
९१-९२ (दिसम्बर-९१ तक)	१५,३०,३७६.४००	३२१.५५	१६.३८

उक्त औद्योगिक इकाई को दिनांक २५-८-८९ तक बिक्रीकर-छूट का लाभ अनुमन्य था ।

१०६–श्री किशोरी लाल यादव–

(४थे सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद गोण्डा के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार

१०७–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा में कौन-कौन सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता वर्ष १९८० से कार्यरत हैं और इसमें कितने अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उ० प्र० के स्तर से १९८५ से नवम्बर, १९९१ तक कितनी बार हुआ और कितनी बार स्थगित किया गया ? क्या सरकार ऐसे अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार कर रही है जिनका कार्यकाल जनपद गोण्डा में पांच वर्ष से अधिक हो गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वर्ष १९८० से कोई भी सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का कार्यरत नहीं है, लेकिन निम्न अवर अभियन्ता सम्मुख अंकित वर्ष से कार्यरत हैं :–

१–श्री भिखुल्ला सिद्दीकी, अवर अभियन्ता, ग्रा० अ० से०, दिनांक २३-१०-७९ से ।

२–श्री अरुण कुमार अस्थाना, अवर अभियन्ता, ग्रा० अभि० सेवा दि० १८-३-८० से ।

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के स्तर से वर्ष १९८५ से नवम्बर, १९९१ तक उपरोक्त दोनों अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण क्रमशः २ बार एवं १ बार किया गया तथा उक्त आदेश अब तक स्थगित नहीं हुए हैं ।

उक्त अवर अभियन्ताओं को कार्यमुक्त करने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

शासन की वर्तमान नीति अवर अभियन्ता को एक जनपद में ७ वर्ष तक रखने की है । इस नीति के अनुसार स्थानान्तरण के लिए परिपक्व अवर अभियन्ताओं के विषय में स्थानान्तरण सत्र के समय विचार किया जायेगा ।

१०८–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम रामपुर के निर्बल आवास, इन्दिरा आवास व शौचालय निर्माण में हुए कथित घोटाले की जांच

१०९–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम रामपुर ब्लाक जसपुरा के निर्बल आवास इन्द्रा आवास व शौचालय में हुए घोटाले संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक ६-९-९१ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, फिर भी जनपद बांदा के ग्राम रामपुर ब्लाक जसपुरा के निर्बल वर्ग आवास, इन्दिरा आवास व शौचालय में हुए कथित घोटाले की जांच हेतु जिलाधिकारी बांदा को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के जवा योजना के अन्तर्गत फर्जी मस्टर रोल बनाकर तथा मार्गों को नव निर्मित दिखाकर धनराशि निकालने की शिकायत

११०–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को संबोधित रजिस्टर्ड पत्र दिनांक २३-८-९० प्राप्त हुआ है, जिसमें अरगवां पचेहरी, सकरावां-पण्डरी, राम शाहपुर से हरदोइया मार्ग जिला सुल्तानपुर में, पूर्व में बनी खाद्यान्न योजना की सड़कों पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा-सुल्तानपुर द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर तथा मार्गों को नवनिर्मित दिखाकर पैसा निकालने संबंधी शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित अरगवां से पचेहरी मार्ग इस विभाग में न तो स्वीकृत हुआ है और न ही इस पर कोई कार्य कराया गया है । शेष दो मार्गों के प्राक्कलन बनाते समय पहले से ही उपलब्ध मात्रा का समायोजन करने के उपरान्त दी गयी स्वीकृति के अनुरूप नियमानुसार कार्य कराया गया है । मार्गों को प्राक्कलन में नवनिर्मित नहीं दिखाया गया है ।

अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

१११–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष १९९०-९१ में कराये गये कार्यों का विवरण

११२–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील में वर्ष १९९०-९१ में तथा नवम्बर, ९१ तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आगरा द्वारा किन-किन मार्गों का अर्थ वर्क तथा पुलिया स्तर तक का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा प्रत्येक मार्ग पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्गों के निर्माण में निर्धारित लम्बाई तथा मानकों के विपरीत कार्य करके बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों की टी० ए० सी० से जांच करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील में विकास खण्ड खदौली एवं एत्मादपुर में वर्ष १९९०-९१ में तथा नवम्बर, ९१ तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आगरा द्वारा कुल ११.१६ कि०मी० अर्थ वर्क तथा १७ पुलियों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है । कराये गये कार्यों का विवरण एवं मार्गवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५९ पर)

जनपद मिर्जापुर की तहसील लालगंज के पतुलकी गांव की वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

११३–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के लालगंज तहसील के पतुलकी गांव में वन भूमि संख्या–४७७ एवं ५१३ का विनिमय किया जाना विधिसंगत है ? यदि हां, तो उक्त भूमि जो धारा–२० के तहत गजट है, उसके विनिमय का सक्षम प्राधिकारी कौन होता है ? क्या यह सच है कि उस वन भूमि में मौके पर केशरीकोल, गुण्डकोल, शम्भू कोल, तमनिहोर कोल, बसन्त कोल, बुद्धू कोल, खेलावन कोल, राम जतन कोल, गिरजा कोल, राम प्रसाद हरिजन, छोटवां हरिजन, भूंवर हरिजन, शिवकरन यादव, राम नरायन यादव, विधवा सोनिया कोल, काबिज एवं आबाद हैं ? यदि हां, तो खसरा में बलराम, अखिलेश सिंह का कब्जा दिखाये जाने का औचित्य क्या है ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इस वन भूमि विनिमय प्रक्रिया की सक्षम प्राधिकारी से जांच कराकर उसे निरस्त कर, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही करेगी और मौके पर वन भूमि अपहरण को रुकवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मिर्जापुर के लालगंज रेंज के पतुलकी गांव में वन भूमि संख्या–४७७ एवं ५१३ का विनिमय किया जाना विधिसंगत नहीं है ।

धारा–२० में विज्ञापित उक्त वन भूमि के विनिमय के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार है ।

यह सत्य है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित उक्त गाटों पर हरिजन आदिवासियों का अतिक्रमण पाया गया, जिन्हें बेदखल करने की कार्यवाही भी प्रस्तावित है ।

धारा–२० में विज्ञापित उक्त वन भूमि पर बलराम, अखिलेश सिंह का कब्जा दिखाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इस विनिमय के लिए वन बन्दोबस्त अधिकारी जिम्मेदार है ।

इस वन भूमि विनिमय प्रक्रिया की जांच सक्षम प्राधिकारी से करा ली गयी है और उक्त गाटों पर वृक्षारोपण कार्य कराकर अतिक्रमित भूमि को खाली कराने की योजना बनायी गयी है । उक्त खसरा में बलराम व अखिलेश सिंह के पक्ष में वन बन्दोबस्त अधिकारी मिर्जापुर द्वारा पारित विनिमय आदेशों के विरुद्ध जिला जज मिर्जापुर के न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है ।

ऊंचडीह दोहथा से वाराणसी तक बस सेवा चालू किये जाने की मांग

११४–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऊंचडीह दोहथा से वाराणसी बस सेवा संचालन किये जाने के बावत श्री तीरथ राज, विधायक का पत्र दिनांक ५ जुलाई, १९९१ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मिर्जापुर डिपो की एक बस सेवा उक्त स्थल के लिए संचालित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्णित मार्ग का ऊंचडीह से हाटा तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है । अतएव निगम की वर्तमान नीति को दृष्टिगत रखते हुए अराष्ट्रीयकृत मार्गों वाले मार्ग पर बस संचालन सम्भव नहीं है ।

गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा के मुख्यालय परिसर में तीसरी बोरिंग कराये जाने के कारण

११५–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा मुख्यालय के परिसर में कर्मियों के पानी पीने तथा पौध शाला की सिंचाई हेतु दो बोरिंग पहले से थीं ? यदि हां, तो तीसरी बोरिंग कराने का क्या कारण है ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । पुरानी बोरिंग के अक्षम होने के कारण तीसरी बोरिंग की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम द्वारा वाराणसी व जौनपुर से कानपुर को जाने वाली बसों की नियमित चेकिंग

११६–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी व जौनपुर की कितनी बसें कानपुर को जाती हैं ? क्या सरकार जुलाई, ९१ से १५ नवम्बर, ९१ तक की इनकम व इसके वेबिल व टिकटों की जांच करेगी ? क्या सरकार बस नं–९४२१, यू० एम० एच० जो जौनपुर से वाराणसी नान स्टाप चलने वाली गाड़ी है, की इनकम व वेबिल तथा टिकटों की जांच जुलाई ९१ से १५ नवम्बर, ९१ तक की, करायेगी ? क्या यह सही है कि बस नं०–९४२१ यू० एम० एच० जौनपुर से वाराणसी तक ए० टी० आई० के रोकने पर भी चेकिंग के लिए नहीं रोकी जाती है ? क्या इस बस पर कभी १०, कभी ३ टिकट ही जारी किया जाता है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र की वाराणसी व जौनपुर से १५ बसें कानपुर के लिए संचालित हैं ।

यह जांच नियमित रूप से कराई जाती है । बस संख्या यू० एम० एच० ९४२१ जुलाई, ९१ से १५ नवम्बर, ९१ के मध्य जौनपुर, वाराणसी मार्ग पर नान स्टाप सेवा न होकर यात्री सेवा के रूप में संचालित रही है तथा अन्य मार्गों पर भी संचालित हुई है । इस बस में प्रयुक्त मार्ग पत्रों की जांच नियमित रूप से हुई है ।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, जौनपुर के संकेत देने पर यह बस एक बार नहीं रुकी थी, जिस घटना के आधार पर विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

११७—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

[२रे मंगल में अता० प्र० सं० १९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी सूत मिल बाराबंकी में अपंग श्री राम नारायण को स्थायी असमर्थता का हित लाभ दिया जाना

११८—श्री दलबीर सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमिक कानून में किसी मिल/फैक्ट्री में कार्यरत किसी श्रमिक की कार्य के दौरान अपंगता/मृत्यु के कारण, क्या-क्या सुविधायें, अहेतुक सहायतायें, विकलांग/मृतक आश्रित को देय हैं ? क्या उनको जानकारी है कि श्री राम नारायण पुत्र श्री गया प्रसाद, स्केपर टेन्टर, प्लांट नं०-३, सरकारी सूत मिल बाराबंकी का पूरा दाहिना हाथ, कार्य के दौरान मशीन में फस कर दिनांक ११-४-१९८४ को कट गया था ? यदि हां, तो वर्ष ५/१९७८ (मई, ७८) से उक्त मिल में कार्यरत तथा दुर्घटना में अपंग हो गये उक्त श्रमिक को, क्या-क्या सुविधायें/अहेतुक सहायतायें, सरकार/मिल प्रबन्धकों द्वारा दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को अपंगता के अनुशरण मिल में कार्य न देकर, उसे सेवा से पृथक भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उसे पुनः किसी सेवा में मिल प्रबन्धकों द्वारा लिए जाने हेतु शासन स्तर से आदेश दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

ऐसे मामलों में श्रमिक की कार्य के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप अपंगता/मृत्यु की स्थिति में विकलांग श्रमिक/मृतक श्रमिक के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ, जीवन पर्यन्त स्थाई असमर्थता हितलाभ एवं आर्थिक हितलाभ आदि दिये जाने के प्राविधान हैं । परन्तु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकित व्यक्तियों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा ।

जी हां ।

श्री राम नारायण के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आवर्त होने की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा चिकित्सा लाभ/सुविधा दी गयी तथा स्थायी असमर्थता हित लाभ दिया जा रहा है, जो उसे जीवन पर्यन्त मिलता रहेगा ।

जी हां ।

क्योंकि अपंगता के कारण श्रमिक प्रतिष्ठान में कोई कार्य करने योग्य नहीं है । अतः शासन द्वारा मिल प्रबन्धकों को सेवा में लिए जाने हेतु निर्देश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा मार्गों की मरम्मत

११९—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एत्मादपुर तहसील में सन् १९९०-९१ में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आगरा द्वारा किन-किन मार्गों की मरम्मत तथा शुद्धीकरण किया गया तथा इन पर

कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सत्य है कि मरम्मत तथा शुद्धीकरण के नाम पर लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों की जांच टी० ए० सी० से कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद आगरा के एत्मादपुर तहसील में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष १९९०-९१ में जिन-जिन मार्गों की मरम्मत तथा शुद्धीकरण के कार्य कराये गये हैं, उनके विवरण व्यय मार्गवार संलग्न हैं।

जी नहीं। ऐसा कोई तथ्य शासन के संज्ञान में नहीं आया।

किसी विशिष्ट शिकायत के अभाव में प्रश्न पैदा नहीं होता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६० पर)

जनपद आगरा के एत्मादपुर में मार्गवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण

१२०–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील के खन्दौली से गिजौली मार्ग, एत्मादपुर से देवखेड़ा वाया पवारी मार्ग तथा बरहन से नगला गिरजी वाया खेड़ी-कुरगवां मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आगरा द्वारा सन् १९७८-७९ में शुरू हुआ था ? यदि हां, तो अब तक प्रत्येक मार्ग पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त मार्गों कें अब तक लेपन स्तर तक पूरे न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

मार्गवार व्यय की गयी धनराशि निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	मार्ग का नाम	व्यय की गयी धनराशि (लाख रु० में)
१.	खन्दौली से गिजौली मार्ग	४.७४१
२.	ऐत्मादपुर से देवखेड़ा वाया पवारी मार्ग	३.५४०
३.	बरहन से नगला सिरजी वाया खेड़ी-कुरगवां मार्ग	१.३८०
	योग	९.६६१

लेपन स्तर तक का कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं है।

दुग्ध आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रखे गये अधिकारियों को मूल विभाग में वापस करने की मांग

१२१–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध आयुक्त कार्यालय लखनऊ में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर रखे गये हैं ? क्या प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने पर भी दुग्ध आयुक्त कार्यालय में उन्हें रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?' क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

दुग्ध आयुक्त कार्यालय में सांख्यिक के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कृषि विभाग के एक योग्य एवं अनुभवी अधिकारी की सेवायें प्राप्त की गयी हैं। सांख्यिक का पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत है तथा इसे नियमान्तर्गत पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्राविधान है। इस पद को नियमानुसार विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाने हेतु चयन के लिए

पात्र अभ्यर्थी अभी भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। चयन हेतु समुचित पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर इस पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति करके वर्तमान अधिकारी को उनके मूल विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरदोई द्वारा विकास खण्ड अहिरोरी को आवंटित धनराशि में से व्यय और अवशेष धनराशि का विवरण

१२२—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरदोई को वित्तीय वर्ष १९८०-८१ से १९९०-९१ तक शासन द्वारा कितना धन आवंटित किया गया जिसमें से विकास खण्ड अहिरोरी को वर्षवार प्राप्त धन में से कितना धन खर्च किया गया और अब तक कितना अवशेष बचा ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरदोई को वित्तीय वर्ष १९८०-८१ से १९९०-९१ तक शासन द्वारा मु० ९११७.८३२ लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी। आवंटित धनराशि में से विकास खण्ड अहिरोरी को वर्ष १९८०-८१ से ९०-९१ तक विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराये जाने हेतु मु० ३१२.२११ लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त की गयी धनराशि में से विकास खण्ड अहिरोरी द्वारा मु० २९४.६४२ लाख रुपये का व्यय किया गया तथा मु० १७.५६३ लाख रुपये अवशेष रहा था, जो वर्ष १९९१-९२ में व्यय किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना के कतिपय ग्रामों हेतु जवाहर रोजगार योजना द्वारा आवंटित धनराशि का विवरण

१२३—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक, कछौना स्थित ग्राम सभा कलौली, महरी, कटका, तुसौरा व मरेउरा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष १९८९-९० व १९९०-९१ में कितना धन शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया ? क्या उसमें से संबंधित ग्राम प्रधानों द्वारा योजनानुसार कराये गये कार्यों पर हुए व्यय की जांच कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले ग्राम प्रधानों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम सभाओं में वर्ष १९८९-९० व १९९०-९१ में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का आवंटन/व्यय विवरण निम्न प्रकार है :—

ग्राम सभा का नाम	८९-९०	९०-९१
१—कलौली आवंटन	१.५४८	१.६१७
व्यय	१.५४७	१.५७४
अवशेष	०.००१	०.०४३

२–महरी	आवंटन	१.८०३	१.७७७
	व्यय	१.७८६	१.७७२
	अवशेष	०.०१७	०.००५
३–कटका	आवंटन	०.४२७	०.५३५
	व्यय	०.४२६	०.५३९
	अवशेष	०.००१	–––
४–तुसौरा	आवंटन	१.९२२	२.१७४
	(टिकारी) व्यय	१.८३०	२.१४२
	अवशेष	०.०९२	०.०३२
५–मरेउरा	आवंटन	०.४२७	०.५१०
	व्यय	०.४२३	०.२८८
	अवशेष	०.००४	०.२३०

कराये गये व्यय का सत्यापन कराया गया है ।

धन के दुरुपयोग की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी दुग्ध संघ के माध्यम से क्रय व विक्रय किये जाने वाले दूध का मूल्य निर्धारित करने की मांग

१२४–डा० बृजभान यादव–

क्या सहकारिता मंत्री को यह जानकारी है कि उ० प्र० सहकारी दुग्ध संघ के माध्यम से जो दुग्ध समितियां स्थापित की गयी हैं और जो दुग्ध उत्पादकों से ४.५०-६.५० रु० प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती हैं निर्मित पशु आहार, घी तथा दूध से बने अन्य सामग्रियों का दाम असंतुलित ढंग से लिया जाता है ? यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने तथा वर्तमान बाजार भाव से सामंजस्य स्थापित करते हुए क्या सरकार किसानों से लिए गए दूध की दर भी बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी नहीं । दूध की उपलब्धता, उपार्जन, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति व्यय, बाजार स्पर्धा एवं उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति आदि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूध के क्रय तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों के विक्रय मूल्य क्षेत्रीय स्तर पर दुग्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्वयं निर्धारित किये जाते हैं । इसी प्रकार संतुलित पशु आहार का विक्रय मूल्य भी संबंधित सहकारी संस्थायें "बिना लाभ हानि" के आधार पर स्वयं ही नियत करती हैं । इन मूल्य निर्धारणों में शासन का हस्तक्षेप नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१२५–श्री किशन गोपाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा में वर्ष १९८९-९० में आबकारी विभाग को प्राप्त राजस्व एवं हानि का विवरण

१२६–श्री किशन गोपाल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जिला आगरा में वर्ष ८९-९० में लगभग १५ करोड़ का ठेका आबकारी विभाग का उठाया गया और प्रदेश से बिक्री हेतु केवल ४ करोड़ के लगभग शराब खरीदी गयी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ठेकेदारों ने प्रदेश की राजस्व की हानि करके दूसरे प्रदेश से एक्साइज ड्यूटी बचाकर शराब मंगाकर बेची है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश की राजस्व की हानि करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए प्रदेश को हुई राजस्व की हानि को इनसे वसूला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं । जिला आगरा में वर्ष ८९-९० में देशी शराब व विदेशी मदिरा का ठेका आबकारी विभाग द्वारा रुपये ११,९९,१२,००० में स्वीकृत किया गया था और ठेकेदारों द्वारा बिक्री हेतु रुपये ३,५८,३२,५१३ की देशी शराब व रुपये १०,३७,९७,८२० की विदेशी मदिरा अर्थात् कुल रुपये १३,९६,३०,३३३ की शराब क्रय की गयी । यह गलत है कि ठेकेदारों ने प्रदेश की राजस्व की हानि करके दूसरे प्रदेश से एक्साइज ड्यूटी बचाकर शराब मंगाकर बेची हो । अतः प्रदेश को राजस्व की हानि नहीं हुई है एवं ठेकेदारों के खिलाफ इस बिन्दु पर कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय मार्गों पर सायंकालीन बस सेवा शुरू करने की मांग

१२७–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० परिवहन निगम, मिर्जापुर डिपो की मिर्जापुर बरौधा माण्डा रोड, मिर्जापुर मनिगढ़ा हलिया गड़बड़ा दीपनगर, बरकठ हनुमना, बस सेवा संचालन बाबत यू० पी० जर्नलिस्ट्स यूनियन के महामंत्री श्री शशि भूषण दूबे का पत्र दि० १५ जुलाई, १९९१ राज्य के पूर्व गृह मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित (विधायक) की अनुशंसा सहित निगम मुख्यालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी मिर्जापुर बरौधा माण्डा एवं मनिगढ़ा की सायंकालीन बसें प्राथमिकता के आधार पर संचालन का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

उक्त पत्र में मिर्जापुर बरौधा माण्डा, मनिगढ़ा, हलिया वाया गडबड़ा मार्ग पर सायंकालीन बस सेवाओं की मांग की गयी थी । इन मार्गों पर बस संचालन की स्थिति निम्नवत् है :–

मिर्जापुर से मनिगढ़ा सेवा का ट्रिप अपराह्न में १४.०० बजे तथा मिर्जापुर से हलिया सेवा का ट्रिप १८.०० बजे संचालित है । मनिगढ़ा सेवा द्वारा गड़बड़ा के यात्री गड़बड़ा मोड़ से यात्रा सुविधा प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार से मिर्जापुर से सिरसी के लिए ट्रिप १६.०० बजे तथा ददरी के लिए ट्रिप १७.०० बजे संचालित है । इन सेवाओं से दीपनगर के यात्री लाभान्वित होते हैं ।

मनिगढ़ा, हलिया, गड़बड़ा, दीपनगर अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित हैं । इन मार्गों की वर्तमान आय, बस बेड़े व वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन पर इसके अतिरिक्त सेवायें चला पाना सम्भव नहीं है । मिर्जापुर-बरौधा माण्डा सेवा पूर्व में संचालित थीं, परन्तु इसकी असन्तोषजनक आय व लिंक सेवायें उपलब्ध होने के कारण इसे बन्द कर दिया गया था ।

वर्तमान में निगम की नीति अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर नयी बस सेवा चलाने की नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के परिवहन डिपो में कार्यरत लिपिक के स्थानान्तरण की मांग

१२८–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० परिवहन, मिर्जापुर डिपो में कार्यरत लिपिक उसी डिपो में लम्बी अवधि से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन लिपिकों की लम्बी अवधि से एक ही डिपो में सेवारत रहने के कारण शीघ्र ही गैर परिक्षेत्र में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतः लिपिकों का स्थानान्तरण अन्य डिपो/परिक्षेत्र में किये जाने की नीति नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मिर्जापुर डिपो के चालक/परिचालकों के मेडिकल लीव स्वीकृत व बकाये वेतन के भुगतान न करने का कारण

१२९–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० नि० मिर्जापुर डिपो में कितने कर्मचारियों का मेडिकल लीव, इन्क्रीमेंट, अवकाश स्वीकृत न किये जाने का मामला अप्रैल, ९१ से लम्बित पड़ा है ? उन कर्मचारियों का नाम क्या-क्या है ? उनके प्रार्थना-पत्र पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ? क्या मिर्जापुर डिपो से कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य बकाये का भुगतान निर्धारित समय से सुनिश्चित हो पाता है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार कर्मचारियों को समय से उनके भुगतान न किये जाने हेतु दोषी अधिकारी को निलम्बित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मिर्जापुर डिपो के २५ चालक एवं १४ परिचालकों का मेडिकल लीव का मामला लम्बित है । २३ चालक एवं ३० परिचालकों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है ?

इन कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक[+] में दिया गया है ।

प्रश्नगत कर्मचारियों के तत्संबंधी प्रार्थना-पत्रों पर अब तक कार्यवाही न किये जा सकने का विवरण निम्नवत् है :–

> २५ चालक एवं १४ परिचालक बिना किसी सूचना के लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं एवं नियमानुसार इन्हें आरोपित किया गया है । अतः इनका अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सका है । ६ चालक एवं २० परिचालकों को विभिन्न आरोपों में मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित किया गया है । अतः इनकी वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं स्वीकृत की गयी है । ३ चालक एवं ३ परिचालक लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं अतः इनकी वार्षिक वेतन-वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है । ११ चालक एवं ६ परिचालकों की वार्षिक वेतन-वृद्धि विभिन्न आरोपों में रोकी गयी है । ३ चालक एवं १ परिचालक निलम्बित/आरोपित हैं । अतः इनकी वार्षिक वेतन-वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

मिर्जापुर डिपो के कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान निर्धारित समय पर ही किया जाता है । बकाये का भुगतान क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया जाता है । जिसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[+] छापा नहीं गया ।

जनपद मिर्जापुर के लालगंज मार्ग पर अवैध वाहनों का संचालन

१३०—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर में लालगंज मार्ग पर कितने ४०७ टाटा माडल मिनी बसें चलायी जा रही हैं ? इनमें कितनी मिनी बसों को परमिट मिला है और कितने अवैध रूप से संचालित हैं ? क्या यू० पी० ६३/३७०७/यू०पी० ६३/१८३४ यू० पी० ६३/३०४९-यू० पी० ६५/१४०४८-यू० पी० ६३/३०८५-यू० पी० ६५/२०६५-यू०पी० ६५/१९६९ यू० पी० ६३/३४५७-यू०पी०६३/१९६७/यू०ए०डी० ४५२१/यू०एम०जेड० ८९५५/य०एम०जेड० ८९५१/यू०पी० ६५/३१५१/यू०पी० ६३-३२५५ यू०वी०जी० ८९७५/यू०पी० ६३-१८५५/यू०पी० ६३-३६११/यू०पी० ६३-४४६५/यू०ए०क्यू० ९२५१ वाहन संख्या को उक्त मार्ग पर चलने का परमिट दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन अवैध वाहन पर बकाये टैक्स की वसूली कर अवैध रूप से इनके संचालन को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

जी हां । मिर्जापुर-लालगंज मार्ग पर कुल ३७ वाहनें (टाटा–४०७ माडल मिनी-बस) चलती पायी गयीं हैं, जिनमें से केवल २१ वाहनें परमिट से आच्छादित हैं, शेष १६ वाहन बिना परमिट संचालित होती पायी गयी हैं ।

जी नहीं । प्रश्न में उल्लिखित १९ वाहनों में से केवल निम्न ८ वाहनों को परमिट दिया गया है :—

(१) यू०पी०–६३/३७०७
(२) यू०पी० ६३/३०४९
(३) यू०पी० ६३/३४५७
(४) यू०पी०–६३/१९६७
(५) यू०ए०डी०–४५२१
(६) यू०पी०–६३/३२५५
(७) यू०पी० ६३/१८५५
(८) यू०पी०–६३/३६११

शेष ११ वाहनों में से निम्न १० वाहनें बिना परमिट हैं :—

(१) यू०एम०जेड०–८९५५
(२) यू०एम०जेड०–८९५१
(३) यू०वी०जी०–८९७५
(४) यू०पी०–६३/४४६५
(५) यू०ए०क्यू०–९२५१
(६) यू०पी०–६५/४०४८
(७) यू०पी०–६५/२०६५
(८) यू०पी०–६५/३१५१
(९) यू०पी०–१९६९
(१०) यू०पी०–६३/१८३४

प्रश्न में उल्लिखित उन्नीस में से एक वाहन संख्या यू०पी०–६३/३०८५ स्कूटर है न कि मिनी बस ।

उक्त बिना परमिट १० वाहनों में से वाहन संख्या यू०पी०-६५/४०४८ व यू०एम०जेड०-८९५१ पर यात्रीकर निर्धारण की वसूली की कार्यवाही की गयी है । शेष ८ वाहनों के प्रति यात्रीकर निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है तथा सभी अवैध वाहनों का संचालन रोकने हेतु नियमानुसार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के प्रविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर हेतु परिवहन निगम की नई बसें देने की मांग

१३१-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में रोडवेज बसों में से ३९ बसें उनका कार्य अवधि माइलेज पूरा होने के बावजूद चला रहे हैं तथा नयी बसें नहीं दी जा रही हैं ? क्या सरकार नई बसें जनपद फतेहपुर में देगी ? यदि देगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

दिनांक ३१-१-९२ की स्थिति के अनुसार फतेहपुर डिपो में ७४ वाहनों का बस बेड़ा है । इन वाहनों में केवल ४ वाहनें ऐसी हैं जो माइलेज की शर्तों को पूर्ण कर चुकी हैं, परन्तु उन्हें चलाया जा रहा है ।

माइलेज पूर्ण करने मात्र से गाड़ी सेवा से नहीं हटाई जाती हैं निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु यह शर्त अनिवार्य है परन्तु पर्याप्त नहीं । निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने पर बस सेवा से हटा दी जाती है ।

सामान्यतः जैसे-जैसे बसें निष्प्रयोज्य घोषित होती हैं, उनके स्थान पर नई बस की व्यवस्था की जाती है ।

जनपद फतेहपुर के बस स्टेशन पर उपलब्ध सुविधा

१३२-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के बस स्टेशन पर न तो बैठने के लिए कुर्सी न बेंच न पीने का पानी उपलब्ध है ? क्या सरकार बस स्टाप संबंधी उक्त दशा शीघ्र सुधार कर कार्यान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

फतेहपुर बस स्टेशन पर उपलब्ध यात्री शेड में बैठने के लिए बेंच व पीने के पानी हेतु इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प उपलब्ध है ।

१३३-श्री राम आसरे वर्मा-

[उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के कारण हटाया गया]

जनपद आगरा/फिरोजाबाद सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि का विवरण

१३४-श्री चन्द्रभान मौर्य-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद तथा आगरा में वर्ष १९९०-९१ तथा १९९१-९२ में अब तक कितनी-कितनी धनराशि सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत खर्च की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन जनपदों में इस कार्य के नाम पर बड़े पैमाने पर [illegible] गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त घोटाले की उच्च तकनीकी अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में वर्ष १९९०-९१ में ६९.५० लाख रु० एवं १९९१-९२ दिसम्बर माह तक ३३.८२ लाख रु० व्यय किये गये तथा जनपद आगरा मे वर्ष १९९०-९१ में ८१.९७ लाख रु० एवं १९९१-९२ दिसम्बर माह तक ३८.५७ लाख रु० व्यय किये गये ।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में वन विभाग के अन्तर्गत घोटाले का मामला संज्ञान में नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनान की जांच आख्या पर कार्यवाही

१३५–श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० अगस्त, १९८६ को जि० वि० नि०, गोण्डा ने जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा की जांच आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या क्या थी ? जांच आख्या में जो मान्य अध्यापकों की सूची प्रकाशित करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गयी है क्या वह सही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त सूची में राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मार्च, १९९१ तक उन अध्यापकों का वेतन भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा द्वारा सूची में संशोधन किया जा रहा है ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१३६–श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा का उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा वर्ष १९८६ में स्पेशल आडिट कराया गया था ? यदि हां, तो क्या लगभग १५ लाख रुपये का गबन संस्थाधिकारियों द्वारा किया जाना प्रकाश मे लाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए शासन को वर्ष १९८६ से लेकर वर्ष १९८९ तक अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त आडिट रिपोर्ट पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के तिरहार व रामपुर ग्रामों में बनगायों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जाना

१३७–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के जसपुरा ब्लाक अन्तर्गत तिरहार, रामपुर आदि गांवों में २०० बनगायों का झुण्ड घूमता रहता है तथा किसानों की फसलों का लगातार नुकसान करता है ? क्या इस संबंध में किसान मोर्चा द्वारा १९ नवम्बर, ९१ को जसपुरा ब्लाक के सामने प्रदर्शन/धरना करके अन्य मांगों के साथ २०० बनगायों को पकड़ने की व्यवस्था हेतु ज्ञापन बी० डी०

ओ० जसपुरा को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रधान रामपुर ने भी शिकायतें दी हैं ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह २०० बनगायों का झुण्ड दस वर्ष पूर्व करीब ५० की संख्या में पहाड़ से आया था और वह बढ़ते-बढ़ते अब दो सौ का हो गया है ? यदि हां, तो क्या इन गायों को पकड़ कर पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । ज्ञापन को जिलाधिकारी बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

प्रश्नगत वनरोजों के मूल आवास एवं मूल संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नील गायों (वनरोजों) को पकड़कर पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से समस्या का समाधान न होकर मात्र एक क्षेत्र की समस्या को दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा ।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी, घिरोर व बरनाहक में कन्या हाई स्कूल खोलने की मांग

१३८–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड किशनी में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो मैनपुरी जनपद के तीन विकास खण्ड, किशनी, घिरोर व बरनाहक में कन्या हाई स्कूल खोलने के कार्य को अब तक प्रारम्भ न करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही पूरी करके स्कूल का निर्माण कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

अपेक्षित पदों के सृजन के अभाव में अब तक विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं ।

पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है ।

समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का दिया जाना

१३९–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को ५० रु०, १०० रु० पारिश्रमिक बतौर वेतन दिया जा रहा है और विद्यालयों के अन्य चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को रु० ७५०–९४० का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो विद्यालयों के सफाई कर्मचारियों को उपरोक्त वेतनमान और सुविधायें न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण किये जाने और उन्हें रु० ७५०–९४० का वेतनमान दिये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

राजाज्ञा दिनांक ४-१०-१९८९ द्वारा सभी नियमानुसार मान्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिनमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव को टी० ए० बजट का आवंटन

१४०–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष ९० में उन्नाव जिले के विकास विभाग मुख्यालय में टी० ए० बजट किस माह पहुंचा है ? उस धन का विकास खण्डों व अधीनस्थ कार्यालयों में वितरण कब हुआ ? क्या यह सच है कि उक्त धन वर्ष ९० में पहुंचा और वितरण मार्च, ९१ में किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो किस पर और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से वर्ष ९०-९१ में व्यय हेतु टी० ए० का बजट माह मई, ९०, सितम्बर, ९० तथा मार्च, १९९१ में जिला विकास कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

प्राप्त धनराशि का वितरण माह जुलाई, ९०, अक्टूबर, ९० तथा मार्च, ९१ में विकास खण्डों को किया गया ।

माह अप्रैल, ९० से मार्च, ९१ तक के वित्तीय वर्ष ९०-९१ में धन का आवंटन आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से तीन किश्तों में प्राप्त हुआ जिसका वितरण विकास खण्डों को तीन किश्तों में किया गया । इस प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१४१–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात वरिष्ठ वित्त एंवं लेखाधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

१४२–श्री हरि नारायन–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी के विरुद्ध नवम्बर व दिसम्बर, ९१ में शासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे

शिकायतें क्या हैं ? उस पर कब जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(क) जी हां । शिकायती पत्रों में निम्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं :–

(१) फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली, डिग्री कालेज, बिसावर, दुर्गा जी कालेज, चण्डेसर, आजमगढ़, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया, डी० बी० एस० कालेज, कानपुर, जोहारी देवी डिग्री कालेज, कानपुर तथा मेरठ कालेज, मेरठ आदि अनेक महाविद्यालयों में अनियमित रूप से कार्यरत अध्यापकों का मनमानी तरीके से वेतन निर्धारण करना ।

(२) सकलडीहा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के लगभग ७२,००० रुपये के बकाया वेतन का अनियमित रूप से भुगतान किया जाना ।

(३) उदय प्रताप कालेज, वाराणसी एवं बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर की आडिट रिपोर्ट को गायब करना और उसे विद्यालय को न भेजना ।

(४) गांधी स्मारक महाविद्यालय, मालटारी, खरडीहा महाविद्यालय, खरडीहा एवं सेवा आश्रम डिग्री कालेज, ठिडई (प्रतापगढ़) की आडिट आपत्तियों को अवैध धन प्राप्त होने पर निरस्त करना ।

(५) विभागीय आडिट पार्टी को महाविद्यालयों के आडिट के समय वेतन निर्धारण के मामलों का आडिट न करने का निदेश देना ।

(६) इलाहाबाद में उनके द्वारा ३-४ लाख रुपये की लागत का मकान बनवाना ।

(ख) जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

१४३–श्री बी० आर० वर्मा–

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रकरण

१४४–श्री लल्लू सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सेवा निवृत्त अधिकारियों को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों का अध्यक्ष न बनाने तथा इन्हें राज्याधीन सेवाओं में न रखने का कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सहित अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष पद पर सेवा निवृत्त अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब तक क्यों नहीं हटाया गया है तथा इन्हें कब तक हटाकर विद्युत परिषद् व अन्य उपक्रमों का पुनर्गठन कर दिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या–८४७/पी०आर०सी०/४४-१/१९८९, दिनांक २८ दिसम्बर, १९८९ तथा कार्मिक अनुभाग–२ के शासनादेश संख्या–१/२/१९७३-कार्मिक–२, दिनांक ६ जुलाई, १९९१ में निम्न सेवा निवृत्त अधिकारियों को छोड़कर सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा राज्याधीन सेवाओं में सेवा निवृत्त अधिकारियों को न रखने का निर्णय लिया गया है :–

(१) वर्ष १९४२ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी अधिकारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त अनुमन्य एक वर्ष का सेवा विस्तार तथा तदोपरान्त एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति ।

(२) राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त अनुमन्य दो वर्ष का सेवा विस्तार ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष पद पर विद्युत परिषद् के एक सेवा निवृत्त अधिकारी कार्यरत हैं । संबंधित पद पर नियुक्ति के समय उपलब्ध विकल्पों में संबंधित अधिकारी को नियुक्त किये जाने का विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया था ।

१४५–१४६– श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के कारण हटाये गये]

जनपद इलाहाबाद थायल विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को कतिपय शिकायतों के संबंध में सचेत किया जाना

१४७–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी चायल (इलाहाबाद) के विरुद्ध जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्रश्नकर्ता द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया है जिसे जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा क्रमांक ५५५२ दिनांक ३१-८-१९९१ के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त शिकायत के आधार पर निःशुल्क बेरिंग योजना, मिलियन वेल्स योजना, इन्दिरा आवास योजना व निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की जांच करायी गयी । जांच में प्राप्त अनियमितताओं के आधार पर दोषी पाये गये दो ग्राम पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा उन्हें निलम्बित किया गया एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही स्थापित की गयी ।

क्षेत्र समिति की बैठक दिनांक १३-८-९१ के सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया तथा उन्हें संचेत कर दिया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी में अवशीतन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास

१४८–श्री बाला प्रसाद–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक १५-१०-९१ से ३०-१०-९१ के बीच कोई पत्र सचिव, दुग्ध विकास, उ० प्र० शासन को लिखा था जिसमें मांग की गयी थी कि कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की एक शाखा जनपद-सीतापुर की भांति विकास खण्ड ईशानगर/रमियाबेहड़/धौरहरा में क्रय केन्द्र स्थापित कर दिये जायं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी हां । क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जा चुका है । जनपद लखीमपुर खीरी में अवशीतन केन्द्र सुविधा हेतु संसाधन जुटाये जाने का प्रयास किया जा रहा है । जब तक जनपद लखीमपुर खीरी में अवशीतन सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है, प्रश्नगत क्षेत्रों में दुग्ध समिति गठित कर दुग्ध उपार्जन किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के मिल प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों का शोषण करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१४९–श्री बाला प्रसाद–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्ता ने १५ अक्टूबर, १९९१ से ३० अक्टूबर, १९९१ के बीच कोई पत्र ऐरा शुगर मिल, जनपद लखीमपुर खीरी के मिल प्रबन्धकों के विरुद्ध मजदूरों के शोषण करने के संबंध में उन्हें श्रमायुक्त, उ० प्र०, कानपुर तथा सचिव, श्रम विभाग, उ० प्र० सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

माननीय विधायक की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की ऐरा शुगर मिल के प्रदूषण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१५०–श्री बाला प्रसाद–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक १-१०-९१ को सचिव, पर्यावरण, उ० प्र० सरकार को ऐरा शुगर मिल, जनपद-लखीमपुर खीरी के विरुद्ध कोई पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच करायी गयी ।

संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि वह स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र में आवश्यक सुधार कर अविलम्ब संचालन प्रारम्भ करें तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित करने के लिए बोर्ड में समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में अवैध लकड़ी कटान के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१५१–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–११५५/९१, थारू जनजाति, ग्राम छेदिया पश्चिम, परगना पलिया कलां, तहसील निघासन, जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक ८-९-९१ जो जिलाधिकारी, लखीमपुर को जो कि लकड़ी काटने विषयक रु० ३२००० की अवैध अदायगी दुधवा रेंज के फारेस्ट गार्डो को की गयी है, के संबंध में था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कथित पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ और जांच करायी गयी । शिकायत निराधार पायी गयी ।

१५२–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के ''सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटवा मोहम्मदपुर, अकबरपुर'' की कतिपय समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१५३–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटवा, मोहम्मदपुर, अकबरपुर, फैजाबाद'' की विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक २-८-९१ संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र को कार्यवाही हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उठायी गयी समस्याओं और तत्संबंधित संलग्नकों के बारे में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक श्री राम प्रताप गुप्ता को भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किया जाना

१५४–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक श्री राम प्रताप गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण संगठन के दल द्वारा दिनांक २६-६-९१ को पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उक्त लिपिक को जिस मामले में और जिस कृत्य के लिए पकड़ा गया उसका पूर्ण विवरण क्या है ? भ्रष्टाचार निवारण संगठन के दल द्वारा पकड़े जाने के बाद भी उक्त लिपिक के विरुद्ध निलम्बन आदि की कार्यवाही न करके मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में उसे पूर्ववत् उसी स्थान पर कार्य करते रहने देने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

हां, पकड़ा गया था किन्तु वर्णित तिथि दिनांक २६-६-९१ न होकर २८-६-९१ है । रु० २००० (दो हजार रुपये) घूस लेते हुए जिनमें सौ-सौ के बीस नोट प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है । भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा श्री राम प्रताप गुप्ता लिपिक पकड़े गये । श्री राम प्रताप गुप्ता को उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था तथा बीमारी की स्थिति में हिरासत में ही अस्पताल में भर्ती थे, पुनः दिनांक २९-६-९१ को न्यायालय से जमानत पर रिहा कर दिये गये ।

प्रश्नगत कर्मचारी को निलम्बित करने का निर्देश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है । शेष भाग के उत्तर का अब प्रश्न नहीं उठता है ।

१५५–श्री बी० आर० वर्मा–

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा के सहायक अभियन्ता आर० ई० एस० द्वारा कराये गये कार्यों के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१५६–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के सहायक अभियन्ता आर० ई० एस० बांदा को वर्ष १९९०-९१ के वित्तीय वर्ष में कराये गये कार्यों के संबंध में विवरण विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्रांक सं०–ग ५०३४७३, दिनांक २३-११-९१ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विवरण क्या है ? सहायक अभियन्ता द्वारा अभी तक विवरण न देने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न पैदा नहीं होता ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा की ग्राम सभाओं हेतु ईटों का कोटेशन के आधार पर आपूर्ति

१५७–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा जो ग्राम सभायें अम्बेडकर योजना में चयनित की गयी हैं उसमें ईटों की आपूर्ति टेण्डर से ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या भट्ठा मालिकों से द्वितीय श्रेणी की ईटों का क्रय किया गया है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

कोटेशन के आधार पर ईटों की आपूर्ति की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१५८–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के कारण हटाया गया]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मड़िहान के ग्राम अमोई में कूप निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी को दोषी पाया जाना

१५९–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमोई, वि० खं० मड़िहान, जनपद मिर्जापुर में दस लाख कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत कोई कूप बना है ? यदि हां, तो किसकी जमीन पर ? क्या इस संबंध में जिला स्तर पर कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ? क्या सरकार इस मामले की जांच शासन स्तर से करायेगी और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । एक कूप का निर्माण किया गया है । कूप ग्राम समाज की भूमि पर चक संख्या–४८० में बना है ।

जी हां ।

इस कूप की जांच जिला स्तर से अपर जिला अधिकारी (विकास) मिर्जापुर द्वारा जिला कृषि अधिकारी से करायी गयी थी और संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी जिन्होंने कूप का निर्माण कराया है को दोषी पाये जाने पर आरोप पत्र दिया गया है ।

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत जी० जी० आई० सी० अकबरपुर में अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने तथा विज्ञान, कामर्स की कक्षायें खोलने की मांग

१६०–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० जी० आई० सी० अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने तथा विज्ञान व कामर्स की कक्षायें प्रारम्भ कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १६-७-९१ मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस पत्र को प्रमुख सचिव शिक्षा(११) विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मांग के औचित्य के परीक्षण हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की टाण्डा टेक्सटाइल फिनिशिंग मिल अरिया बाजार में प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था करने के निर्देश

१६१–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "टाण्डा टेक्सटाइल फिनिशिंग मिल अरिया बाजार, जनपद फैजाबाद" के प्रदूषण से प्रभावित किसानों की समस्या के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक

१६-७-९१, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस पत्र को सचिव, पर्यावरण विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो पर्यावरण विभाग द्वारा पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

बोर्ड द्वारा उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक १-२-९२ को नोटिस प्रेषित करते हुए उद्योग को जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था करने एवं उत्प्रवाह/प्रदूषित वायु का निस्तारण/उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम पूरे गंगाराम पो० मिझोड़ा निवासिनी छात्रा कु० सरिता का हाई स्कूल परीक्षाफल घोषित किया जाना

१६२–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के ग्राम पूरे गंगाराम, पो० मिझौड़ा की निवासिनी, छात्रा कु० सरिता पुत्री श्री विश्वनाथ तिवारी का हाईस्कूल परीक्षाफल घोषित किये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र पूर्व खाद्य मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के सिफारिशी पत्र संख्या–५८२/एफ०एम०/एफ० ९१, दिनांक १४-२-९१ के साथ संलग्न करके पूर्व शिक्षा मंत्री को प्रेषित कराया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रार्थना-पत्र के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही छात्रा का भूगोल विषय का अंक चढ़ाकर परीक्षाफल पूर्ण कर जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद के माध्यम से संबंधित प्रधानाचार्य को भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन के स्थानान्तरण का पूर्ण विवरण

१६३–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद का सम्भागीय परिवहन कार्यालय गत वर्ष तक नगर के किस स्थान पर किस भवन में और कितने रुपये प्रतिमाह किराये पर था तथा वर्तमान समय में किस स्थान पर किस भवन में और कितने रुपये प्रतिमाह किराये पर है ? नगर फैजाबाद के मध्य से वर्तमान स्थल की अपेक्षा पुराने स्थल की दूरी कम थी या ज्यादा तथा पुराने भवन को रिक्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

गत वर्ष तक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय फैजाबाद, फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग पर मोहल्ला रमना में स्थित भवन संख्या–५/१३/६७ हैदरगढ़ वार्ड में स्थित था तथा इसका किराया रु० ३८७.५० प्रतिमाह था । वर्तमान में यह कार्यालय परिक्रमा मार्ग पर सिविल लाइंस में जिलाधिकारी, फैजाबाद के निवास के पीछे की ओर स्थित भवन में है तथा इसका किराया रु० १२,१७४.०० प्रतिमाह है ।

कलक्ट्रेट फैजाबाद से पुराने भवन की दूरी ३ कि०मी० तथा वर्तमान कार्यालय भवन की दूरी १ कि०मी० है । पुराना भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था तथा कार्यालय की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप उसका क्षेत्रफल नहीं था । साथ ही उक्त भवन के स्वामी के साथ किया गया एग्रीमेंट समाप्त हो गया था और भवन के स्वामियों ने इस भवन को खाली करने की नोटिस भी दे रखी थी ।

प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

१६४–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ऐसा शासनादेश जारी करने पर विचार कर रहा है कि प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है वहां जब तक कोटा पूरा न कर दिया जाये तब तक दूसरी जातियों की नियुक्तियां न की जायं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के ऐसे किन-किन विद्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है ? मोती लाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मालीपुर तहसील जलालपुर जनपद फैजाबाद में हिन्दी के प्रवक्ता पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को न रखने का क्या कारण है जबकि उक्त विद्यालय में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? क्या संबंधित विद्यालय द्वारा उक्त पद के लिए विज्ञापित विज्ञापन को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

विद्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्यालय में हिन्दी प्रवक्ता के पदों की संख्या ज्ञात होते के उपरान्त आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

विज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६१ पर)

जनपद एटा सार्वजनिक वानिकी विभाग को जवाहर रोजगार योजना द्वारा प्राप्त धन और उससे लगाये गये पौधों का विवरण

१६५–श्री नेतराम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष १९९१-९२ में जवाहर रोजगार योजना का १०,७५,००० रुपये सार्वजनिक वानिकी, विभाग जिला-एटा को दिया गया था ? यदि हां, तो उससे कहां और कितने पौधों का रोपण हुआ ? अब तक कितने पौधे जीवित हैं ? क्या सरकार द्वारा दिये गये धन का सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

ग्राम समाज की भूमि, सार्वजनिक सड़कों के किनारे तथा नहर की पटरियों के किनारे २१५ हे० क्षेत्र में ४,३०,००० पौधों का रोपण हुआ है ।

लगभग ८० प्रतिशत पौधे जीवित हैं ।

जी हां ।

सत्यापन के समय ३,४४,५०० पौधे जीवित पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१६६–श्री हरिनरायन–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १९१ द्वारा उत्तरित]

१६७–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच

१६८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बांदा के विरुद्ध शासन तथा जिलाधिकारी बांदा को श्री रमेश कुरील के आवेदन-पत्र दिनांक २४-७-९१ में लगाये गये आरोपों की जांच किस अधिकारी को दी गयी तथा जांच का क्या परिणाम निकला ? क्या सरकार संबंधित प्रकरण की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रारम्भ में जांच वर्तमान अधिशासी अभियन्ता बांदा से करायी गयी । अब इस प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा परिमण्डल मेरठ को सौंपी गयी है ।

जी नहीं । गुप्तचर विभाग से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) में कार्यरत वर्ष १९७५-७६ के स्नातक योग्यता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

१६९–श्री लालजी वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) में कार्यरत वर्ष १९७५-७६ से स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को राजकीय महाविद्यालयों में पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया गया ? वर्ष १९८५ में निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु अभी तक ज्येष्ठता सूची के आधार पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार निदेशक (उच्च शिक्षा) को उक्त पदोन्नतियों पर से रोक हटाने तथा प्रत्येक महाविद्यालय से वांछित योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सूची मांग कर तृतीय श्रेणी रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने पर विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

(क) उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत १९७५-७६ से स्नातक/स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाला ऐसा कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, जिसने १९७५-७६ में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली हो और वह १९७५-७६ से अभी तक चतुर्थ श्रेणी पद पर ही कार्यरत हो ।

(ख) निदेशालय के पत्रांक डिग्री सेवा/२६५-३१४/एक-२१(५)/८६, दिनांक १५-१-८६ द्वारा ज्येष्ठता सूची बनाकर सभी राजकीय महाविद्यालयों को सूचित किया गया तथा निदेशालय के पत्रांक डिग्री सेवा/५३६२-६३/एक-२१(५)१५/८६, दिनांक ६-८-८६ द्वारा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति के आदेश संबंधित प्राचार्यों को दिये गये ।

(ग) जी नहीं ।

निदेशालय के पत्रांक डिग्री सेवा/२५९५-२६४६/एक-२१(१)११/८७-८८, दिनांक १९-६-८७ द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदों पर पदोन्नतियों पर रोक इसलिए लगा दी गयी क्योंकि निर्धारित कोटा से ज्यादा पदोन्नतियां हो चुकी थीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट (कर्वी) में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन के निर्माण को पूरा करने की मांग

१७०–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट (कर्वी) में राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण की धनराशि स्वीकृत है तथा जिला परिषद् नजूल भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण हेतु दी जा चुकी है ? यदि हां, तो भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें कोई विवाद है ? यदि हां, तो कितने रकबे में ? क्या शेष गैर विवादित क्षेत्र भवन निर्माण के लिए पर्याप्त है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

१८ बिस्वा में ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के चित्रकूट (कर्वी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग

१७१–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत राम की तपोस्थली एवं महर्षि बाल्मीकि एवं तुलसी के जन्म एवं कार्य-स्थली ऐतिहासिक चित्रकूट (कर्वी) में गोस्वामी तुलसीदास

राजकीय महाविद्यालय में कृषि विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून आदि संकाय खोलकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का दर्जा देकर विस्तार करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता श्री वी० वी० सेन के विरुद्ध जांच आख्या

१७२–श्री अकबर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ० प्र० पिछड़ी अनुसूचित, अल्प संख्यक समाज सुधार समिति का दिनांक १६-५-९० का शिकायती पत्र श्री वी० वी० सेन, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल गोरखपुर के भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितनाओं के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच प्राविधिक संपरीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग को अभिदिष्ट की गयी है । जांच आख्या प्रतीक्षित हैं ।

१७३–श्री अकबर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जंगली क्षेत्रों में पशुओं की चराई पर लगे कर को समाप्त करने की मांग

१७४–श्री भगवत पाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगली क्षेत्रों में पशुओं की चराई पर लगे कर को समाप्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सत्य है कि जंगलों में अशिक्षित पशुपालकों से इस नियम की आड़ में अंधाधुन्ध वसूली की जा रही है ? क्या पशुओं की चराई से कर वसूली की कुल धनराशि बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होने की जानकारी नहीं है ।

चराई से कर वसूली के संबंध में राजस्व लेखा का कोई मानक पद न होने के कारण कर वसूली की धनराशि का लेखा अलग से नहीं रखा जाता है, इसलिये अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है, का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

जनपद उन्नाव के विकास विभाग में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१७५–श्री हृदय नारायण–दीक्षित–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिला के विकास विभाग में गम्भीर अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता के सचिव, ग्राम्य विकास को सम्बोधित पत्र दिनांक ३०-११-९१ पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त पत्र की जांच किसने की तथा दोषी को क्या दण्ड दिए गये ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित मामले की जांच का निर्देश जिलाधिकारी, उन्नाव को दे दिया गया है । अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद नैनीताल के कोटाबाग स्थित राजकीय इण्टर कालेज का नाम गोपाल दत्त भट्ट इण्टर कालेज रखा जाना

१७६–डा० दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के कोटाबाग स्थित राजकीय इण्टर कालेज का नाम बदलने की मांग काफी समय से चल रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय का नाम बदलने की आज्ञा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

राजकीय इण्टर कालेज, कोटाबाग के नाम के साथ ''गोपाल दत्त भट्ट'' का नाम सम्बद्ध करने की स्वीकृति राजाज्ञा संख्या–सी०एम०४०१/१५-१२-८९-२१(३)/८८, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९८९ द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, खण्ड विकास अधिकारी गौरीगंज द्वारा अनियमित ढंग से निकाली गयी धनराशि की जांच

१७७–श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सूर्य लाल वास्ते मनोज ब्रिक फील्ड का, परगनाधिकारी गौरीगंज, को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र तथा मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर व वी० डी० ओ० गौरीगंज, सुल्तानपुर व प्रश्नकर्ता को पृष्ठांकित माह सितम्बर, अक्टूबर, १९९१ का पत्र जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी को लिखित रोक के बावजूद खण्ड विकास अधिकारी गौरीगंज, द्वारा गलत तरीके से प्रधान से मिलकर धन निकाल लेने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा से लखनऊ तथा बांदा से कानपुर मार्ग पर पर्याप्त संख्या में परिवहन निगम की बसें चलाने की मांग

१७८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बांदा से लखनऊ पूर्व में छः या सात राज्य परिवहन निगम की बसें चलती थीं परन्तु वर्तमान समय में मात्र तीन बसें ही चल रही हैं ? यदि हां, तो बसें कम चलने का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में कम से कम दस बसें बांदा से लखनऊ चलाई जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ? क्या कोई रात्रि बस सेवा बांदा से लखनऊ वाया कानपुर चलाई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ? क्या कम से कम तीन बसें कानपुर से बांदा व बांदा से कानपुर सायं ५ बजे के बाद चलाई जावेंगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

बांदा व लखनऊ के बीच पूर्व में १० बसें संचालित थीं । यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में ७ बसें संचालित हैं । उक्त के अलावा बांदा से कानपुर तक १२ बसें भी संचालित हैं । जिनके द्वारा यात्रा करने पर कानपुर से लखनऊ के लिए नगण्य अन्तराल पर पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं । इस प्रकार उक्त मार्ग पर पर्याप्त सेवा सुविधा लखनऊ हेतु उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त बांदा से कानपुर के मध्य संचालित बसें भी लखनऊ के यात्रियों को कानपुर तक बस सेवा उपलब्ध कराती हैं । कानपुर से लखनऊ के लिए भी पर्याप्त संख्या में बसें उब्लब्ध हैं ।

जी नहीं ।

संचालित बसें उपलब्ध यात्रियों के परिवहन हेतु पर्याप्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । बस बेड़े के सीमित होने के कारण अतिरिक्त बस सेवा चलाना अभी सम्भव नहीं है ।

सायंकाल ५ बजे तथा इसके बाद कानपुर से बांदा तथा बांदा से कानपुर के बीच वर्तमान में दो-दो बसें अप ट्रिप में तथा दो बसें डाउन ट्रिप में संचालित हैं, जो यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए पर्याप्त है । वर्तमान में कोई और सेवा संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

लखनऊ मध्य क्षेत्र के वन रेंजरों के स्थानान्तरण का प्रकरण

१७९–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९९१ से ३०-११-९१ तक मध्य क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत किन-किन वन रेंजरों का स्थानान्तरण शासन स्तर से तथा प्रमुख वन संरक्षक स्तर से तथा मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र के स्तर से एवं मध्य क्षेत्र के संबंधित वन संरक्षक स्तर से किये गये ? इसमें किन-किन वन रेंजरों ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किया और किस-किस वन रेंजरों ने पालन नहीं किया ? किस-किस वन रेंजरों का स्थानान्तरण स्थगित/निरस्त किया गया ? क्या सरकार इसकी सूचना सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जुलाई ९१ से ३०-११-९१ तक विभिन्न स्तरों से निम्नलिखित वन रेंजरों का स्थानान्तरण किया गया :–

(१) शासन स्तर से

कोई नहीं ।

(२) प्रमुख वन संरक्षक स्तर से

श्री जे० एन० सिंह ।

(३) मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) स्तर से

१—श्री आर० के० त्रिपाठी

२—श्री के० पी० सिंह

३—श्री एस० एम० अहमद

४—श्री हरिवंश मणि त्रिपाठी

५—श्री आर० के० दुबे ।

(४) वन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद स्तर से

१—श्री जे० पी० शुक्ला

२—श्री के० के० सिंह

३—श्री डी० के० यादव

४—श्री अशोक कुमार सिंह । शासन के निर्देशानुसार ।

(५) वन संरक्षक, अवध क्षेत्र स्तर से

श्री अजय कुमार शर्मा ।

(६) वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त स्तर से

श्री प्रेम नारायण अग्रवाल ।

इनमें से श्री डी० के० यादव तथा श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन नहीं हो सका । श्री आर० के० त्रिपाठी का स्थानान्तरण निरस्त किया गया तथा सर्व श्री के० पी० सिंह, एस० एम० अहमद, जे० पी० शुक्ला, का स्थानान्तरण स्थगित किया गया है । शेष वन रेंजरों ने आदेश का अनुपालन किया है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण का प्रकरण

१८०—श्री बाला प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९८५ से आज तक कौन-कौन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, लखीमपुर खीरी में कार्यरत हैं ? क्या सरकार पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर भविष्य में विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत १ जनवरी, १९८५ से आज तक निम्न अवर अभियन्ता कार्यरत हैं :–

१–श्री जी० एस० सिंह

२–श्री राम हेतु शर्मा

३–श्री महिपाल सिंह

उक्त अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर आगामी सामान्य स्थानान्तरण सत्र के समय निर्धारित नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

उत्तर वन प्रभाग गोण्डा लखीमपुर खीरी वन प्रभागों द्वारा ट्रकों से प्राप्त अभिवाहन फीस का विवरण

१८१–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ जून, १९९० से आज तक गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा/लखीमपुर खीरी उत्तर वन प्रभाग लखीमपुर खीरी दक्षिण खीरी वन प्रभाग/गोण्डा दक्षिण वन प्रभाग में कितनी धनराशि, कितनी ट्रकों का अभिवाहन पास ट्रांजिट फीस देते समय प्राप्त की गयी ? क्या सभी वन प्रभागों में ट्रांजिट फीस देने की प्रक्रिया समान है अथवा अलग-अलग है ? यदि अलग-अलग है तो क्यों ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

५ जून, १९९० से ३१-१२-९१ तक प्रश्नगत वन प्रभागों में ट्रकों की संख्या व उनसे प्राप्त अभिवाहन फीस का विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रभाग का नाम	ट्रकों की संख्या जिनको अभिवाहन पास दिया गया	ट्रकों से प्राप्त ट्रांजिट फीस (रु० में)
१–उत्तर गोण्डा वन प्रभाग	२२८२	१,१४,१००.००
२–दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग	५५६	२७,८००.००
३–उत्तर खीरी वन प्रभाग	२३३९	१,३०,८३७.००
४–दक्षिण खीरी वन प्रभाग	३४०५	१,७०,२५०.००

उ० प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवाहन नियमावली, १९७८ के ट्रांजिट फीस के नियम सभी प्रभागों पर समान रूप से लागू होते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१८२–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा हरखड़ी में जवाहर रोजगार योजना की धनराशि आहरित करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

१८३–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा हरखड़ी में जवाहर रोजगार योजना की धनराशि प्रधान का जाली हस्ताक्षर बनाकर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जिला सहकारी बैंक के शाखा पचपेड़वा अथवा इलाहाबाद बैंक शाखा पचपेड़वा से निकाल ली गयी है और जिसकी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माह अक्टूबर,९१ में थाना-पचपेड़वा, गोण्डा में पंजीकृत करायी गयी है ? यदि हां, तो इस अपराध में दोषी कौन-कौन है ? दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा हरखाड़ी द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक लि० शाखा पचपेड़वा में खोले गये खाता संख्या २३४१ से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से रु० २३,००० निकला गया है, जिसे बैंक से ग्राम पंचायत अधिकारी ने प्राप्त किया है । खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि आहरित करने के सम्बन्ध में दिनांक २४-१०-९१ को थाना पचपेड़वा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है ।

श्री दयाराम श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

जांच पुलिस एवं विभाग द्वारा की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पलिया कला के ग्राम मकनपुर के प्रधान द्वारा ग्राम सभा एवं जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि का गबन करने की शिकायत

१८४–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मकनपुर ब्लाक पलिया कला जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा मकनपुर के प्रधान विश्वनाथ कपूर द्वारा जवाहर रोजगार योजना एवं ग्राम समाज के मछली के ठेके से प्राप्त धनराशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

गबन के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । निश्चित शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी जायेगी ।

शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी जायेगी ।

लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को जवाहर रोजगार योजना द्वारा आवंटित धनराशि का विवरण

१८५–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बांदा को वित्तीय वर्ष १९९०-९१ व ९१-९२ में कुल कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित की गयी है ? आवंटित धनराशि में से निर्मित कार्यों का विवरण क्या है ? क्या अलग-अलग निर्मित कार्यों में व्यय धनराशि का उपभोग ठेकेदारों के माध्यम से किया गया ? यदि हां, तो ठेकेदार का नाम, बाण्ड, वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर सहित व्यय विवरण क्या है ? क्या टी० आई० द्वारा धनराशि का उपभोग किया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग कार्य के विवरण सहित भुगतान वाउचर नम्बर व धनराशि क्या है ? क्या ब्लाक, जिला परिषद् या ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों पर ही प्रान्तीय खण्ड-बांदा द्वारा जवाहर रोजगार योजना से आवंटित धनराशि व्यय की गयी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित अनुमान पत्रों में पुराने कार्य का लेखा-जोखा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१८६–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के कारण हटाया गया]

२० सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल बदूद खां के पत्र पर कृत कार्यवाही

१८७–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि स्व० पूर्व प्रधान मंत्री के संशोधित २० सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में विधान परिषद् के तत्कालीन सदस्य खान, अब्दुल बदूद खां का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसकी संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री ने अपने पत्र सं०-सी०एम०वि० को०एम०८-७७-६७/९०, दिनांक २४-४-९० से सचिव, २० सूत्रीय कार्यक्रम को भिजवा दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री खान अब्दुल बदूद खां, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक १०-४-९० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या–सी०एम० (वि०को०) एम०-८/७९-६७/९०, दिनांक १८-४-९० द्वारा प्राप्त हुआ था न कि पृष्ठांकन संख्या–सी०एम०वि०को०एम०-८-७७-६७/९०, दिनांक २४-४-९० द्वारा ।

चूंकि २० सूत्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है तथा इसमें किसी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है, माननीय सदस्य के प्रस्तावित सुझाव को भारत सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली को ३ मई, १९९० को यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था । माननीय सदस्य को भी इस आशय की सूचना १० मई, १९९० को भेज दी गयी थी ।

उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग–४ द्वारा दिनांक १५ सितम्बर, १९८९ के संदर्भ में लेखपाल को दण्डित किया जाना

१८८–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके अर्धशा० प० सं० ३७२७/३८-४-९५एक्यू/८९, ग्राम्य विकास अनुभाग–४ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक १५ सितम्बर, १९८९ के संदर्भित प्रकरण

में लेखपाल तथा प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? प्रश्नगत गाटा संख्या १२४६ व १२४७ की वर्तमान में नवइयत (स्थिति) भूलेखों में क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित किया गया है । प्रधान को दोषी नहीं पाया गया । इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

प्रश्नगत गाटा संख्या १२४६ व १२४७ भूलेखों में ऊसर अंकित किया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी दर का निर्धारण करने की मांग

१८९–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना में मजदूरी की दर प्रतिदिन १८ रुपये है ? यदि हां, तो क्या श्रमिक पर इस १८ रुपये के बदले किसी निश्चित मात्रा की मिट्टी की खुदाई/भराई/कुटाई का दायित्व निर्धारित है ? यदि नहीं, तो प्रधानों द्वारा कराये गये काम में मिट्टी की मात्रा क्यों नापी जाती है ? क्या मिट्टी कम पाये जाने पर उन्हें दण्डित भी किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रधानों पर १० रुपये ही मजदूरी देने और उससे कम देने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार पश्चिमी सम्भाग के २१ जिलों में रुपये २० प्रतिदिन तथा शेष ४२ जिलों में रुपये १८ प्रतिदिन निर्धारित है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा उक्त मजदूरी दर का निर्धारण "टाइम रेट" के आधार पर किया गया है । "पीस रेट" के आधार पर यह निर्धारण नहीं किया गया है ।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित रूप पत्र ४१ पर रखे जाने का प्राविधान मार्ग निर्देशों में है । जिस पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं । किये गये कार्य की जानकारी के लिए कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पर विवरण रखा जाना आवश्यक है और इस हेतु कार्यपूर्ति की नाप तौल भी अनिवार्य है ।

जहां धन के दुरुपयोग, अपव्यय या अपहरण के मामले प्रकाश में आते हैं वहां यह कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार की जाती है ।

आरोप सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण का दायित्व

१९०–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में अनुसूचित जातियों के बाहुल्य क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने का कार्य एग्रो को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके मेंटीनेंस की जिम्मेदारी भी एग्रो की रहेगी ? क्या यह सत्य है कि इस कार्य की जिम्मेदारी जल निगम की है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के पास कार्य की अधिकता एवं लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण ।

जी हां । एक वर्ष तक अनुरक्षण का दायित्व एग्रो का रहेगा ।

जी नहीं ।

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टुण्डला की ग्राम सभा पचोखरा, देवखेड़ा, छिकाऊ तथा पवारी को जवाहर रोजगार योजना द्वारा आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच

१९१–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद की उप तहसील टुण्डला की ग्राम सभा पचोखरा, देवखेड़ा, छिकाऊ तथा पवारी को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष १९९०-९१ तथा १९९१-९२ में अब तक कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है तथा वह किन-किन मदों में खर्च की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त धनराशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर के अन्तर्गत मौजा अजरोली के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग करने की शिकायत की जांच

१९२–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर अन्तर्गत मौजा अजरोली के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिली राशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में सरकार किसी उच्च अधिकारी का दल भेज कर जांच कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा के कतिपय ग्राम सभाओं हेतु जवाहर रोजगार योजना द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग

१९३–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा अवरहवा फरेंदी, बसन्तपुर, परसाबिजुआ, सगरामपुर, कटैया भारी, गौरा भारी, घनखरपुर हाटी, अचकवापुर को वित्तीय वर्ष १९८७-८८, ८८-८९, ८९-९० ९०-९१ व ९१-९२ में रूपपत्र–७ पर जवाहर रोजगार योजना की धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या फर्जी बिल प्रमाण-पत्र, खण्ड विकास अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करके, धन को निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१९४–श्री बाला प्रसाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मऊ के अन्तर्गत मऊ-बलिया राजमार्ग के हलधरपुर से साहूपुर तक सड़क निर्माण की मांग

१९५–श्री घुरहू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ अन्तर्गत मऊ-बलिया राज मार्ग के हलधरपुर से साहूपुर विद्यालय होते गहना तक जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो सरकार राज्य सेक्टर से धन देकर उसे जनहित में कब तक बनवा देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१९६–श्री बच्चा पाठक–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छेदीलाल, श्री श्याम लाल वर्मा, श्री भगवान दास यादवेन्दु, श्री भगेलू सिंह, श्री सूरज भान पंडित तथा डा० खमानी सिंह के निधन पर शोकोद्गार

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी,वैसे तो इस संसार में जो आया है, उसे एक न एक दिन जाना है, लेकिन ऐसी महान विभूतियां, जिनके मार्ग-दर्शन और प्रेरणा की हमें बहुत वर्षों तक आवश्यकता है, ऐसे लोग हमारे बीच से उठते हैं तो अतीव दुख होता है । ऐसी ही ६ महान विभूतियों के बारे में यहां पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का यह दुखद अवसर मुझे प्राप्त हुआ है । ये सभी इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य हैं । श्री छेदीलाल, खीरी; श्री श्याम लाल वर्मा, नैनीताल; श्री भगवान दास यादवेन्दु, फिरोजाबाद; श्री भगेलू सिंह, गोण्डा; श्री सूरज भान पंडित, अलीगढ़ और डा० खमानी सिंह, मुरादाबाद । मान्यवर, माननीय छेदीलाल जी मूल निवासी सीतापुर के थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र लखीमपुर को बनाया । ये १९५७ में लखीमपुर के श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । ये प्रजा समाजवादी दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे । ये आजीवन प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते रहे । ये बड़े ही समाजसेवी थे और मेरा व्यक्तिगत रूप से इनसे परिचय रहा । इनके निधन से जनपद लखीमपुर में एक राजनीतिक रिक्तता पैदा हो गयी है । मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमें उस रिक्तता को पूरा करने की शक्ति दे ।

श्री श्याम लाल वर्मा का निधन ५ नवम्बर, ९१ को हो गया है । वे वर्ष १९४६ में जिला नैनीताल से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री श्याम लाल वर्मा कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे । सन् १९२१ से लेकर १९४२ तक के आन्दोलनों में, आजादी की लड़ाई में इन्होंने बड़ी क्रियाशील भूमिका अदा की । ये लगभग ४ वर्ष ६ माह जेल में रहे । ये भूतपूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी तथा इस समय अध्यक्ष जिला परिषद् रहे । ये भी हमारे बीच से चले गये यह अत्यंत दुख की बात है ।

श्री भगवान दास यादवेन्दु का निधन ३१ दिसम्बर, १९९१ की मध्य रात्रि में हो गया और वे हमारे बीच से हमेशा के लिये चले गये । वे लगभग ६० वर्ष के थे । उनका जन्म १९३३ में मो० कटरा पठानान, जनपद फिरोजाबाद में एक अनुसूचित जाति के परिवार में हुआ था । ये १९६२ में निर्वाचन के फिरोजाबाद से रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए थे । ये एक लोकप्रिय नेता थे तथा राजनीति में परिश्रम से काम करते थे । ये फिरोजाबाद की स्थानीय समस्याओं, जो कि मुख्य रूप से चूड़ी उद्योग से संबंधित होती थीं, को सक्रिय रूप से उठाते रहते थे । इनके न रहने से हम सबको अतीव दुख है ।

श्री भगेलू सिंह का निधन १६ जनवरी, १९९२ को हो गया । वे लगभग ७७ वर्ष के थे । इनका जन्म गोण्डा में हुआ था । ये वर्ष १९६९ में निर्वाचन क्षेत्र करनैलगंज जिला गोण्डा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । ये किसानों की उन्नति के लिये विधान सभा में उनकी समस्याएं कड़ाई से उठाते रहते थे । आज हमारे बीच न रहने से उस जिले में एक किसान नेता का बड़ा भारी अभाव हुआ है ।

मान्यवर, श्री सूरजभान पंडित का जन्म दिनांक १० जनवरी, १९१२ को मेलवाल रियासत, पटियाला (पंजाब) में हुआ था, वह वर्ष १९८० में निर्वाचन क्षेत्र हाथरस, जिला अलीगढ़ से जनता (एस) राजनारायण दल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह अध्यक्ष, मेला कमेटी, दाऊजी; अध्यक्ष, महाराज हाथरस; अध्यक्ष, नगरपालिका, हाथरस तथा ट्रक यूनियन के अध्यक्ष रहे थे । पंडित जी जन सेवा में सदैव लगे रहते थे । उन्हें क्षेत्र के विकास के प्रति बड़ी दिलचस्पी थी । वे पर्यटन प्रेमी भी थे । पंडित जी के निधन से जिला अलीगढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

डा० खमानी सिंह जी का जन्म दिनांक २८ दिसम्बर, १९०४ को ग्राम अक्का डिलारी, तहसील मुरादाबाद में हुआ था । उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा मुरादाबाद से प्राप्त की थी । तत्पश्चात् उन्होंने एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की थी । डा० खमानी सिंह वर्ष १९५७ के सामान्य निर्वाचनं क्षेत्र मुरादाबाद (रूरल) से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे । डा० खमानी सिंह ने सन् १९३५ में मुरादाबाद में निजी चिकित्सालय खोलकर प्रैक्टिस प्रारम्भ की थी । वे सन् १९३७ में जिला बोर्ड के सदस्य एवं शिक्षा कमेटी के चेयरमैन बने । शिक्षा में काफी लगाव होने के फलस्वरूप उन्होंने ग्राम सिरसवां हरचन्द में बी० एन० इण्टर कालेज तथा ग्राम अगवानपुर में कन्या विद्यालय कायम कराया था । सन् १९७४ में उन्होंने जूनियर हाई स्कूल, अक्का डिलारी की स्थापना की थी । उन्होंने "भारत छोड़ो आन्दोलन" में सक्रिय रूप से भाग लिया । उन्होंने जिला पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष रहे । सन् १९७५ में आपातकाल के दौरान वे लगभग एक माह जेल रहे । डा० खमानी सिंह के निधन से जनपद मुरादाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सेवी खो दिया ।

इन शब्दों के साथ जो भी महान विभूतियां हमारे बीच में नहीं हैं, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जब भी कोई राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता दुनिया से चला जाता है, तो उससे एक शून्यता पैदा हो जाती है । मान्यवर, श्री छेदी लाल जी का निधन दिनांक २७ जून, १९९१ को हो गया । वे लगभग ७५ वर्ष के थे । उनका जन्म सन् १९१६ में ग्राम नकुरी पीतपुर, जिला सीतापुर में हुआ था । वे मिडिल पास थे । वे वर्ष १९५७ में निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर, खीरी से प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । मान्यवर, वे प्रजा समाजवादी दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे तथा राजनीति में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे । वे जीवन पर्यन्त विपक्ष में ही रहे

---

* वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे । उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जनपद लखीमपुर खीरी में ही जनसेवा में व्यतीत किया । मान्यवर, श्री छेदी लाल जी के निधन से जनपद खीरी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री श्याम लाल वर्मा जी का निधन दिनांक ५ नवम्बर, १९९१ को हो गया । श्री श्याम लाल वर्मा वर्ष १९४६ के निर्वाचन में जिला नैनीताल से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री वर्मा कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे । वे सन् १९२१ से लेकर १९४२ तक के सभी कांग्रेसी आंदोलनों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे और इस सिलसिले में उन्होंने कुल ४ वर्ष ६ माह कैद की सजा काटी । वे भूतपूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी तथा सम्प्रति अध्यक्ष जिला परिषद् भी रहे । श्री श्याम लाल वर्मा जी के निधन से जनपद नैनीताल ने एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री भगवान दास यादवेन्दु का निधन दिनांक ३१ दिसम्बर, १९९१ की मध्य रात्रि में हो गया । वे लगभग ५९ वर्ष के थे । श्री भगवान दास यादवेन्दु का जन्म १९३३ में मो० कटरापठानान जनपद फिरोजाबाद में जाटव परिवार में हुआ था । उन्होंने एस० आर० इण्टर कालेज से शिक्षा प्राप्त की थी । वे वर्ष १९६२ में निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद से रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और आर० पी० आई० के सक्रिय कार्यकर्ता बन गये । श्री यादवेन्दु चूड़ी जुड़ाई मजदूर संघ, फिरोजाबाद के संस्थापक, यू० पी० शिड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रधान मंत्री, उ० प्र० रिपब्लिकन पार्टी के सह मंत्री, फिरोजाबाद आर० पी० आई० के जिला अध्यक्ष, फिरोजाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर तथा नगर पालिका के वाटर वर्क्स कमेटी के चेयरमैन रहे । वे सन् १९४६ में शिड्यूल्ड कास्ट के फेडरेशन आंदोलन में जेल गये थे । उन्होंने "क्रान्ति का अभ्युदय" नामक पुस्तक लिखी । वे शान्त स्वभाव के थे तथा जनता की भावनाओं का आदर करते थे । श्री यादवेन्दु जी के निधन से जनपद फिरोजाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री भगेलू सिंह का निधन दिनांक १६ जनवरी, १९९२ को हो गया । वे लगभग ७७ वर्ष के थे । श्री भगेलू सिंह जी का जन्म सन् १९१५ में ग्राम छिछुआपुर करनैलगंज जिला गोण्डा में हुआ था । श्री भगेलू सिंह वर्ष १९६९ में निर्वाचन क्षेत्र करनैलगंज जिला गोण्डा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह १९४२ के स्वतंत्रता आन्दोलन में कई बार जेल गये ।

मान्यवर, श्री सूरजभान पंडित जी का निधन दिनांक २३ जनवरी, १९९२ को हो गया, वे लगभग ८० वर्ष के थे । श्री सूरजभान पंडित जी वर्ष १९८० में निर्वाचन क्षेत्र हाथरस जिला अलीगढ़ से जनता (एस) राजनारायण दल के टिकट पर चुन कर आये थे । वह अध्यक्ष, मेला कमेटी; अध्यक्ष, नगरपालिका, हाथरस तथा ट्रक यूनियन के अध्यक्ष रहे । वे पर्यटन के भी प्रेमी थे । उनके निधन से जिला अलीगढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है ।

मान्यवर, डा० खमानी सिंह जी का निधन १८ फरवरी, १९९२ को हो गया । वे लगभग ८८ वर्ष के थे । उनका जन्म २८ दिसम्बर, १९०४ को ग्राम अक्का डिलारी तहसील मुरादाबाद में हुआ था । उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा मुरादाबाद से प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की थी । वह वर्ष १९५७ के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद (रूरल) से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होकर यहां पर आये थे । डा० खमानी सिंह ने सन् १९३५ में मुरादाबाद में निजी चिकित्सालय खोलकर प्रैक्टिस आरम्भ की थी । वे सन् १९३७ में

जिला बोर्ड के सदस्य एवं शिक्षा कमेटी के चेयरमैन बने । शिक्षा में उनका काफी लगाव था और इसी कारण उन्होंने ग्राम सिरसंवा हरचन्द में बी० एन० इन्टर कालेज तथा ग्राम अगवानपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की । सन् १९७४ में उन्होंने अक्का डिलारी में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की और उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया था । उन्होंने जिला पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष रहे और वर्ष १९७५ में आपात्काल के समय एक माह जेल में भी रहे ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इन सभी विभूतियों के शोक संतप्त परिवारों तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, उप नेता विरोधी दल ने सर्वश्री छेदी लाल, श्याम लाल वर्मा, भगवान दास यादवेन्दु, भगेलू सिंह, सूरजभान पंडित और डा० खमानी सिंह के निधन पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जीवन का यह कठोर सत्य है कि जो आता है, उसे एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में ऐसा कर जाते हैं, उसे भर पाना सम्भव नहीं होता है । आज ६ महान विभूतियां इस संसार में नहीं रहीं । वह सभी अपने जीवन भर देश की सेवा के लिये समर्पित रहे । मान्यवर, विशेष रूप से श्याम लाल जी पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये सतत संघर्षरत रहे । मैं उन सभी विभूतियों के प्रति जो आज इस लोक में नहीं रहीं, उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, श्री छेदीलाल, श्री श्याम लाल वर्मा, श्री भगवान दास यादवेन्दु, श्री भगेलू सिंह, श्री सूरज भान पंडित और डा० खमानी सिंह के निधन पर जो विचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उप नेता विरोधी दल ने और श्री प्रमोद तिवारी जी ने व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मृत्यु जीवन की परिकल्पना है और शाश्वत अंग है और इसीलिए मान्यवर, कहा गया है कि–

मृत्युअरी चिर निद्रे,
तेरा अंक हिमानी सा शीतल ।
तू अनन्त में लहर बनाती,
काल जलधि की सी हलचल ।।

मान्यवर, कुछ विभूतियां ऐसी पैदा होती हैं, जो अपने कार्य के द्वारा जनता की सेवा के द्वारा संसार में अमर हो जाती हैं और अन्त में वह हंसते-हंसते हमसे बिदा ले जाती हैं हम उनको याद कर रोते हैं । इसीलिए कहा गया है कि–

ऐसी हांसी हंसि चले, तुम हंसि, जग रोय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मान्यवर, ऐसी विभूतियां आज हमारे बीच से उठ गयीं हैं । हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने खड़े हुए हैं । मान्यवर, डा० खमानी सिंह जी ने स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई लड़ी । मान्यवर, पंडित सूरजभान जी, हमारे पड़ोसी जिले अलीगढ़ के रहने वाले थे । हाथरस से वह जनता पार्टी (स) के टिकट पर जीतकर आये थे । वह बहुत ही जीवन्त व्यक्ति थे, वह वृद्धावस्था के चरम पर थे, उनको जिस साहस से जीने की ललक थी वैसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है । उन्होंने जिस शान के साथ जीवन को जिया उससे वह हम लोगों के प्रेरणा के श्रोत हैं । श्री भगवान दास इस विधान सभा के सदस्य थे वह प्रारम्भ से ही बौद्धिक प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे प्रखर व्यक्तित्व जिसके आलोचक भी हमेशा प्रखर हो जाया करते हैं । उन्होंने हमेशा दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए अधिक प्रयास से काम किया, वह आज हमारे बीच में नहीं हैं । मान्यवर, इन सभी विभूतियों के हमारे बीच से उठ जाने से इस प्रदेश को महान क्षति हुई है । मैं माननीय नेताओं के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे और हमारे दल की शोक संवेदना को उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, श्री छेदी लाल, श्री श्याम लाल वर्मा, श्री भगवान दास यादवेन्दु, श्री भगेलू सिंह, श्री सूरजभान पंडित और डा० खमानी सिंह इन ६ भूतपूर्व सदस्यों के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने और श्री महेन्द्र सिंह भाटी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राणा साहब ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे और हमारे दल की शोक संवेदना उनके परिवारजन तक भेजने की कृपा करें । मान्यवर, यह हमारे सभी ६ भूतपूर्व माननीय सदन के सदस्य, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किये हैं, जो इन्होंने समाज की सेवा की है, उससे हम सब लोग एक तरह से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक जिन्दगी में भी अपने को समाज के लिए खरा उतारा जा सकता है । इसलिए आज की परिस्थितियों में मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं श्री भगेलू सिंह जी का जो हमारे साथी थे, समाजवादी आन्दोलन के बहुत बड़े लोगों में से उनका नाम था । पूरी जिन्दगी उन्होंने निष्ठा और ईमानदारी से बिताई । गोण्डा जिले में उनकी एक छाप थी । इसी तरह से छेदी लाल जी, श्याम लाल वर्मा जी और इसमें कई भूतपूर्व सदस्यों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर हमको आजादी दिलाने के लिए कार्य किया । ऐसे लोगों के निधन से प्रदेश की राजनीति में रिक्तता आयी है, जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है । श्रीमन्, आपसे अनुरोध है कि हमारा और हमारे दल की शोक संवेदना उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें ।

*श्री राम लखन–

मान्यवर, आज हमारे बीच ६ महान विभूतियां नहीं रह गयीं हैं । जिसके संबंध में हमारे संसदीय कार्य मंत्री और नेता जनता दल, नेता राष्ट्रीय कांगेस, नेता जनता दल (अ), नेता जनता दल (स) माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो शोक संवेदना व्यक्त किया है मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, ६ महान विभूतियां, जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं । उनके निधन से उनके जिले को ही नहीं, उनके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को आघात पहुंचा है । श्रीमन्, इस चर्चा के दौरान मैं स्वर्गीय श्री भगवानदास यादवेन्दु के संबंध में खासकर बताना चाहूंगा कि श्री भगवानदास यादवेन्दु के निधन से उनके जिले को ही नहीं बल्कि समूचे बहुजन समाज को एक भारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आघात पहुंचा है । श्रीमन्, श्री यादवेन्दु जी दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़कर उनको उनके अधिकार दिलाने में हमेशा तत्पर रहे हैं । आज जो छः विभूतियां हमारे बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से आग्रह पूर्वक उनके परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं । श्रीमन्, उसके साथ-साथ मैं इस सदन को और आपकी पीठ को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे यहां के मौलाना सैयद सलाहूद्दीन रशीद साहब का भी जो हमारे जिले के हैं, टांडा के थे उनका भी अभी हाल में निधन हो गया है । किसी कारण से इसकी सूचना इस सदन को नहीं हो पाई है, इसलिये मेरा आपसे और इस सदन से अनुरोध है कि उसकी भी सूचना मंगाकर उनको भी यहां पर श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था की जाय ।

श्री इम्तियाज अहमद –

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और विभिन्न विधान सभा के दलों के नेताओं ने जो इस सदन में सदन के माननीय भू० पू० सदस्यों के प्रति, सर्वश्री छेदी लाल जी, श्याम लाल वर्मा जी, भगवानदास यादवेन्दु जी, भगेलू सिंह जी, सूरजभान पंडित जी तथा डाक्टर खमानी सिंह के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । यह हमारे जो छः भू० पू० सदस्य हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं उनकी अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवायें रही हैं । आज यह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन इनकी जो सेवायें हैं, वे हमेशा याद की जाती रहेंगी और समाज को व हम सबको सदैव प्रेरणा देती रहेंगी । मैं श्री श्याम लाल वर्मा और श्री भगेलू सिंह जी का जिक्र करना चाहता हूं । श्री श्याम लाल जी स्वतंत्रता संग्राम के अपने समय के अग्रणी योद्धा रहे हैं और १९४२ में जो कुछ हुआ था वह उसमें पूरी तरह से आगे रहे थे । स्व० श्री भगेलू सिंह जी ने भी उस स्वतंत्रता की लड़ाई में काफी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था । इन्हीं विभूतियों और इन जैसी अनेक अन्य विभूतियों के कारण ही आज देश स्वतंत्र है । मैं श्री यादवेन्दु जी का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रहा है, शिक्षा जगत की उन्होंने बड़ी सेवायें की हैं । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें इनके परिवारों तक पहुंचा दें ।

श्री अध्यक्ष–

शोषित समाज दल या अन्य कोई सदस्य बोलना चाहेगा ?

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के छः भू० पू० सदस्यों के निधन के निर्देश प्राप्त हुए हैं । माननीय छेदी लाल, जनपद खीरी, स्व० श्याम लाल वर्मा, जनपद नैनीताल, भगवान दास यादवेन्दु, जनपद फिरोजाबाद, स्व० भगेलू सिंह, जनपद गोण्डा, सूरजभान पण्डित, जनपद अलीगढ़, डा० खमानी सिंह; जनपद मुरादाबाद, यह सभी सम्मानित सदन के माननीय सदस्य रहे हैं । इनका बहुत ही सक्रिय योगदान सदन की कार्यवाही के संचालन में और सदन के माध्यम से जनसेवा करने में था । श्री छेदी लाल का जन्म १९१६ में हुआ था, लगभग ७५ वर्ष की अवस्था में उनका निधन २७ जून, १९९१ को हो गया । वे प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर वर्ष १९५७ में हुए निर्वाचन में इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे । उन्होंने सदैव सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और वे सदैव इस सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे । उनके निधन से जनपद खीरी के निवासी दुखी हैं । ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी के निधन हो जाने से हम बहुत दुखी हैं ।

श्री श्याम लाल वर्मा जी का निधन ५ नवम्बर, १९९१ को गया । वे वर्ष १९४६ के निर्वाचन में जिला नैनीताल से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कांग्रेस दल के कर्मठ कार्यकर्ता थे । वे सन् १९२१ से लेकर १९४२ तक के सभी कांग्रेसी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और इस सिलसिले में उन्होंने कुल ४ वर्ष ६ माह की कैद की सजा काटी । वे भूतपूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी तथा अध्यक्ष जिला परिषद् भी रहे । उनके निधन से जनपद नैनीताल ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री भगवान दास यादवेन्दु का निधन लगभग ५९ वर्ष की अवस्था में ३१ दिसम्बर, १९९१ को हो गया । उनका जन्म १९३३ में हुआ था । श्री यादवेन्दु वर्ष १९६२ में निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद से रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने विभिन्न रूप से समाज की सेवा की । वे एक पुस्तक "क्रान्ति का अभ्युदय" के लेखक भी थे । उनका स्वभाव बड़ा शान्त था तथा वे जनता की भावनाओं का बड़ा आदर करते थे । उनके निधन से जनपद फिरोजाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री भगेलू सिंह का निधन लगभग ७७ वर्ष की अवस्था में १६ जनवरी, १९९२ को हो गया । वे १९६९ के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र करनैलगंज जिला गोण्डा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता थे और किसानों की समस्याओं के प्रति उनकी बहुत रुचि थी । उनके निधन से जिला गोण्डा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री सूरजभान पंडित जी का जन्म १० जनवरी, १९१२ को पटियाला पंजाब में हुआ था । ८० वर्ष की अवस्था में उनका निधन २३ जनवरी, १९९२ को हो गया । वे वर्ष १९८० में चुनकर आये थे ; जिला अलीगढ़ के जनता (एस०) राजनारायण दल के एक सक्रिय सदस्य के रूप में वे इस सदन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे । उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में बहुत भाग लिया । वे अध्यक्ष नगर पालिका हाथरस रहे और भी विभिन्न संस्थाओं से वे जुड़े रहे । अलीगढ़ जनपद को उनके निधन से बहुत क्षति हुई है ।

डा० खमानी सिंह जी का जन्म २८ दिसम्बर, १९०४ को हुआ था । उनका निधन लगभग ८८ वर्ष की अवस्था में १८ फरवरी, १९९२ को हो गया । एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा से मेडिकल की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी । उसके साथ-साथ उन्होंने राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी बनाये रखी । १९५७ के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद ग्रामीण से वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीतकर आये थे । उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था । १९७५ के आपातकाल में वे लगभग एक माह तक जेल में भी रहे । उनके निधन से जनपद मुरादाबाद को बहुत क्षति हुई है । हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाजसेवी खो दिया ।

मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय नेता विरोधी दल ने एवं सभी दलों के नेताओं ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी शोक संवेदनायें प्रकट की हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । शोक संतप्त परिवारजन तक सदन की भावनायें मैं पहुंचा दूंगा । अब मैं निवेदन करूंगा कि कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का कष्ट करें ।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, पथरदेवा कस्बे के थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया में बहुत ही घृणित कार्य हुआ है वहां पर पुलिस द्वारा महिलाओं का बलात्कार किया गया.....

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ले लूं उसके बाद मैं नियम–३११ ले लूंगा ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, आपने तो कहा था कि इसे निधन के निर्देश के तुरन्त बाद ले लेंगे । इसलिए पहले इसको सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वामीनाथ यादव जी इसमें बहुत कम समय लगेगा । नियम–३०१ की सूचनाओं में केवल नाम पढ़ना होता है मैं आपको भी अवसर दूंगा ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि आप पहले नियम–३०१ की सूचना ले लें इसके बाद नियम–३११ और फिर नियम–३०० ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं पहले नियम–३०१ की सूचना ले रहा हूं । आज दिनांक ९ मार्च, १९९२ को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–३०१ के अन्तर्गत कुल १९ सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित ७ सूचनायें स्वीकार की गयी । पहली सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जल विद्युत गृह तिलवाड़ा, टिहरी गढ़वाल को पुनः कार्यान्वित कराने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री दल सिंगार जी की दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी, जनपद मऊ के अन्तर्गत क्रय केन्द्र मसनहा जनपद फैजाबाद के गन्ना किसानों का नवम्बर, ९१ से अब तक का गन्ना मूल्य भुगतान कराने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की उन्नाव जिले के सिंचाई खण्ड उन्नाव द्वारा सिंचाई में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, चौथी सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र के कई गांवों में जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय जी की जनपद ललितपुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री लाखीराम जोशी की भूकम्प से हुई क्षति में पुनर्निरीक्षण कार्य आरम्भ न होने से राहत पाने से वंचित लोगों को राहत दिलाने के संबंध में है और सातवीं सूचना श्री राम लखन वर्मा जी की गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ितों को सहायता वितरण में हुई कथित धांधली के संबंध में है ।

अब मैं इन सूचनाओं के संबंध में संबंधित सदस्यों की उपस्थिति देख लेता हूं ।

(श्री दल सिंगार यादव के अनुपस्थित होने पर उनकी सूचना के स्थान पर मैं प्रतीक्षा सूची के क्रम–१ पर श्री सुरेश प्रताप गांधी की सूचना जो जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगर में स्थित परिवहन निगम बस स्टेशन परिसर में हो रहे अतिक्रमण के संबंध में है, को ग्राह्य करता हूं ।)

(निम्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद टिहरी गढ़वाल में जल विद्युत गृह तिलवाड़ा को पुनः कार्यान्वित कराने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में एकमात्र जल विद्युत गृह तिलवाड़ा, टिहरी गढ़वाल कई वर्षों पहले बनायी गयी थी । विगत १० वर्षों से यह जल विद्युत गृह बन्द पड़ा है । सरकारी सम्पत्ति की क्षति हो रही है । इस विद्युत गृह की कालेनी वीरान हो गयी है, बिजली का नितांत अभाव हमारे क्षेत्र में है । फिर भी विद्युत विभाग कई बार कहने के बावजूद उक्त जल विद्युत गृह को बन्द किये हुए है ।

कितना अच्छा होगा कि यह जल विद्युत गृह तिलवाड़ा सुमाडी टिहरी गढ़वाल पुनः कार्य शुरू करे ।]

जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड उन्नाव द्वारा सिंचाई में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जिले के सिंचाई खण्ड उन्नाव की नहरों द्वारा रबी की फसल की सींच की जरूरत के समय पानी नहीं दिया गया । इससे सिंचाई खण्ड के कमाण्ड के क्षेत्र में फसलों को भारी क्षति हुई है और फसलें बर्बाद हो गयी हैं ।

भगवन्तनगर क्षेत्र के माननीय विधायक, भगवती सिंह विशारद ने जिलाधिकारी कार्यालय पर इस समस्या पर धरना भी दिया था । पुरवा क्षेत्र में गुलरिहा, जयसिंह खेड़ा, लोटना, परसाद खेड़ा, हीमीखेड़ा, मवई,असरेंदा, गिलसहामऊ आदि के क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा है नहरों की सिल्ट सफाई में फर्जी कागज तैयार किये गये हैं । कहीं भी सफाई नहीं हुई है इसलिए किसी भी नहर में टेल तक पानी नहीं गया, जनरोष है ।

अतः अति अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को मैं आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में कई गांवों में जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जिला इलाहाबाद के ग्राम मैलहन बनी, पिडौना बीबीपुर, ठटा, खानपुरडांडी, कटेहरी, बजती, रस्तीपुर व पतैयां से जंघई तक खकैइचा आदि ग्रामों का क्षेत्र बर्ना नदी की खुदाई न किये जाने के कारण बरसात के दिनों में तो बाढ़ जैसी समस्या बनी ही रहती है, गर्मी के दिनों में भी पूरे नहरों का पानी इन्हीं गांव के आस-पास इक्ट्ठा रहता है । गर्मी के दिनों में भी बाढ़ जैसी स्थिति इन क्षेत्रों में बनी रहती है । बरसात आदि के दिनों में धान आदि की फसल सड़ जाती है

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

और गर्मी के दिनों में भी यहां नहरों के पानी के कारण गेहूं आदि की फसल सड़ जाती है यह पूरा क्षेत्र बारहों मास पानी की समस्या से ग्रसित रहता है । यह समस्या आज की नहीं कई वर्षों की है । इसके कारण यहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं ।

मेरी सरकार से मांग है कि बर्ना नदी की खुदाई हेतु जल्द से जल्द धन स्वीकृत किया जाय तथा क्षेत्रीय नहरों की खुदाई करके किसी नाले या नदी में सम्पर्क करा दिया जाय जिससे इस क्षेत्र में पानी इक्ट्ठा न हो सके । जब तक यह व्यवस्था न हो जाय तब तक किसानों की हर प्रकार की वसूली रोक दी जाय तथा किसानों की फसल का जब तक पानी निकलने की व्यवस्था न हो जाय इनकी हानि का उचित मुआवजा दिया जाय ।।

जनपद ललितपुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

।। मान्यवर, मुझे संज्ञान में लाना है कि १ जनवरी, ९२ को भा० ज० पा० के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी एकता यात्रा के ललितपुर पहुंचने के अवसर पर स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार तुवन मन्दिर के प्रांगण से जुलूस बनाकर निकले ही थे कि पुलिस द्वारा सभी को निरुद्ध करके शहर कोतवाली ले जाया गया और गिरफ्तार कर लिया जाना बताकर एक ओर सभी को बैठाकर लिखा पढ़ी की जाने लगी कुछ शिवसेना कार्यकर्ता एक ओर बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे और कुछ को पुलिस व सहयोगी कर्मचारी पानी आदि पिला रहे थे कि इतने में पुलिस अधीक्षक श्री एस० एस० सिद्धू थाने में पहुंचे और पुलिस जनों को ललकारते हुए लाठी चार्ज कराकर शिवसेना कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई करायी और बगैर उपचार कराये फर्जी धाराओं में चालान करा कर जेल भेज दिया गया । घटना की सभी विपक्षी दलों ने निन्दा की समाचर-पत्रों ने प्रमुखता से छापा है ।

शिवसेना कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण करके किसी उच्च अधिकारी द्वारा घटना की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने, फर्जी मुकदमा को वापस लेने के लिए लगातार आन्दोलनरत हैं । अब सभी विपक्षी दल छात्र युवा संगठनों ने भी चेतावनी दे दी है । बाजार बन्दी, रास्ता रोको जैसे सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा हो जाने से पुनः टकराव की स्थिति पैदा है जिससे कोई बड़ी और अप्रिय घटना भी घट सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित करने के साथ ही फर्जी मुकदमें वापस लिये जायं ।।

भूकम्प से हुई क्षति में पुनरीक्षण कार्य आरम्भ न होने एवं राहत से वंचित लोगों के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखीराम जोशी–

।।मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी एवं चमोली में भूकम्प से हुई क्षति का पुनः निरीक्षण करने हेतु प्रशासन ने प्रभावित/पीड़ित परिवारों से निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन मांगे थे और १५ जनवरी से भूकम्प क्षति का पुनः निरीक्षण करने की घोषणा की गयी थी, परन्तु अभी तक पुनः निरीक्षण कार्य आरम्भ न होने से अनेक पीड़ित परिवार भूकम्प राहत पाने से वंचित रह गये हैं । प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर अभी लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं । लेकिन एक निश्चित कार्यक्रम व समय

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं । भूकम्प पीड़ितों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत से वंचित करने हेतु अधिकारी लगातार षडयंत्र कर रहे हैं । भूकम्प क्षति के संबंध में पूर्व में जांच व निरीक्षण कर क्षति का आंकलन किया गया है उसमें अनेक शिकायतें हैं, पुनः निरीक्षण से वे सब अनियमिततायें प्रकाश में आ जायेंगी जिसमें अनेक भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी दण्डित हो सकते हैं । इसी कारण से अधिकारी भ्रष्टाचार को दबाने हेतु पुनः जांच कराने से कतरा रहे हैं ।

अतः भूकम्प पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु भूकम्प से हुई क्षति का पुनः निरीक्षण कराने की कृपा करें ।।

गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ितों को सहायता वितरण में हुई कथित धांधली के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लखन–

[मान्यवर, गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में आये भूकम्प व्यापक धन जन की क्षति हुई सहायता वितरण व सामानों की खरीद में धांधली हुई, जिसमें समुचित लाभ पीड़ितों को नहीं मिल पाया ।

पीड़ितों को मकान बनवाने हेतु दी गयी टीन के चादरों की खरीद में भारी अनियमितता व कमीशनबाजी हुई । स्टील अथारिटी आफ इंडिया तथा स्टील कन्ट्रोल से खरीदने पर जो टीन की २६६ रु० में मिलती है, वही टीन व्यक्तिगत व्यापारियों से डेढ़ दो गुने दर पर खरीद कर भूकम्प पीड़ितों को बांटी गयी । उत्तर काशी में प्रति पीड़ित १० फीट की १० चादरें टिहरी में उसी किस्म की ८ और उत्तर काशी में ७ चादरें ही दी गयीं ।

भूकम्प पीड़ितों के लिए वितरित सरिया का भाव १,३३० रुपया प्रति क्विंटल लगाया गया जबकि स्टील अथारिटी का भाव प्रति क्विंटल १,२०० रुपया लगभग था । भूकम्प पीड़ितों को देते हुए खरीदे गये सीमेंट को उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन या आपूर्ति विभाग से नहीं खरीद कर व्यक्तिगत दुकानदारों से महंगे दाम पर रुपया ११७ प्रति बोरी खरीदा गया, जबकि उस समय बाजार भाव रुपया १०० से भी कम था । तिरपाल भी निर्माता कम्पनियों से न खरीद कर व्यापारियों से खरीदा गया ।

इस मानवीय सेवा में अधिकारियों ने व्यापक कमीशन खोरी कर सरकार को करोड़ों की क्षति पहुंचायी ।

आपकी अनुमति से यह तथ्य सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगर में स्थित परिवहन निगम बस स्टेशन परिसर में हो रहे अतिक्रमण के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[[मान्यवर, सिकन्दराराऊ नगर में स्थित बस स्टेशन रोडवेज के प्रारम्भ के समय से ही नगरपालिका कार्यालय के समक्ष, जी० टी० रोड के किनारे एक उपयुक्त स्थान पर स्थित है इस बस स्टेशन में टीन का स्थायी निर्माण कार्यालय व यात्री शैड बने हुए हैं तथा पूरे परिसर में राज्य परिवहन निगम द्वारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पक्का फर्श लगाकर बाउन्डरी की गयी थी । इस बाउन्डरी को ध्वस्त कर बस स्टेशन परिसर में अनेक व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं अनेक दुकान व मकान बस स्टेशन परिसर में बना लिए गये हैं । यह बस स्टेशन परिसर एक किराये के स्थान पर है और भू-स्वामी इसे निगम को बेचने के लिए सहमत हैं परन्तु निगम द्वारा ३० वर्षों के कब्जे के बाद भी इसका अधिग्रहण न करने के कारण अनेक व्यक्ति बिना भू-स्वामी की अनुमति के बस स्टेशन परिसर पर कब्जा कर रहे हैं, भू-स्वामी निगम के अधिकार में होने के कारण उन्हें रोक नहीं पा रहा है । इस स्थान के अतिरिक्त सिकन्दराराऊ नगर में अन्य कोई उपयुक्त स्थान बस स्टेशन के लिए उपलब्ध नहीं है । सिकन्दराराऊ परिवहन निगम का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है । चार राष्ट्रीयकृत मार्ग मिलते हैं जिन पर निगम की बसें चलती हैं, हजारों यात्री प्रतिदिन सिकन्दराराऊ बस स्टेशन का उपयोग करते हैं, इस परिसर का शीघ्र अधिग्रहण कर अवैध कब्जों को रोके जाने की जनता की प्रबल मांग है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।।

जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा के पथरदेवा कस्बे में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के संबंध में नियम ३११ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम ३११ की सूचनाएं आने में थोड़ा विलम्ब है इसलिए मैं नियम ३०० की सूचनाएं ले लेता हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आपने कहा था कि क्वेश्चन आवर के बाद जब निधन के निदेश हो जायेंगे उसके बाद इस ३११ को लिया जायेगा । मान्यवर, देवरिया काण्ड के संबंध में संबंधित सदस्य खड़े भी हुए हैं कृपया पहले उन्हें सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–३११ की पत्रावली अब मेरे समक्ष आ गयी है मैं इसे ले लेता हूं । आज नियम ३११ के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना देवरिया के थाना तरकुलवा के पथरदेवा कस्बे में दिनांक २७/२८ फरवरी, १९९२ को पुलिस द्वारा अत्याचार के संबंध में है । इसमें कई लोगों के हस्ताक्षर हैं । इनमें श्री स्वामीनाथ यादव, श्री रेवती रमण सिंह जी, श्री हरिवंश सहाय, श्री प्रमोद तिवारी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री नरेश अग्रवाल के अलावा अन्य सदस्य भी हैं जिनके नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा । एक चीज और कहना चाहता हूं कि इसी विषय पर कई माननीय सदस्यों की नियम–५६ के अन्तर्गत भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैं उन्हें भी इसी के साथ सुन लूंगा ।

श्री राम लखन–

मान्यवर, मैंने ३११ में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सब सुन लूंगा, आप बैठें ।

(कई माननीय सदस्यों की ओर से नाम पढ़ दिये जाने का अनुरोध किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

नियम ३११ के बारे में और भी सूचनायें आ रही हैं, कार्यालय से । जिनके नाम थे, उनके पढ़ दिये, बाकी जैसे आ जायेंगे, मैं बाद में पढ़ दूंगा ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देवरिया जनपद में गृह राज्य मंत्री के निवास स्थान से ठीक १० कि०मी० दूर, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस ने २७ तारीख को बबुना और बब्बन को बुरी तरह से मारा पीटा और इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह सड़कों की नालियों में गिर गये, तब वहां की जनता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बिना किसी वजह से यह लोग क्यों पीटे जा रहे हैं, इससे वहां की जनता उद्वेलित हुई और उसके बाद जनता तथा पुलिस में कुछ हुआ, उसके बाद पुलिस थाने लौट आयी और तीन थानों तरकुलवा, बघौचघाट तथा रामपुर करखना की पुलिस ने मिलकर २७/२८ तारीख की रात में रामनाथ गुप्ता के घर पर पहुंचकर उनकी चार बहुओं के साथ बलात्कार किया, उनके घरों के सामानों को लूटा, उनकी बहुओं के गुप्तांगों में किस तरह डण्डा डाला गया, उनके घरों की छतों को तोड़ दिया, इस सबमें गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदारों ने किस तरह साथ दिया, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं । चार बहुओं के साथ जिस तरह बलात्कार किया गया, उसको मैं यहां सुनाना चाहता हूं । एक बहू जिसका नाम झोन्टी है,ने बयान दिया है कि हमारी घर में चार-पांच जने घुस गइल और |x x x| हमके तीन आदमी हमरे साथ बुरा काम पटक के पारी-पारी कइले । तो मान्यवर, इस तरह का काम |x x x| के रिश्तेदारों ने किया है और यह भयमुक्त समाज का नारा देते हैं । लालमती जो रामनाथ की पतोहू है, ने बयान दिया है कि उलोग हमरी बच्ची के हमरी गोद में से छीन के |x x x| हमके बेइज्जत कइल । ओकरी बाद हमार बच्ची बहुत रोये । तीसरी बहू जिसका नाम सुशीला है, ने बयान दिया है कि दरोगा जी |xxx| कोठरी में घुस अइले और अपने |x x x| गया । बाद में जांच भी हुई और जांच के बाद जो बाहरी लोग थे, जो इनके रिश्तेदार थे, उन पर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ । तीन थानों की पुलिस वहां उन लोगों का सारा सामान लूट ले गयी, छतों को तोड़ा गया, यह सब |x x x| के इशारे पर हुआ । यह लोग ड्राइवर थे और इन लोगों ने उनके चुनाव में अपनी गाड़ियां नहीं दी थीं । इस गांव को इस कदर घेर लिया गया कि वह लोग तब तक गांव के बाहर नहीं आ पाये, जब तक हम लोग लखनऊ से २९ तारीख को देवरिया नहीं पहुंच गये । किस तरह से भागकर वे देवरिया पहुंचे हैं । जब हम जिलाधिकारी व एस० पी० देवरिया को इसकी सूचना देते हैं तो वह कहते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी घटना की तो कोई जानकारी है ही नहीं । २७/२८ तारीख की रात को यह घटना हुई । जब सम्पूर्ण थानाध्यक्षों का जिले से स्थानान्तरण हो गया था तो मात्र गृह राज्य मंत्री जी के रिश्तेदार थानाध्यक्ष तरकुलवा को वहां क्यों रोका गया । अपनी राजनैतिक दुश्मनी के कारण, जिन्होंने मंत्री जी को चुनाव में मदद नहीं की है, उन्हें दरोगाओं के माध्यम से आज प्रताड़ित किया जा रहा है । यह बहुत साफ है और पुलिस की जांच में भी यह स्पष्ट है । पुलिस के साथ जिन दो व्यक्तियों के नाम आये हैं, वे माननीय गृह राज्य मंत्री जी के रिश्तेदार हैं । श्री हरिद्वार राय व श्री प्रभुनाथ शाही । ये दोनों गृह राज्य मंत्री जी के रिश्तेदार हैं । इसकी जांच करा ली जाय । तरकुलवा के थानाध्यक्ष को आपने हटा दिया परन्तु बघौच घाट व रामपुर करखाने के थानाध्यक्षों को आपने नहीं हटाया ।

नोट–| XXX | यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

मान्यवर, नौगढ़ में ऐसी ही घटना घटी थी । माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने इस सदन में सवाल उठाया था और न्यायिक जांच की मांग की गयी थी और उस समय न्यायिक जांच हुई थी । मैं पूरे प्रकरण पर न्यायिक जांच की मांग करता हूं और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस जांच में जिन अपराधियों के नाम आये हैं चाहे मंत्री जी के रिश्तेदार हों या बाहर के व्यक्ति हों, उनके खिलाफ पहले मुकदमा कायम किया जाय फिर न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नियम ३११ के अन्तर्गत इस विषय पर अन्य माननीय सदस्यों की भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं । पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह व श्री हरिवंश सहाय जी की है, दूसरी श्री प्रमोद तिवारी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री नरेश अग्रवाल जी की है, तीसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित व श्री बलराम यादव जी की है, चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ जी की है, पांचवी सूचना श्री स्वामीनाथ यादव व श्री हरिवंश सहाय जी की है । इन्होंने नियम ५६ में भी इसकी सूचना दी है । छठी सूचना श्री अखिलेश सिंह जी की है । इन्होंने भी नियम–५६ में इसकी सूचना दी है । सातवीं सूचना श्री विश्वनाथ जी की है । उक्त सभी माननीय सदस्यों ने जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा के थाना पथरदेवा कस्बे में दिनांक २७/२८ फरवरी, १९९२ को पुलिस द्वारा अत्याचार के संबंध में सूचना दी है । अब मैं श्री हरिवंश सहाय जी को अनुमति देता हूं । वह अपनी बात संक्षेप में कहें । क्योंकि इस पर कई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, श्री स्वामीनाथ यादव जी ने जो मामला इस आदरणीय सदन में उठाया है और उसके संबंध में जो बातें कही गयी हैं, उन सबका समर्थन करते हुए मैं एक नई बात कहना चाहता हूं । जो घटना इस प्रकार की हुई है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, उसमें जाना जरूरी है । १९८६ में एक सेनिटरी इन्सपेक्टर पथरदेवा में था और वह हरिद्वार राय का रिश्तेदार था । एक दिन एक रिक्शे वाले को पैसा देने के नाम पर रिक्शेवाले को सेनिटरी इन्सपेक्टर मार रहा था । उस समय बब्बन ने उसे रोका । इस पर दोनों में मार-पीट हो गयी । उसके खिलाफ ३२३, ३२४ व ३०६ का मुकदमा कायम हो गया जो सन् १९८६ से आज तक लम्बित पड़े हैं । यह बब्बन मुकदमें में हाजिर नहीं हुआ था उसके कारण एक गैर जमानती वारण्ट उसके विरुद्ध जारी हुआ होगा । इन चारों में से एक लल्लन जो बब्बन का भाई है ड्राइवर है और वह ब्रह्माशंकर तिवारी जो जनता दल के कैंडीडेट थे उनकी जीप चलाता था । थानाध्यक्ष विजयशंकर राय ने इन दोनों व्यक्तियों को इतना मारा कि लल्लन की बांह टूट गयी । मैं जिला परिषद् के अध्यक्ष के कमरे में बैठा था मैं उसके साथ एस० पी० के यहां गया तो मैंने कहा यह उचित नहीं है कि मोटर ऐक्ट में उसका चालान करना चाहिए था इस तरह बांह तोड़ कर उचित नहीं किया । इस पर पुलिस अधीक्षक ने एक बूंद आंसू गिराया और कहा कि यह बड़ा अन्याय हुआ है । मैं इस पर कार्यवाही करूंगा ।

जब एक महीने तक लल्लन ने इंतजार किया और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने न्यायालय में इस्तगासा दायर की । वर्तमान थानाध्यक्ष उस पर दबाव डालते रहे कि वह इसे वापस ले लें । जब वापस नहीं लिया तो संयोग से उसके परिवार का एक गैर जमानती वारण्ट मिला । इसी पर २७ तारीख को लल्लन और बब्बन को मार-मार कर गिराया जाता है जिसे देख कर गांव वालों में उत्तेजना होती है इस अन्याय को देख कर गांव वालों ने भी पत्थरबाजी की । किसी तरह से लल्लन और बब्बन पूरब की ओर भागते हैं तो दरोगा भी पूरब की ओर जाता है । तब से इन दोनों का पता नहीं है कि कहां हैं ।

२७ तारीख को १२ बजे रात थानाध्यक्ष विजय शंकर राय तीन थानाध्यक्षों के साथ १० आदमियों को लेकर इनके घर धावा बोलते हैं और घर का सामान लूटते हैं जिसमें सुशीला पत्नी बब्बन का ५ थान सोना, ११ थान चांदी और ४० हजार रुपया, लालमती पत्नी श्री बबुना का ६०,००० रुपया, ४ थान सोना और ५ थान चांदी लूट ले जाते हैं और सुशीला के [x x x] करते हैं । इसके बाद तीसरा आदमी अनिल जो छोटा है उसकी पत्नी ज्ञानती है उसके साथ भी दुर्वव्यहार किया । जिस पर कोई मुकदमा भी नहीं है और इनके घर से दूर रहती है [xxx] और उसका ५ थान सोना और ४ थान चांदी लूट लिये । इसी प्रकार चौथी कलावती पत्नी लल्लन का ८ थान सोना ७ थान चांदी और ६०,००० हजार रुपया लूट लिया और उसके साथ बलात्कार किया । इसके बाद वहां पुलिस का पहरा बैठा दिया और फर्जी कुर्की वारंट जारी कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जिस आदमी पर विश्वास करते हों उसको उनके घर भेज कर जांच करवा लें जो वहां जाकर देख सकता है कि उनके घर को तोड़ दिया गया है, बर्तन तोड़ दिये हैं सारा खाने पीने का सामान नष्ट कर दिया है । उसके घर का सारा सामान थाने लाद कर ले गये । २८ ता० को पूरा घर घेरे रखा किसी तरह से २९-२-९२ को ४ बजे सुबह धीरे से ज्ञानती सहित चारों औरतें देवरिया पहुंची हम लोग भी देवरिया गये और पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दी उसकी जांच सी० ओ० भटनी ने किया है । मुझे सूचना मिली है, सी० ओ० ने लिखा है कि बलात्कार की घटना और लूट की घटना सही है । इस कांड में १० आदमी पुलिस के अतिरिक्त थे, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

मान्यवर, २९ फरवरी, १ मार्च, और २ एवं ३ मार्च को वहां कोई अधिकारी नहीं गया था । मान्यवर, ५ तारीख को जिलाधिकारी दो डाक्टरों को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा डाक्टरी मुआयना करायेंगे । ८ दिनों बाद जिन औरतों के साथ बलत्कार हुआ है उनकी जांच कराने के लिए कहा जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में कहें ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, सरकार से मेरी मांग है कि इस घटना की जुडिशियल जांच की जाये और पीड़ित परिवारों को कम से कम १० लाख रुपये मुआवजा दिया जाये तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये ।

* श्रीमती शारदा देवी–

मा० अध्यक्ष महोदय, ६ तारीख को वहां मैं गयी थी और जो बातें आपके सामने मा० सदस्यों ने रखी हैं वह सारी बातें सही हैं । मेरा चैलेन्ज है, आप सदन की ५ सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो वहां जाकर, मैं उन महिलाओं को लाकर खड़ा कर दूंगी, उन महिलाओं के बयान लें, तो जो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि यह सारी बातें गलत हैं तो आपको पता चल जायेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है ? उन महिलाओं ने अपनी सारी सम्पत्ति रुपया पैसा तक दे दिया लेकिन फिर भी उनकी इज्जत को नहीं

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छोड़ा गया और उनके साथ बलात्कार किया गया । इस गुप्ता परिवार ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था,उन्होंने जनता दल का समर्थन किया था, इसलिये छोटी सी बात को लेकर, मंत्री जी तो अच्छे हैं, इनकी कोई गल्ती नहीं है लेकिन इनके संत्री मंत्री जी के ऊपर हैं, इसलिये इनके संतरी और इनके भाई तथा रिश्तेदार मिलकर यह घटना किये हैं ।

मान्यवर, नरायणपुर कांड हो गया था तो जनता पार्टी की सरकार चली गयी थी जबकि उस समय एक बुढ़िया के साथ ही बलात्कार की बात थी और उस समय हम विधायक थीं लेकिन आज ४-४ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसलिये इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये और मेरी मांग है कि सरकार इस्तीफा दे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती शारदा देवी–

मान्यवर, उन लोगों के पास केवल अपनी इज्जत ढकने के नाम पर धोतियां रह गयी हैं । उनकी सारी सम्पत्ति रुपया पैसा लूट लिया गया है और घर के दरवाजे उखड़ गये हैं जिससे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है । मेरी मांग है कि इस घटना की न्यायिक जांच आप करायें ।

श्री विश्वनाथ–

मा० अध्यक्ष महोदय, २७ तारीख की शाम को पथरदेवा में बब्बन और लल्लन को पुलिस ने बुरी तरह से सड़क पर पीटा लोगों ने अपत्ति की तो दरोगा ने फायरिंग की । भयभीत और उनके चंगुल से छूटा बब्बन पूरब की ओर भागा । दरोगा उसका पीछा करते गये । रात को एक बजे के लगभग पुलिस पूरी तैयारी के साथ धन लूटने का काम, नारी का सम्मान लूटने का काम, उनका गहना, उनका कपड़ा लूटने का काम, उनकी नकदी लूटने का काम करने आयी । लाखों रुपये की धन सम्पदा लूटी । इतना ही नहीं मान्यवर, रात को उन चारों भाइयों की पत्नियों के साथ [x x x] उन्हें लातों से पीटकर उनके साथ बलात्कार किया गया । उनके [xxx] और ७५ साल की बूढ़ी बब्बन की [xxx] गयी, उसके जेवर लूट लिये गये । २८ तारीख को पुलिस जाती है और उसका नंगा नाच होना है । पांच ट्रालियां खाली ले जाई जाती हैं । उसकी दीवार तोड़ी जाती है, जंगले तोड़े गये, छत तोड़ी गयी, पानी का नल तोड़ दिया गया । चक्की का पिसा आटा, खर्च का आटा तक उठा ले गये । यह सब थाने में उठा ले गये ।

यह स्थिति रही माननीय राज्य (गृह) मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही के क्षेत्र की । २८ तारीख की शाम को मुझे पूर्व विधायक ब्रह्मा शंकर तिवारी ने सूचित किया । मैंने पुलिस महा निदेशक को टेलीफोन पर घटना की सूचना दी । डी० आई० जी०, गोरखपुर को घटना की सूचना दी । लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । ऐसी स्थिति में मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा कि जांच करवा लीजिये । इस सारी घटना की जिम्मेदारी [xxx] की है । मैं मांग करता हूं कि सारे पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी जो उस रात को व दिन को वहां थे जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं । इज्जत उतारी है, जिन्होंने लूट की है और कानून विरोधी कार्यवाही की है उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये जायं । गृह राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही के

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सिपहसालार हरद्वार राय और प्रभु नाथ शाही जैसे लोगों को मुजरिम बनाया जाय और श्री सूर्य प्रताप शाही को नारी सम्मान लूटने और कानून की धज्जियां उड़ाने के अभियोग में मंत्रि-मंडल से निकाल दिया जाय, मुजरिम बनाया जाय और अदालत के सामने पेश किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । अखिलेश जी के बाद प्रमोद तिवारी जी बोलेंगे ।

श्री अखिलेश–

माननीय अध्यक्ष, २७-२८ की जो पथरदेवा की घटना है उससे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय व आतंक व्याप्त है । पूरे समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित किये गये हैं उसमें हमारे सदस्यों के साथ-साथ कुछ मंत्रियों ने भी बयान दिये हैं । उनके और हमारे बीच एक बिन्दु पर मतभेद है । आप कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ और विपक्ष के लोगों का कहना है कि बलात्कार हुआ है । परन्तु मेरा भी कहना है कि बलात्कार के सम्बन्ध में, बलात्कार हुआ है या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है । महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है । माननीय शिव प्रताप शुक्ल, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रेस के माध्यम से समाचार पत्रों को सूचित किया है कि पुलिस की ज्यादती हुई है, लूट की घटना हुई है, कुछ मायनों में असामान्य घटना घटी है । आज मान्यवर, वहां का वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि वहां जन-मानस भयभीत एवं आक्रोशित है । मान्यवर, दो तीन बिन्दुओं की तरफ मैं कहना चाहूंगा । मान्यवर, यह घटना श्री सूर्य प्रताप शाही जी के निर्वाचन क्षेत्र की घटना है ।

[समय–१ बजकर २० मिनट]

पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद के २८ दरोगाओं का स्थानान्तरण होता है, तो २७ दरोगा तो दूसरी जगह चले जाते हैं लेकिन विजय शंकर राय एक दरोगा का स्थानान्तरण रोक कर उसे थाना तरकुलवा पर नियुक्त किया जाता है । दूसरी बात जिस अपराध के अन्तर्गत कुर्की वारण्ट जारी है उस अपराध की प्रकृति क्या है आप तो अधिवक्ता हैं आप तो जानते ही होंगे । मान्यवर, यह ३२३, ५०४, ५०६ के अन्तर्गत कुर्की की बात करते हैं । २७ तारीख को यह पथरदेवा जाते हैं और बब्बन को पकड़ते हैं और बेतहाशा मारना शुरू करते हैं उसको इतना पीटते हैं कि जनता के मन में भी रोष और आक्रोश की भावना आ जाती है और हजारों की तादाद में जनता वहां इक्ट्ठी हो जाती है, तो थानाध्यक्ष बब्बन को छोड़कर भाग जाते हैं उसके बाद पुनः ११ बजे रात्रि में उसके घर पहुंचते हैं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं । इसकी मान्यवर, न्यायिक जांच करा ली जाय । महिलाओं के साथ दुर्व्यहार हुआ है । वृद्धों को मारा-पीटा गया है । दूसरे दिन मान्यवर, २८ तारीख को पुलिस के लोगों ने ऐन-केन प्रकारेण कुर्की का वारण्ट न्यायालय से जारी करा लिया, जिस तरह से कुर्की करते हैं ऐसी उत्तर प्रदेश में दुर्दान्त अपराधियों के यहां भी की जाने वाली और कोई कुर्की नहीं होगी । मान्यवर, ३२३, ५०४ और ५०६ के अन्तर्गत कुर्की की गयी । सूर्य प्रताप शाही जी प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं ।

यह घटना के सात दिन बाद अपने क्षेत्र में घटना की खोजबीन करने पहुंचते हैं । देवरिया की घटना में इनकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । सूर्य प्रताप शाही जी के स्वयं के बयान ने यह साबित कर दिया है कि देवरिया के पथरदेवा में बब्बन के परिवार के साथ अमानुषिक कृत्य किया गया, ज्यादती की गयी । जितनी घटनायें उजागर हो चुकी हैं, जिसकी ज्यादती प्रमाणित हो गयी है उसमें दरोगा को निलम्बित किया जाना चाहिए और पुलिस प्रशासन के लोगों को निलम्बित किया जाना चाहिए । अपराधिक मुकदमे कायम होने चाहिए । जहां तक बलात्कार के बिन्दु का प्रश्न है इसमें न्यायिक जांच आप बैठा दें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आजादी के चालीस साल बाद जिस ममतामयी भारतीय संस्कृति के आधार पर यह सरकार आयी है, इन्होंने भयमुक्त समाज का नारा देकर जो अपनी सरकार बनाई है । (शोरगुल) मान्यवर, मैं तो यह सोचता था कि इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए सत्तापक्ष के सदस्य संयम और धैर्य से काम लेंगे । निष्पक्ष न्याय की बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि नैतिकता का दूर-दराज का रिश्ता नहीं है । अगर इनमें नैतिकता होती तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था और इस्तीफा देकर फिर से आना चाहिए था । कुछ तथ्य मान्यवर, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वह सभी तथ्य सत्य हैं । जो अन्य माननीय सदस्यों ने रखे हैं । मैं उनसे अपने को जोड़ता हूं ।

मान्यवर, विधान परिषद् में विरोध पक्ष के नेता अम्मार रिजवी जी और विधान परिषद् के सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी कुछ तथ्य लाये हैं वह मैं बताना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भयमुक्त समाज के आधार पर विधायकों पर हमले किये जाते हैं । विधायकों के भाइयों पर हमले होते हैं और जिस ममता का हवाला लेकर यह आये हैं उनकी इज्जत लुट रही है । दूर-दराज कहीं यह घटना होती तो ठीक था लेकिन माननीय गृह राज्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना हुई है । महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं । अगर गृह राज्य मंत्री जी चुप्पी साध लेते तो ठीक था लेकिन आपने फतवा जारी करा दिया कि सब निर्दोष हैं । सब गलत हैं । आरोप बेबुनियाद हैं । गृह राज्य मंत्री ने ही इसको बेबुनियाद बता दिया तो पुलिस कहां तक पहुंच सकती है । यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसलिए मैं कह रहा हूं । चूंकि माननीय गृह राज्य मंत्री जी का बयान आ गया है इसलिए अब कोई भी जांच जो प्रदेश सरकार की किसी भी एजेंसी से करायी जायेगी उसके कोई माने नहीं रह गये हैं उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है । हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत से अपराधी छूट जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार होते हैं लेकिन महिलायें उनको कहती नहीं हैं इसलिए बहुत से अपराधी छूट जाते हैं । यहां पर तो सबसे दुखद तथ्य यह है कि तीन-तीन महिलायें चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं कि गृह राज्य मंत्री जी आपके क्षेत्र में हमारे साथ बलात्कार हुआ है और गृह राज्य मंत्री जी कहते हैं कि बलात्कार हुआ नहीं है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब दरोगा और पुलिस बलात्कार कर रही थी, तो क्या आप वहां साक्ष्य के रूप में मौजूद थे । अगर मंत्री जी मौजूद नहीं थे तो मंत्री जी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह अपराधी नहीं हैं । कानून की दृष्टि से यह है कि जब भुक्तभोगी महिलाओं का बयान और स्थानीय साक्ष्य हो तो दण्ड दिलाने के लिए यह पर्याप्त है । मंत्री जी क्या न्याय को भूल गये हैं ? उन महिलाओं का जो बयान है वह धारा १६१ का अंग बन जाता है और उस बयान के बाद मुल्जिमों को सिवा कटघरे में खड़े करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है । उन मुल्जिमों को बचाने वाला भारतीय दण्ड संहिता की धारा २०१ के तहत वह भी उतना अपराधी है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बलात्कारियों के साथ आज कोई खड़ा हो सकता है तो वह इस प्रदेश के [xxx] हैं जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं सिर्फ दो-तीन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, किस बात के कारण यह हुआ । एक ऐसा अपराध जो वर्षों पहले घटित हुआ था ३२५ का, पुलिस ३-४ वर्ष सोती रही, अब पुलिस को याद आयी कि कुर्की करनी है । मगर कुर्की कैसे हुई ? कुर्की में क्या किसी की छत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

तोड़ी जाती है ? कुर्की में क्या किसी का दरवाजा तोड़ा जाता है ? महिलाओं के शरीर से उनके आभूषण उतरवा लिये गये, यह कौन सी कुर्की का स्वरूप है । यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं पुलिस ज्यादती के साथ राजनीतिक मंशा उसमें शामिल थी । जब गृह राज्य मंत्री का वह क्षेत्र हो तो राजनीतिक मंशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि क्या थी । राजनीतिक मंशा और भी स्पष्ट हो जाती है जब उनको बेदाग साबित करने की कोशिश की जाय । अब फिर कौन सी जांच का औचित्य रह जाता है ?

मैं यह तो नहीं कहता कि उनको फांसी दे दीजिए । हमारे किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि बिना मुकदमा चलाये उनको जेल भेज दीजिए । सम्पूर्ण विपक्ष एक बात कह रहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करा दें तो वह कौन सा गुनाह कर रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया में बहुत विलम्ब होगा । मैं सरकार की विश्वसनीयता को चुनौती देता हूं, अगर आप भारतीय संस्कृति के नाम पर, ममता के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सत्ता में आये हैं और अगर आप में साहस है तो इस सदन की सर्वदलीय समिति बना दी जाय । कल विधान सभा का सत्र स्थगित कर दिया जाय और आपके नेतृत्व में विधान सभा की सर्वदलीय समिति देवरिया, पथरदेवा चले और अगर महिलायें यह कह दें कि उनके साथ बलात्कार हुआ है तो गुप्ता जी आपकी सरकार को एक पल भी उत्तर प्रदेश में शासन करने का नैतिक अधिकार अब नहीं रह जाता है । आप इस्तीफा दे दीजिए और जनता के बीच चलिये उनसे माफी मांगिये ।

माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपराधी अगर पुरुष है तो कौन सा न्याय है जो महिलाओं के साथ बलात्कार करने की इजाजत देता है ? कौन सा न्याय महिलाओं के शरीर से आभूषण उतरवाने की इजाजत देता है ? यह अत्यंत गम्भीर घटना है । इस घटना की जांच में विलम्ब न हो इसलिए मेरा आग्रह है कि सर्वदलीय सदस्यों की एक समिति कल ही मौके पर जांच करने जाय । मान्यवर, मैं कर्नाटक का एक उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, कर्नाटक में एक मंत्री के ऊपर जब अपराध लगा था तो वहां के मुख्य मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, उस मंत्री को बर्खास्त करने की घोषणा सदन में की थी । मैं कहना चाहता हूं, आज नैतिकता के आधार पर, राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी में साहस नहीं है, क्योंकि नैतिकता से इनका दूर दराज का रिश्ता नहीं है .....[x x x] नैतिक कार्यों की उम्मीद इनसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह बहुत ही घटिया और घृणित आरोप है और इसमें [xxx] शामिल हैं । यह उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलावें और नैतिकता का तकाजा है, २४ घंटे की बात है, गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा दिलवा दें और एक सर्वदलीय समिति बनाकर वहां ले जायं ताकि सत्य सामने आ जाय कि क्या हुआ । यह सिद्ध हो जाय कि पुलिस ने अपराध किया है तो इनको भी हथकड़ियां पहनाकर उसी पुलिस के साथ ले जावें और वहीं न्याय होगा । इस बात पर बल देते हुए कि इस सरकार को बर्खास्त कर दें मेरा निवेदन है कि सर्वदलीय समिति का गठन करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हर दल से तीन लोग बोल रहे हैं । मैं बहुत संक्षेप में दो बातें कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति दे दी है क्या ? इस पर माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के हस्ताक्षर हैं, वे कुछ कहना चाहें तो कहें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता में जिसको घमण्ड हो जाता है, एक बार आने के बाद, वह दुबारा सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंच पाता है । मान्यवर, झूठ को सच बनाने की चाहे जितनी कोशिश की जाय, लेकिन झूठ–झूठ रहता है, सच-सच रहता है । गांधी जी की हत्या करने वाले लोग जिस फासिस्टवाद को जन्म दिये थे हमारे देश में, उसी फासिस्टवाद को आज यह सरकार अपना रही है और उसी का परिणाम है कि सत्ता के घमण्ड में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि किस संविधान की शपथ लेकर, किस तरह से लोगों को गुमराह करके और क्या नारा देकर ये सदन में आये हैं । राम, रोटी और इंसाफ का नारा देकर ये सत्ता में आये हैं । होम मिनिस्टर के गृह क्षेत्र में इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है, वर्ष ८६ का मुकदमा ३२३, ५०४ और ५०६ उसके नाम पर कुर्की वारण्ट और उसके बाद दरवाजे खिड़की तक तोड़ देना । हो सकता है कि महिलाओं पर बलात्कार की बात विवादित हो, लेकिन क्या इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एक महिला [xxx] धमकाया । इसमें झूठ हो सकता है ? वह महिलायें लखनऊ में घूम रही हैं और सत्ता पक्ष के लोग हंस रहे हैं । हो-हल्ला मचा रहे हैं । इससे ज्यादा रावण का चरित्र और क्या हो सकता है ? श्रीमन्, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकार चलाने के कुछ मान्य तरीके हैं जिनको कभी नहीं छोड़ा जाता, लेकिन आज ये सरकार में आकर उनको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं । ये घमण्ड में आ गये हैं । हम नहीं कहते हैं कि गृह राज्य मंत्री दोषी हैं, जांच कमेटी बतायेगी कि किसका दोष है, लेकिन क्या यहां के सभी सदस्य झूठी बातें कह रहे हैं ।

अगर ऐसा नहीं कहा जा सकता तो इसकी जांच करा लें । रामनाथ गुप्ता के परिवार ने ८९ और ९१ दोनों चुनावों में आपका विरोध किया था । इसलिए बदले की भावना से आपकी शह पर पुलिस के जरिये से उस परिवार का इतना उत्पीड़न किया गया । श्रीमन्, कार्यवाही क्या हुई, अब तक उस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया । इस तरह की तमाम गम्भीर घटनायें आपकी जानकारी में आयी होंगी, लेकिन इतने दिन के बाद दरोगा को सिर्फ लाइन हाजिर करने की बात शायद ही कभी हुई होगी । वैसे भी लाइन हाजिर तो कोई सजा भी नहीं है, एक मामूली स्थानान्तरण है । श्रीमन्, जो हमको सबूत मिला है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि डी० एम० और एस० पी० गृह राज्य मंत्री को खुश करने के लिए, आपके चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया है, उनको प्रताड़ित करने के लिए डी० एम० और एस० पी० मिल करके उन लोगों को बेइज्जत किया । और आप खामोश हैं, तो आप भी दोषी हैं और नैतिकता के आधार पर आपको यहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है । मुख्य मंत्री जी को यहां पर मौजूद होना चाहिए । मैं माननीय नेता विरोधी दल से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह से इज्जत लुटती रहेगी और इसको अगर बहस मानेंगे, जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही की बर्खास्तगी की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक सदन की कार्यवाही एक मिनट भी चलने न दें । यह हमारी सोच है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा भी नाम है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, मैंने प्रयास किया है कि उन सम्मानित दल के नेताओं को बोलने का मौका दे दूं। चूंकि देवरिया का मामला था, इसलिए मैं देवरिया के माननीय सदस्यों को बुलाने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मुझे केवल दो बिन्दु उठाना है।

(व्यवधान)

श्री राम लखन–

मान्यवर, हमको आपने बुलाया था।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तो सूचना भी नहीं है, इस विषय पर आपने सूचना नहीं दिया है।

(व्यवधान)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रसव पीड़ा के अन्तिम दौर की यह सरकार जिसको नारी के सम्मान का ज्ञान नहीं है, नागपुर की छत्रछाया में जिन लोगों ने ट्रेनिंग पायी हो, वह नारी सम्मान कैसे जानेंगे ? अगर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री शामिल हो जाय, तो इससे बढ़कर अन्य कृत्य और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसकी इज्जत होती है, आभूषण तो वापस आ सकता है, लेकिन इज्जत जब लुट जाती है, तो वह श्रीमन् कभी वापस नहीं आती है।

मान्यवर, आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बलात्कार के समय कोई भी इवीडेंस नहीं होती है। यदि बलात्कार के समय साक्ष्य मौजूद हों, तो बलात्कार हो ही नहीं सकता, सिर्फ नारी का कह देना कि बलात्कार हुआ है, पर्याप्त है, अभियुक्त पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करे। मान्यवर, आप जैसे ज्ञानी अधिवक्ता के समक्ष यह बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। मान्यवर, यह कितना गम्भीर विषय है, तीन-तीन नारियों की इज्जत का आभूषण लुटा, माननीय गृह राज्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घटना हुई, गृह राज्य मंत्री गये भी नहीं, उन्होंने डी० आई० जी० को बुलाकर कहा कि जब तक सत्यता सिद्ध न हो, तब तक आपने दरोगा को निलम्बित करने का आदेश कैसे किया ? इससे यह सिद्ध होता है कि [xxx] मान्यवर, दरोगा ने कहा कि ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ, तो इस सरकार और उसकी पुलिस पर कैसे विश्वास कर लें ? मान्यवर, जैसा माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, जैसा माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा, श्रीमन्, इसको आज बड़ी गम्भीरता से लेना पड़ेगा।

मान्यवर, नारी सम्मान की बात है फिर भगवान बुद्ध की नगरी में नारी की इज्जत लूटी गयी और [xxx] उसमें सम्मिलित हो मेरा निवेदन है कि इसको गम्भीरता के साथ देखा जाना चाहिये। एक मंत्री का हाथ है, यह सारे विपक्ष का मत है, सारा विपक्ष इसको मानता है, इसलिए आप मुख्य मंत्री जी को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन में बुलायें और वह घोषणा करें । अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम लोग जो सदैव लोकतांत्रिक परम्पराओं को लाने का प्रयास करते रहते हैं, आज लोकतांत्रिक कदम उठाना पड़ेगा और हम सदन को नहीं चलने देंगे । आप अपना निर्णय देते समय इस बात का ध्यान रखें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कहने पर ही आप कोई निर्णय न दे दें, [xxx] आप तो कम से कम सत्यता को देखें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, नरेश अग्रवाल जी, आपने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसका हवाला दिया । माननीय तिवारी जी फौजदारी के प्रख्यात अधिवक्ता हैं, आप उस निर्णय को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दिया हो कि बिना मेडिकल एक्जामिनेशन के किसी को सजा दी हो । आप उस निर्णय को हमें दे दें । उस निर्णय की प्रति दे दें, जिसमें नारी के जबानी बयान पर सजा दी हो ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उसका उत्तर आप ले लें । मैं रूलिंग को भी बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपने ज्ञान वृद्धि के लिये उसको मांग रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर,आपका आदेश है तो मैं उस रूलिंग को दे दूंगा ।आपके चेम्बर में दे दूंगा ।

* श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह मामला सरकार की नीति से जुड़ गया है, जब कि राज्य गृह मंत्री जी आरोप के कठघरे में आ गये हैं और उन पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगाये गये हैं । वहां पर कांग्रेस दल की ओर से लोग गये और हमारे दल के जिम्मेदार सदस्य श्री शारदा नंद अंचल भी वहां पर गये और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वहां पर बलात्कार हुआ है और लूटपाट हुई है और सरकार की ओर से शिक्षा राज्य मंत्री श्री शिव प्रसाद शुक्ल जी भी वहां पर गये, उन्होंने जो बयान दिया वह यह दिया है कि वहां पर बलात्कार नहीं हुआ । शुक्ला जी ने कहा कि वहां पर ज्यादतियां हुई और दुर्व्यवहार हुआ । यह सरकार ने माना है, तो उसे अब तक इस पर कार्यवाही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । यह तो सभी को मालूम है कि अगर थानाध्यक्ष को थाने से लाइन हाजिर कर दिया जाना है, तो कोई दण्ड नहीं होता है । सरकार की जो नीति है, उस पर शक और शुभह पैदा हो गया है, क्योंकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । सरकार के एक सदस्य पर आरोप लगाये गये हैं, तो इस पर कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी को तो बयान देना चाहिए । तो माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए फिर आपके नेतृत्व में कल परसों या जिस दिन आपको सुविधा हो, उधर के सदस्य ज्यादा तादाद में चलें, सारे के सारे लोग चलकर महिलाओं के बयान लें तब कोई कार्यवाही करें । पहले आदरणीय मुख्य मंत्री को इस सदन में बुलाने की कृपा करें ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, पथरदेवा काण्ड में गृह राज्य मंत्री दोषी हैं या नहीं, बलात्कार हुआ है या नहीं यह प्रश्न विवाद का हो सकता है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मर्यादाओं की भी कुछ सीमा होती है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर मर्यादा का संकल्प लेकर सत्ता में आये हैं वही लोग मर्यादाओं को तोड़कर ऐसे कलंकित काम में सहयोग देंगे तो मर्यादायें कहां रह जायेंगी ? मान्यवर, यह सदन वास्तविक मायनों में मर्यादाओं का सदन है और इस सत्र में मैं देख रहा हूं कि रोज एक परिचर्चा इस पर होती है कि पुलिस ने किस सीमा तक अमानुषिक व्यवहार किया है । मान्यवर, मैं आपके सामने राष्ट्रीय सहारा के पत्र को भेज रहा हूं जिसमें माननीय गृह राज्य मंत्री ने खुला बयान दिया । विवाद की वजह यह है कि जिस प्रदेश का गृह राज्य मंत्री स्वयं अपने ऊपर लगाये हुए आरोपों को यह कहे कि यह समस्त आरोप बेबुनियाद और ओछी राजनीति के परिचायक हैं तो निश्चित रूप से सरकार गुण्डों और पुलिस को अत्याचार करने में ही सहयोग करती है । मान्यवर, माननीय गृह राज्य मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहता हूं किं एक तरफ माननीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि श्री हरिद्वार राय मेरे खास विरोधी हैं । श्री राय कांग्रेसी हैं और दो बार ब्लाक प्रमुख रह चुके हैं लेकिन जब प्रभुनाथ शाही का नाम आंता है तो उस पर यह बयान नहीं देते हैं । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मैं यह मानता हूं कि समाज में कहीं न कहीं दोषी हम भी हैं और गृह राज्य मंत्री भी दोषी हो सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में । लेकिन जब इस तरह का मामला हो जाय तो मान्यतायें व्यक्ति को बाध्य कर देती हैं कि वह अपनी मर्यादाओं का अनुपालन जरूर करे । मान्यवर, किसी भी महिला के साथ हुआ बलात्कार दोषपूर्ण है लेकिन इस तर्क को विधि सम्मत तरीके से अभी हमारे सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री काट देंगे कि बलात्कार नहीं हुआ है लेकिन श्रीमन्, बलात्कार हुआ या नहीं यह विवाद की परिधि में आ सकता है, मान्यवर, इस आरोप को क्या माननीय गृह राज्य मंत्री स्वयं उठकर कह पायेंगे कि वहां की महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार नहीं किया गया । मान्यवर, माननीय गृह राज्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस सदन में अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करने के लिए, चाहे जो भी व्यक्ति वक्तव्य दे, लेकिन बड़ा ही प्रभावी कदम होगा अगर स्वयं गृह राज्य मंत्री मर्यादाओं के संरक्षण के लिए आगे आयें और अपने पद की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं न्यायिक जांच की मांग करें और अपने पद से इस्तीफा देकर इस बात को प्रमाणित करें कि इस काण्ड में वह दोषी नहीं हैं । इन शब्दों के साथ मैं बल देता हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति आपके नेतृत्व में देवरिया जाय और वास्तविक तथ्यों का पता करें ।

श्री अध्यक्ष–

इसके पहले कि मैं संसदीय कार्य मंत्री को आमंत्रित करूं, मैं माननीय नेता विरोधी दल से कह रहा हूं कि चूंकि आपकी सूचना है, आपको कुछ कहना हो तो कह दें उसके बाद में मैं संसदीय कार्य मंत्री को आमंत्रित करूंगा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, इधर भी देवरिया के एक आध लोग हैं, उनको भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले इधर की बात समाप्त हो जाय ।

कुंवर रैवती रमण सिंह–

मान्यवर, यहां पर अपनी बात कहूं, उसके पहले आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि इस सरकार के गृह मंत्री, मुख्य मंत्री स्वयं हैं और जब इस प्रकरण में गृह राज्य मंत्री जी के ऊपर माननीय नेताओं और सदस्यों ने आरोप लगाये हैं तो इस सदन की परम्परा रही है कि जब तक इस तरह के गम्भीर विवाद उत्पन्न होते हैं तो ऐसे सवालों के जवाब मुख्य मंत्री स्वयं देते हैं । माननीय गुप्त जी संसदीय कार्य में, प्रणाली में संयुक्त दायित्व होता है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब आप यहां पर बैठते थे तो अनेक बार सदन में ऐसे विषय आये हैं, जिसमें सदन की यह मान्यता रही है कि मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाय और वह बुलाये गये हैं, अनेक बार बुलाये गये हैं । संयुक्त दायित्व के नाम पर आप जवाब दे सकते हैं लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए और चूंकि वह मुख्य मंत्री भी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब तक हम अपनी बात यहां कह रहे हैं आप मुख्य मंत्री जी को बुला लें तो बेहतर होगा । हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चले, उसमें कोई व्यवधान न पैदा हो ।.....(व्यवधान) जिद्द की बात तो आप करते हैं ।

इस सदन की परम्परा की बात में कह रहा हूं । एक बार नहीं अनेक बार मुख्य मंत्री को बुलाया गया और उनको आना पड़ा है और उनको उसका बयान देना पड़ा है । आप चाहें तो कार्यवाही निकाल कर देख लें । यह पथरदेवा का जो काण्ड, माननीय जनता दल के सदस्य, देवरिया ने उठाया और जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी और सजपा के नेता तथा अन्य तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, यह एक ऐसी घटना है जो बहुत ही शर्मनाक है, मुझे इस बात का क्लेश है कि आज सदन में इस बात पर विवाद चल रहा है कि बलात्कार हुआ कि नहीं ? आज वे महिलायें लखनऊ में मौजूद हैं और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई भी महिला जो भारतीय संस्कृति को मानने वाली हो, जिसके साथ बलात्कार न हुआ हो वह यह कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है । इन चार महिलाओं में से तीन महिलाओं ने ही ऐसा कहा है । इसको इतने हल्के ढंग से कहना कि यह मनगढ़ंत कहानी है, बड़ी ही लज्जाजनक बात है । कल हमारे नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और हमारे नेता शरद यादव देवरिया गये थे और दुःख की बात यह है कि उनको घटनास्थल तक जाने नहीं दिया गया । उनका घेराव किया गया और उन पर पत्थर बाजी की गयी । मैं समझता हूं कि इस घृणित और गान्दा काम कोई हो नहीं सकता है । मान्यवर, प्रजातन्त्र की दुहाई देकर जो ये सरकार आयी है वह सरकार राम, रोटी और इन्साफ क्या देगी । क्या यही इनका राम, रोटी और इन्साफ है । माननीय कल्याण सिंह जी ने मुख्य मंत्री की हैसियत से यह कहा था कि मैं अपने को सफल तब समझूंगा जब महिलायें इस देश में और इस प्रदेश में सिनेमा हाल से अपने घरों को अकेले जायें और उन पर कोई उंगली न उठाये । आज इतनी बड़ी और गम्भीर घटना हो गयी और उसको इतने हल्के ढंग से लिया जा रहा है । आज मानवता सिसक रही है नौगढ़, जो आज जनपद सिद्धार्थनगर में है, जब बलात्कार हुआ था, उस समय आपने क्या कहा था । सम्भवतः यह आप को याद होगा । मैं उसको बताकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९७९ में जनता पार्टी की सरकार थी और बनारसी दास जी मुख्य मंत्री थे तब नारायणपुर काण्ड हुआ था । उसी काण्ड पर जनता पार्टी की सरकार बरखास्त हुई थी । मान्यवर, यह परम्परायें हैं इनको हल्के ढंग से आप न लें । मान्यवर, तीन जगह की पुलिस गयी, बर्बरतापूर्वक व्यवहार वहां किया गया, २८ तारीख को उनके घर घेरे गये । पूरा गांव घेरा गया और उन्हें वहां रोके रखा गया, उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, मेडिकल इक्जामिनेशन नहीं होता है । इससे बड़ी शर्मनाक बात भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में और कोई हो नहीं सकती, महिलाओं के ऊपर इस तरह का कलंकित काम हो और सरकार आज दुहाई दे कि ऐसी बात नहीं है यह घटना गलत है । अगर मान्यवर, घटना गलत है तो क्यों नहीं सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी ? अगर आपका दामन साफ था तो उसी दिन न्यायिक जांच की घोषणा कर दनी चाहिए थी जिस दिन महिलाओं ने बयान दिये लेकिन आपने वैसा कुछ नहीं किया । कुछ लाइन हाजिर

कर दिये गये, लाइन हाजिर कौन सी सजा है ? सी० आर० पी० सी०, आई० पी० सी० में दे दिया लाइन हाजिर सजा है ? इतनी बड़ी घटना हो जाय आप पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करायें और उनको जेल न भेजें तो फिर क्या होगा ?

मान्यवर, दण्ड देने की बात न्यायालय करेगा लेकिन जो शासन का काम है शासन ने वह उत्तरदायित्व का निर्वहन क्या किया, कदाचित् नहीं किया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को इतने आसान ढंग से और इतने ओछे ढंग से न लें । यह मामला बहुत ही भयावह है और आपकी सरकार के लिए कलंक है और इससे बड़ा कलंक इस सरकार के लिए कोई हो ही नहीं सकता है । इस सदन में पुलिस के उच्छृंखलता पूर्ण व्यवहार की बात करते हैं पुलिस की ज्यादती की बात करते हैं विधायकों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस की ज्यादतियों की बात करते हैं तब आप उसे बड़े हल्के ढंग से लेते हैं, आप पुलिस की पीठ थपथपा देते हैं । प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता है प्रजातंत्र की अपनी मान्यतायें हैं । मैं आपका संरक्षण मान्यवर, चाहूंगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि हमारी तीन मांगें हैं पहली कि न्यायिक जांच की घोषणा की जाय वह भी मुख्य मंत्री जी करें, दूसरे जो दोषी पुलिस कर्मी हैं उन्हें जेल भेजा जाय और उनके खिलाफ सी० आर० पी० सी०, आई० पी० सी० में मुकदमा कायम किया जाय । तीसरे जो डकैती हुई है लूट हुई है उस परिवार के साथ उनको उचित मुआवजा उनके नुकसान के अनुसार तत्काल दिलाया जाय , यह मेरी मांग है । मान्यवर, इस तरह की घटनाओं पर अगर रोक नहीं लगेगी तो इसका अन्त कहीं नहीं होने वाला है । आज मैं कहना चाहता हूं कि आपने भयमुक्त समाज की बात की और कहा कि आज भयमुक्त समाज नहीं रह गया है । आज उसका इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं रह गया है । आज समाज को आप बलात रूप से दबाना चाहते हैं उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं यह प्रजातंत्र का गला मत घोटिये । आज आप संसदीय परिपाटियों को मानते हुए, इन मर्यादाओं का आचरण करते हुए, आप इस सदन में कोई बयान नहीं देंगे, जब तक मुख्य मंत्री जी यहां नहीं आयेंगे तब तक सदन की आगे की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को बुलाये जाने पर एवं संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर घोर व्यवधान के मध्य श्री स्वामी नाथ यादव, श्रीमती शारदा देवी सदन के फ्लोर पर आ गये । सदन के फ्लोर पर आकर श्रीमती शारदा देवी ने संसदीय कार्य मंत्री की मेज पर जाकर उन्हें चूड़ी दीं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि [xxx])

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । यदि आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को नहीं सुना तो नियम-३११ और ५६ के अंतर्गत जो भी पहले वक्ता से अंतिम वक्ता तक ने कहा है उसे मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा । आप लोग कृपया बैठ जायें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दें ।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यगण तब भी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं । उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा ।

(इसके बाद २ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही २ बज कर ३३ मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । २ बज कर ३३ मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने स्थगन का समय ३ बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है । ३ बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन के स्थगन का समय ३ बजकर ३० मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

३ बजकर ३० मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि सदन के स्थगन का समय ४ बजे तक के लिये और बढ़ा दिया गया है।)

(४ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में, सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री।

श्री स्वामी नाथ यादव–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है। माननीय सदस्य स्वामी नाथ यादव जो कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मा० अध्यक्ष महोदय, एक बड़े गम्भीर विषय पर .....

(घोर व्यवधान, कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री स्वामी नाथ यादव–

लिखा जाये या नहीं, सदन चले या न चले। (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी बयान दें, यह तय हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। सदन चले या नहीं, यह कहना उचित नहीं है। (व्यवधान) कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप लोग उत्तेजना का वातावरण पैदा न करें। संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

हम संसदीय कार्य मंत्री की बात नहीं सुनना चाहते हैं।

(श्री सूर्य प्रताप शाही, गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

[x x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें। नियम ३११ और ५६ की सूचनायें प्राप्त हुई थीं उसमें गृह राज्य मंत्री पर भी माननीय सदस्य ने आरोप लगाये थे। संसदीय कार्य मंत्री आप शासन का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं या गृह राज्य मंत्री को आमंत्रित करूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री सूर्य प्रताप शाही जी अपनी बात रख दें तो अच्छा होगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, इस सदन की बड़ी ही उच्च मर्यादा रही है। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे कि जहां उन्हें कहने का अधिकार है वहीं धैर्य के साथ तथ्यों को भी सुनने के लिये उन्हें तैयार रहना चाहिए। मुझे अफसोस है और व्यक्तिगत रूप से इस बात का दुख है कि इस गरिमापूर्ण सदन के भीतर जिस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़कर यहां प्रस्तुत किया जा रहा है वह ठीक नहीं है और एक छोटी सी घटना जिसको तिल से ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं .....(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी नाथ यादव–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री लाल जी वर्मा–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

बिना मेरी अनुमति के कुछ भी कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जब उधर से बोला जा रहा था और मेरे ऊपर आरोप लगाये जा रहे थे । अब जब में इस घटना की सत्यता बताना चाहता हूं तो बोलनें नहीं दे रहे हैं । मान्यवर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । ऐसी स्थिति में मैं नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं से चाहता हूं कि इस सदन में जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता रहा है तो उसकी सुनवाई की भी एक परम्परा रही है । मेरे ऊपर सदन में जिस तरह से आरोप लगाये गये हैं मैं उनकी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान) (कई मा० सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कुछ समय पूर्व इस सदन में अनेक प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाये गये हैं । मैं घटना के तथ्यों पर तो नहीं जाना चाहता लेकिन कुछ चीजों को जरूर साफ करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का, किसी भी घटना में, कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरा लेशमात्र संरक्षण है न सहायता । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के नाम लिये गये यथा सर्वश्री हरद्वार राय और श्री प्रभु नाथ शाही, इन दोनों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और इस बात की चुनौती भी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में कहीं भी किसी भी कोने में मेरी रिश्तेदारी हो जायेगी तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

इनके रिश्तेदार हैं ।.....

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जाइये । शाही जी अपनी बात कह रहे हैं । इनकी बात सुन लीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पैं श्री हरद्वार राय को भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख के रुप मे जानता हूं । वे प्रमुख कांग्रेस आई से थे और इस समय वह कांग्रेस आई के सदस्य हैं । कांग्रेस आई के श्री प्रकाश चौबे ने लिखित रुप से बयान दिया है कि वहां कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है । यह क्या सफाई दे रहे हैं .?

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात पहले कह चुके हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह जो मैंने कहा है, यह मेरा अपना बयान नहीं है । श्री प्रकाश चौबे जो इसी चुनाव में मेरे खिलाफ लड़े थे, उनका बयान है । उन्होंने कहा है उस क्षेत्र में कोई बलात्कार नहीं हुआ और इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है । राजनैतिक तूल दिये जाने के लिए और मेरे जैसे साफ-सुथरे इंसान की छवि और इस सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिये अनाप-शनाप कहा जा रहा है ।

(व्यवधान)

जब यह लोग बोल रहे थे तो मैं धैर्य पूर्वक सुन रहा था । इनमें सच्चाई को सुनने का साहस नहीं है इसलिये शोर किया जा रहा है । लोकतंत्र के भीतर, जम्हूरियत के भीतर यह मान्यता रही है कि न्याय के अन्तर्गत आरोप लगाये जाएं, जो सुनने में बधायें पैदा न की जाएं ।

(व्यवधान)

मुझे दुख इस बात का है कि इतनी गम्भीर घटना को इतना तूल देकर रखने की कोशिश की गई ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

आप तो यह कह रहे थे कि छोटी सी घटना है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

इनका सन्तुलन खराब हो गया है इनको अस्पताल में भर्ती करा दें ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यहां, कहा गया कि उस दरोगा का स्थानान्तरण मैंने रोक दिया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, तथ्यों को छिपाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह कहा गया कि संबंधित दरोगा का स्थानान्तरण मैंने रोक दिया है । मैं बताना नहीं चाहता हूं कि दरोगा का स्थानान्तरण कैसे रोका गया । इस बात को माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं ।

(व्यवधान)

वह दरोगा न तो मेरा रिश्तेदार है और न संबंधी है । इसमें जांच होगी विवेचना होगी अगर दरोगा दोषी पाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में दरोगा को बख्शेगी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मैं मान्यवर, केवल एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं मंत्री जी यह बता दें कि किसके कहने पर स्थानान्तरण रोका गया ?

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सदन की मर्यादा है अगर खुलवायेंगे तो दुखी हो जायेंगे । जिस तरीके से यह बात कही गई २७/२८ की रात की घटना माननीय सदस्यों ने बताई है । २९ तारीख को देवरिया कचहरी में प्रदर्शन होता है । जो माननीय सदस्य यहां बोले हैं उनके नेतृत्व में होता है ए० डी० एम० मौजूद रहते हैं । बलात्कार की घटना का विवरण ए० डी० एम० को नहीं दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री लालूजी वर्मा–

मान्यवर, [x x x] इतना जघन्य बलात्कार हुआ है और यह सरकार [xxx] पर अमादा है । इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप कृपया बैठें ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अनशन किया गया था । वहां पर दर्ख्वास्त दी गई है इनके अधिकारी दर्ख्वास्त छिपा रहे हैं तो हम क्या करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, वहां प्रत्यावेदन दिया गया था प्रत्यावेदन की बात छिपा रहे हैं ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, जागरुक नागरिक होने के नाते और इस माननीय सदन का सदस्य होने के नाते, यदि कहीं सरकार की लापरवाही थी, कहीं सरकार की ओर से अनदेखी हो रही थी, यदि कहीं पर मैलाफाइडी इटेंशन, दुर्भावना से ग्रस्त वातावरण था, यदि उस जगह पर मैं होता तो प्रदर्शन कराने की जगह पर पहले मैंने जिला अस्पताल में उन महिलाओं का इलाज कराया होता । (शोर) मैंने वहां पर ले जाकर उनका मेडिकल कराया होता । वह जीप पर लाद कर गोरखपुर पहुंचायी जाती हैं, प्रेस में घुमायी जाती हैं । गोरखपुर मेडिकल कालेज है, लेकिन क्या इस बात की नैतिकता और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मेडिकल कालेज में भर्ती कराते और इलाज कराते ।

एक आवाज–

किस बात का इलाज कराते ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिस बात को आप कह रहे हैं । मान्यवर, माननीय सदस्य की ओर से कहा गया कि २७/२८ की रात को यह घटना हुई, ये कहते हैं [xxx] और ३-३ घंटे बलात्कार हुआ । यदि ऐसी हालत हुई होती तो प्रदर्शन के लायक कोई महिला नहीं रह जाती । मुझे दुख है, मेरे क्षेत्र के सम्मान के साथ, मेरे क्षेत्र की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है । मेरे क्षेत्र की जनता की इज्जत और प्रतिष्ठा गिराये जाने की कोशिश की गयी है । लोकतंत्र में, उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं कर सकती, यह मेरा कहना है । एक महिला की अस्मिता और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है इस तरह की आजादी लेकतंत्र में नहीं है । लोकतंत्र की मर्यादायें हैं, प्रतिष्ठा है । लोकतंत्र की सीमा तोड़कर यदि कोई बात अतिरिक्त ढ़ग से पेश की जाय तो याह लोकतंत्र की मर्यादा को घटाना है । यह लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं उसकी मर्यादा को तोड़ रहे हैं । लोकतांत्रिक अधिकारों को हास्यास्पद बनाये जाने की साजिश हो रही है । सरकार को बदनाम करने, सरकार पर कीचड़ उछाल्ने की कोशिश की जा रही है । मैं समझ्ता हूं कि यह बड़ी दुखद स्थिति है कि इस तरीके के आरोप लगाये जा रहे हैं । जो माननीय सदस्यगण बैठे हुये हैं वह कभी इस सदन में मंत्री भी रहें हैं । उन्होंने भी सरकार चलायी है, वह मर्यादा को जानते हैं, सीमायें जानते हैं, कोई बात जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिये । मैं इतना ही निवेदन करूंगा, सारे जो व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर लगाये गॅये हैं मैं उनका खंडन करता हूं ।

[समय-४ बजकर २० मिनट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बड़े विस्तार के साथ इस घटना के बारे में माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं की बात हमने सुनी । मैं किसी विवाद में न जाते हुए केवल कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक सम्मानित मित्र ने ग्राह्यता पर बोलते हुए कहा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां गये, मैं समझ्न पाया कि उनको वहां पहुंचने में और बहिनों से मिलने में कोई बाधा हुई,

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमें जो जानकारी मिली है, भिन्न है, जानकारी यह है कि सभा हुई, जनता में आक्रोश है, यह सही है, काले झंडे दिखाये गये, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी जानकारी हम करायेंगे और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायगी । मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा । एक बिन्दु उठाया गया कि मामला ८६ का है और अब कुर्की क्यों हो रही है । मैं बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय सदस्यों के सामने तथ्य रखना चाहता हूं ।

वस्तुस्थिति यह है कि १९८६ में वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षक थे नागेन्द्र राव । उन्होंने धारा ३२३/५०४/५०६ भा० द० वि० के अन्तर्गत उन अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर असंज्ञेय अपराध दर्ज हुआ था । उस मामले पर न्यायालय द्वारा ११-२-९२ को अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था । इसमें विवेचना में मुकदमा नम्बर ९९२/९०१ इसी मुकदमें में अभियुक्तों के विरुद्ध ११-२-९२ को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था । इसी मामले में वारंट तामील करने के लिये पुलिसकर्मी वहां गये । मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ । जानकारी मिली कि वारंट काटा गया और उसके बाद कुर्की के आदेश दिये गये । यह उस ८६ की घटना का संदर्भ है । जो मेरी जानकारी है, कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जो विधि के खिलाफ हो । कुर्की के आदेश २७-२८ तारीख को हुए । वहां पर शिकायत यह है कि कुर्की करने में आवश्यकता से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और दूसरे बहनों के साथ वह व्यवहार किया गया जो बड़ा बर्बरतापूर्ण था । अब दोनों बातों में प्राग्दर्शन में देखना होगा, जांच कराने की बात, माननीय मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं, उनके आदेशों का पालन करूंगा, मैं केवल वस्तुस्थिति सामने रखना चाहता हूं ताकि सारे पहलू सामने आ जायं । बल प्रयोग की जहां तक जानकारी है, आप भी मंत्री रहे हैं, हमें तत्काल तथ्यों की जानकारी मिलनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी० आई० डी० चेक के लिये एस० पी० को भेजा । जिलाधिकारी ने एस० डी० एम० को भेजा । दो राज्य मंत्रियों को काम सौंपा गया कि वहां जाकर तथ्यों को लेकर आएं । आप एक आरोप लगा सकते हैं कि आपके राज्य मंत्री शाही का मामला था, बयान गलत हो सकता है । मैं तर्क से कोई बात कह सकता हूं लेकिन एस० डी० एम० की रिपोर्ट सामने है । जिलाधिकारी स्वयं मौके पर गये और डाक्टरों की टीम को लेकर गये, लेकिन उन्होंने मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया ।

कुंवर देवती रमण सिंह–

किस तारीख को टीम लेकर गये ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिलाधिकारी देवरिया स्वयं महिला डाक्टरों की टीम लेकर ४-३-९२ को गये । जब एस० डी० एम० की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ, तो जिलाधिकारी स्वयं पहुंच गये, अब उसके बाद मान्यवर, यह सब जानकारी मिल गयी, अब एक बात यह सही है कि प्रदर्शन हुआ, श्री अनिल ने एक आवेदन-पत्र दिया, अभी माननीय सदस्य ने बहुत ठीक बात कही, जब प्रदर्शन करने गये, तो हमने लिखकर दिया, उसको छिपा लिया गया,.....

(व्यवधान)

जब श्री अनिल ने दरख्वास्त दिया, हमने उस दरख्वास्त को एफ० आई०आर० के रूप में परिणित करा दिया, उसकी जांच हो रही है, आज अगर आप कोई चीज लिख कर देंगे, हम उस एफ० आई० आर० के साथ उसको नत्थी कर देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सी० आई० डी० चेक-अप करवाया गया है, उसकी रिपोर्ट तो आ गयी होगी ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक आवेदन-पत्र दिया गया, उसमें भी बलात्कार की बात कहीं नहीं कही गयी है, अब आप कोई चीज लिख कर देना चाहेंगे, तो उसको हम जांच के लिए भेज देंगे।

(व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय–

चारों औरतों की दरख्वास्त भी साथ में थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक सदस्य ने एक बात कही थी कि दरख्वास्त दी गयी थी, लेकिन वह छिपा ली गयी।

(व्यवधान)

मान्यवर, ये लिख कर दे देंगे, तो उसको भी हम एफ० आई० आर० के साथ नत्थी कर देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सी० आई० डी० की चेक-अप रिपोर्ट तो आपके पास आ गयी होगी ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सी० आई० डी० चेक-अप की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

सी० ओ०, भटनी श्री प्रीतम सिंह की रिपोर्ट आपके पास हो, तो उसे पढ़कर सुना दें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर कोई अधिकारी है, मर्यादा के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ जरूर से जरूर कार्यवाही होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अखिलेश–

आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां पर ऐसी घटना हुई है । उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाना चाहिये और उनको निलम्बित हो जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जांच से बलात्कार एवं लूट-पाट की पुष्टि पड़ोसियों एवं महिलाओं द्वारा नहीं की गयी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

महिलाओं ने क्या कहा, इसको पूरा पढ़ दें, काहें को शरमा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

निष्कर्ष सुन लें । मैं विवाद में नहीं जाता, इस सदन में क्या-क्या कहा गया है, उसके बारे में शासन का पक्ष भी तो आना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं मान्यवर, पूरा पढ़ दें । यह ज्यादती है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपरेटिव पोरशन कोई जजमेंट नहीं होता, मान्यवर एक घटना हुई । महिलाओं ने जो प्रीतम सिंह, सी० ओ० भटनी के सामने अपना बयान दिया है । प्रीतम सिंह की पूरी रिपोर्ट पढ़ दें । क्योंकि जो तथ्य हैं वह सभी के सामने आ जायेंगे । महिलाओं के साथ बलात्कार की बात है, और अगर नहीं है तो आप पूरी रिपोर्ट पढ़ दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी को पढ़ने में दिक्कत हो, तो आप उस रिपोर्ट को ले लें और पढ़ दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या उसको यह पढ़ने से रोक देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसके जांच अधिकारी कोई सी० ओ० भटनी होते हैं । उनके सामने कुछ लोगों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और आरोप लगाया । उन्होंने उनके बारे में कुछ प्रमाण मांगे होंगे और कुछ नहीं मांगे होंगे, कुछ प्रस्तुत हुये होंगे और कुछ प्रस्तुत नहीं हुये होंगे । उनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाले होंगे, तो वह उनकी

रिपोर्ट हुई । अमुक व्यक्ति ने यह कहा और अमुक व्यक्ति ने वह कहा, तो इस सभी का उसमें उल्लेख होगा, लेकिन जो अंतिम अंश है, वही तो रिपोर्ट हुआ और उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, महिलाओं ने क्या कहा है कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, इतना विवाद है । यह कहा जा रहा है कि महिलाओं ने कहा कि बलात्कार हुंआ । संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार चुनौती दे रहे हैं । मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, कि संसदीय कार्य मंत्री जी सिर्फ निष्कर्ष न पढ़ें, पूरी रिपोर्ट पढ़ दें । सी० ओ० भटनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि महिलाओं ने बलात्कार की बात कही है । पूरी बात भी रख दें और निष्कर्ष भी पढ़ दें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी रिपोर्ट जरूर पढ़ दें । यह कागज अब सदन का अंग बन गया है, अगर वह न पढ़ सके तो आप उसे मंगवा लें और पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष–

जो अंतिम पैराग्राफ है .....

श्री प्रमोद तिवारी–

यह मान्यवर नहीं । यह गलत है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये कोई तर्क तो दिये ही होंगे, तो आप पूरा ब्योरा पढ़ दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो एजेन्सी जांच करेगी, वह यह भी जांच करेगी कि श्री प्रीतम सिंह ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वह किन तथ्यों पर आधारित हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम लोग गम्भीरता से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुन रहे थे । वह केवल निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट को पढ़ दें । प्रीतम सिंह के सामने महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ बलात्कार किया गया है और यह उनकी रिपोर्ट में है भी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दोनों पक्षों को रख दें । यह तर्क संसदीय कार्य मंत्री जी की जिद है कि वह निष्कर्ष ही पढ़ना चाहते हैं । दुविधा क्या है, दुविधा तो यही है कि महिलाओं ने उनके सामने बलात्कार की बात कही है । अगर उनका बयान आया है, तो उसी को एफ० आई० आर० क्यों न मान लिया जाये ? यह तो दफा १६१ का अंश हो गया, साक्ष्य हो गया है और इसको किसी प्रकार से छिपाया नहीं जा सकता है और यह कोई राष्ट्रीय हित की भी बात नहीं है, तो आप उसको क्यों छिपाने की बात कर रहे हैं जांच अधिकारी के सामने दिया गया बयान १६१ का बयान हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

निष्कर्ष वाला जो पैराग्राफ है उससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि उस जांच अधिकारी के सामने आरोप क्या थे ? पहले निष्कर्ष वाला पैराग्राफ पढ़ लें उसके बाद किसी की आवश्यकता होगी तो देखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिये कि जांच और विवेचना में अंतर होता है । जांच आई० ओ० करता है । मान्यवर, ४ लोगों का जिक्र किया गया तो मैं बता दूं कि उनका अपराधिक इतिहास है और बहुत बड़ा अपराधिक इतिहास है । (शोर) तो यह मैंने पूरे तथ्य रखे जिससे दोनों तरफ की बात सामने आ गयी हैं ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा लगातार एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री स्वामी नाथ यादव–

शाही जी, आपको भी देख लूंगा, आप आ जाइये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, पिटवाने की धमकी दी है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं, इस प्रकरण में बहुत कुछ बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक ऐसे मुद्दे आते हैं और विपक्ष के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, करना चाहिए इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इस सदन में पूरी-पूरी जानकारी करने के बाद तथ्यों पर आधारित बात कहनी चाहिये । ऐसे संवेदनशील मुद्दों में नारी समाज की अस्मिता के लिए सम्मान प्रमुख स्थान रखता है । ऐसे मसलों पर इस प्रकार से कुछ बातें आ जायं जिससे समूचे नारी समाज के सम्मान को ठेस पहुंचती हो तो मेरी अपनी दृष्टि में, आप सहमत हों या न हों, उचित नहीं है । इस प्रकार के मुद्दे को कभी भी दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिये, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि किसने क्या कहा है ? मैं यह भी इस अवसर पर आवश्यक नहीं समझ रहा हूं कि मैं यह कहूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो शाही जी के खिलाफ लड़े थे उनके बयान क्या हैं या सजपा के नेता का बयान क्या है ?

उनके बयानों में क्या उलट फेर है, वह चीजें सब सामने आ गयी हैं । यह सभी को सुनने के बाद मैं निवेदन करुंगा ऐसे मुद्दों पर बहुत गहराई से ही चिन्तन मनन करके हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिये । चाहे सत्ता पा हो चाहे विपक्ष हो, हम उनके मन में कोई भ्रम नहीं रहने देना चाहते हैं, इसलिये घटना के ब्योरे में जाने के बजाय मैं यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ कहा गया है, आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं और भी कुछ तथ्य आपके पास हों, तो हमें सबकी जांच कमिश्नर के द्वारा करा लेंगे और जो दोषी होगा उसका विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुझे उम्मीद यह भी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और इस सदन की कुछ मान्य परम्परायें हैं और उन परम्पराओं को मानते हुये जो सदन की भावना है, उस भावना के अनुरूप आज सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि जिस तरह से पूर्व में नौगढ़ वाले मामले में और नारायणपुर वाले मामले में न्यायिक जांच हुई थी उसी तरह इसमें भी वह न्यायिक जांच की घोषणा करेंगे । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कमिश्नर या कलेक्टर या एस०डी०एम० में क्या फर्क होता है यह मुझे समझ में नहीं आता है । इसमें एक तरफ तो आप कहते हैं कि नारी की अस्मिता और उसके सम्मान के विरुद्ध कोई बात नहीं कही जानी चाहिए । उन महिलाओं से मैं मिला हूं, वह महिलाएं फूट-फूट कर रो रही थी.....

(व्यवधान)..... वह मेरे दफ्तर में आयीं हैं (व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम–

उस दरोगा का स्थानान्तरण तो आपने ही रुकवाया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी, यह आपकी पार्टी महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखती है यह प्रदर्शित करती हैं (व्यवधान) लेकिन मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस होता है आज आप इन महिलाओं का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं । मुझे हैरत होती है कि आपके अन्दर इन्सानियत बाकी बची है या नहीं । आप किस तरह की बात करते हो और उन गरीब परिवार की महिलाओं के लिए किस तरह का मजाक उड़ाते हो और कहते हो कि बलात्कार नहीं हुआ है । किसी महिला के साथ कोई बलात्कार न हुआ हो और वह यह कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है यह बात मेरे समझ से किसी भी समझदार व्यक्ति के सोच से परे है ।.....

मान्यवर, इस गंभीर प्रकरण पर मेरी तीन मांग थी, सी०ओ० की रिपोर्ट भट्टी की माननीय संसदीय मंत्री ने नहीं पढ़ी, उसका निष्कर्ष पढ़ा । एक तरफ यह कहते रहे कि बलात्कार की बात कही नहीं है, एक तरफ जब रिपोर्ट पढ़ने का आग्रह किया तो केवल निष्कर्ष की बात इन्होंने पढ़ दी पूरी रिपोर्ट की विवेचना इन्होंने नहीं सुनायी इससे यह मामला और गंभीर हो जाता है । मान्यवर, अगर आप किसी को नहीं बचाना चाहते हैं, किसी को संरक्षण नहीं देना चाहते हैं तो क्यों नहीं न्यायिक जांच की बात मानते हो, परम्पराओं की बात आप बहुत करते हो, परम्पराओं की बात करके ही तो वहां से यहां आ गये । और जब परम्पराओं की याद दिला रहे हैं तो कह रहे हैं कि कमिश्नर से जांच करायेंगे । कमिश्नर क्या होता है, कमिश्नर की क्या हैसियत होती है, यह मैं भी जानता हूं मुझे अकिंचन को भी सौभाग्य प्राप्त

हुआ है उधर बैठने का, मैं जानता हूं कि कमिश्नर की स्थिति क्या होती है कोई निष्पक्ष जांच करने में। अगर आपके मन में कोई दुविधा नहीं है बचाने की बात नहीं है तो फिर क्यों नहीं न्यायिक जांच की बात करते हैं ?

एक सदस्य–

सी०ओ० आपका हो सकता है कमिश्नर नहीं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

सी०ओ० मेरा, डी०एम० मेरा, कमिश्नर मेरा तो फिर शासन में आप क्यों बैठे हुए हो, सभी मेरे अधिकारी हैं। मैंने ही सब अधिकारियों की पोस्टिंग करायी। मैं ही कह रहा हूं कि सभी अधिकारियों को जेल भेज दो। मेरे कहने पर पोस्टिंग कर दोगे लेकिन जब कह रहा हूं कि जेल भेज दो तो जेल भेजने की बात नहीं करते हो आप, निष्पक्ष जांच की बात आप नहीं करते हो। मैं मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी से, आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनायें, नारी के सम्मान की बात जो आपने कही है, अगर वह सम्मान रखना चाहते हैं तो न्यायिक जांच की घोषणा आप आज इसी वक्त सदन में करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही.....

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल ने सबकी ओर से कह दिया।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद तिवारी–

एक मंत्री [xxx] उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि बलात्कार की घटना नहीं हुई है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जब मंत्री स्वयं उन को अपराधी घोषित नहीं करेगा तो कमिश्नर की जांच का क्या औचित्य रह जाता है ? दूसरी बात सी०ओ० की रिपोर्ट जिस वक्त संसदीय कार्य मंत्री ने पढ़ी उसका निष्कर्ष ही पढ़ना चाहा, पूरी रिपोर्ट को छिपाना चाहा। मान्यवर, सरकार अगर महिलाओं की इज्जत को बचाना चाहती है, उनको प्रोत्साहन देना चाहती है तो जिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई है मान्यवर उन महिलाओं को इस सम्मानित सदन में बुलायें और महिलाओं का बयान ले लें और अगर बयान नहीं लेते हैं तो एक काम करिये न्यायिक जांच की घोषणा कर दीजिए। न्यायिक जांच की घोषणा में अगर महिलाओं का गलत बयान निकले तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। अगर न्यायिक जांच नहीं होती है तो मेरा आरोप है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है अपराधियों को संरक्षण दे रही है इस सरकार को नैतिकता के आधार पर एक मिनट भी इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

नोट:--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

श्री हरद्वार राय कांग्रेसी नेता हैं, आपके ही कांग्रेस के हैं, कुछ तो सही बात बोलिये, वहां इस तरह के आरोपों को गलत बताया जा रहा है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब न्यायिक जांच की बात होती है तो आप मुकर जाते हैं । न्यायिक जांच की घोषणा कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम ३११ के अन्तर्गत जो यह देवरिया की सूचना है, मैं इन्हें स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं समझता, यह सूचना निरस्त हो रही है । अब ३११ की अगली सूचना लेता हूं ।

[घोर व्यवधान के मध्य श्री स्वामी नाथ यादव, श्री हरिवंश सहाय व अन्य जनता दल (ब) के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर वापस जायें, अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे कि [xxx]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं दूसरी सूचना जो कि श्री लाल जी वर्मा की प्रदेश के अधिकांश विभागों के अवर अभियन्ताओं के हड़ताल पर चले जाने के सम्बन्ध में है, को लेता हूं ।

(श्री लाल जी वर्मा का नाम पुकारे जाने पर व उनके इस विषय पर न बोलने पर)

मैं इनकी सूचना को निरस्त करता हूं । अब मैं तीसरी सूचना जो कि श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है, को लेता हूं ।

(श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा विशम्भर प्रसाद निषाद का नाम पुकारे जाने पर व उनके इस विषय पर नहीं बोलने पर)

मैं इनकी सूचना को भी निरस्त करता हूं । अब मैं चौथी सूचना जो कि श्री सोमांश प्रकाश तथा श्री विजय पाल सिंह तोमर जी की उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं में हड़ताल के कारण न्यायालयों के बन्द होने के सम्बन्ध में है, को लेता हूं ।

(श्री सोमांश प्रकाश तथा श्री विजय पाल सिंह तोमर का नाम पुकारे जाने पर व उनके इस विषय पर नहीं बोलने पर)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

मैं इनकी भी सूचना को निरस्त करता हूं।

अब मैं नियम–३०० के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को लेता हूं। इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की दूसरी सूचना श्री राम लखन, श्री बी०आर० वर्मा, श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद की, तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की, तथा चौथी सूचना श्री लाल जी वर्मा की है, व पांचवीं सूचना श्री बी०आर० वर्मा की प्राप्त हुई, जो कि नियम–३०० की परिधि में नहीं आती है अतः इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ६ मार्च, १९९२ को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ फरवरी, १९९२ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ फरवरी, १९९२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ मार्च, १९९२ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९९२ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ फरवरी, १९९२ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ फरवरी, १९९२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ मार्च, १९९२ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९९२ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१–९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१–१९९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २६ फरवरी, १९९२ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २७ फरवरी, १९९२ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३ मार्च, १९९२ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९९२ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण

श्री अध्यक्ष–

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उप धारा (२) के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

१–नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, २७ मार्च, १९९२ को अपराह्न ४.०० बजे तक
२–नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शनिवार, २६ मार्च, १९९२ को अपराह्न ३.०० बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
३–नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	मंगलवार, ३१ मार्च, १९९२ को अपराह्न ४.०० बजे तक
४–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	मंगलवार, ७ अप्रैल, १९९२ को विधान पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में पूर्वाह्न १०.३० बजे से अपराह्न ४.०० बजे तक होगा ।

उक्त निर्वाचन आनुपातीय प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९९२†

वित्त, संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९९२ †

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक ९-३-१९९२ को नियम-५६ के अन्तर्गत कुल १३ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से निदेश संख्या–१५ के अनुसार निम्नलिखित १० सूचनाएं चयनित की गयीं।

नोटः–† उ० प्र० सरकार के दिनांक ११ मार्च, १९९२ के असाधारण गजट के, विधायी परिशिष्ट के भाग ३ के खण्ड (क) में प्रकाशित है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी व अन्य की, जो उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के संबंध में है, को इस निदेश के साथ कि इस सूचना को कल भी लिया जा सकता है । दूसरी सूचना श्री विजय सिंह राणा व अन्य की जनपद आगरा में पीने के पानी की कमी के संबंध मे हैं तीसरी सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में, चौथी श्री राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी में सामूहिक लूटपाट आदि के संबंध में तथा पांचवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित व अन्य की जनघद सीतापुर की पुलिस द्वारा हरिजन विधायक के परिवारजनों को फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने के संबंध में है । इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं ।

(रिपोर्टर्स टेबिल पर लगे माइकों को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने तोड़ दिया, जिससे घोर व्यवधान के मध्य कुछ सुनाई नहीं दिया । कुछ सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे और साथ ही नारे लगाने लगे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-१६ पर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करना चाहेंगे । या दूसरे माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्तावक के रूप में अपना नाम दिया है, वह संकल्प प्रस्तुत करना चाहेंगे ।

(किसी भी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-१७ पर श्री ऊदल जी आप अपना संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहेंगे ।

(श्री ऊदल जी के खड़े न होने पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २ से खण्ड ४ तक, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१–(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९९२ कहा जायेगा ।

(२) यह ३० सितम्बर, १९९१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३ सन् १९७७ की धारा २ का संशोधन

२–उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "३० सितम्बर, १९९१" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "३० सितम्बर, १९९२" रख दिये जायेंगे ।

धारा ३ का संशोधन,

३–मूल अधिनियम की धारा ३ में, शब्द और अंक "३० सितम्बर, १९९१" के स्थान पर शब्द और अंक "३० सितम्बर, १९९२" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३८ सन् १९९१

निरसन और अपवाद

४–(१) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से खण्ड ४ तक, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या—१९ पर माननीय सदस्य संकल्प का प्रस्ताव रखना चाहेंगे ।

(किसी भी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २ व खण्ड ३, खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक धन (दियों की वसूली) (संशोधन) विधेयक १९९२

उत्तर प्रदेश लोक धन (दियों की वसूली) अधिनियम, १९७२ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकधन (दियों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९९२ कहा जायेगा ।

(२) यह दिनांक ९ अक्तूबर, १९९१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३ सन् १९७२ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश लोक धन (दियों की वसूली) अधिनियम, १९७२ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में, उपधारा (१) में, शब्द "निगम का अध्यक्ष, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो" के पश्चात् शब्द "अथवा निगम या सरकारी कम्पनी का ऐसा अधिकारी, जिसे प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष द्वारा इस निर्मित्त प्राधिकृत किया जाय" बढ़ा दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३९ सन् १९९१ निरसन और अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश लोक धन (दियों की वसूली) संशोधन) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारायथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ व खण्ड ३, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और पारित हुआ)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक ९ मार्च, १९९२ को नियम–५१ के अंतर्गत कुल ८ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें से पहली सूचना श्री विजय सिंह राणा व श्री विजय पाल सिंह जी की है । इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं । दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जी की है । इसे मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भाटपार रानी जनपद देवरिया के छात्रों के विधान भवन के समक्ष धरना व आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अंतर्गत मा० मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–२३ व २४ को पढ़ा हुआ माना जाय ।

(वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[वर्ष १९८१ तक प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा क्षेत्र में उक्त प्रकार की अनेक निजी संस्थाओं के संचालन पर कोई रोक नहीं थी । यह संस्थाएं निजी प्रबन्ध में संचालित थी वर्ष १९८२ में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९८२ अधिनियमित करके उक्त प्रकार की निजी संस्थाओं के संचालन पर अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत रोक लगा दी गई है । इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा शिक्षा पद्धति के गुणात्मक स्तर में सुधार लाया जाय और वे संस्थायें जो धन कमाने के उद्देश्य से निम्न स्तरों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही थी, उन पर अंकुश लगाया जाय । अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत दण्ड की भी व्यवस्था है । इसके अनुसार किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसे कारावास की सजा ३ वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना जो २ हजार रुपये तक हर्जाना हो सकता है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

२–उपरोक्त के बावजूद उक्त संस्था सहित कतिपय निजी सस्थायें जैसे परशुराम पुरिया आयुर्वेदिक महाविद्यालय खेतासराय जौनपुर/सुहागपुर, धामपुर, बिजनौर इत्यादि अभी भी चल रही है । इस प्रकार की लगभग १६ निजी संस्थाएं आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, सुहागपुर, धामपुर द्वारा संचालित हैं और वर्षानुवर्ष मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर छात्रों का दाखिला लिया जाता रहा है । इनमें कुछ संस्थाओं द्वारा शासन से मान्यता प्रदान किये जाने अथवा अधिग्रहण किये जाने की मांग गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से की जाती रही/की जा रही है । पिछले दिनों एक ऐसी संस्था (परशुरामपरिया) के संबंध में प्रबल मांग उठने पर शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त संस्था की मांग को अस्वीकार किया गया है ।

३–जहां तक मालवीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया का प्रश्न है यह संस्था १९७४ से पठन-पाठन का कार्य कर रही है और मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ कर रखा है । इस संस्था द्वारा गैर कानूनी रूप से छात्रों का प्रवेश/पठन-पाठन कार्य किया जा रहा है । इस संस्था का निरीक्षण भी दिनांक १७-८-९० को एक पैनल, जिसमें उप निदेशक यूनानी अध्यक्ष, प्रोफेसर द्रव्य गुण विभाग राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ सदस्य तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ सदस्य रहे हैं, द्वारा कराया गया था । पैनल रिपोर्ट के अनुसार उक्त संस्था के पास जो भूमि भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास, निर्माणशाला, उपकरण आदि उपलब्ध हैं को यह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुरूप नहीं हैं । इस संस्था को मान्यता प्रदान किये जाने की मांग को अस्वीकार किया जा चुका है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया द्वारा प्रारम्भ किया गया पठन-पाठन का कार्य गैरकानूनी है ।]

आगरा मण्डी समिति में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अंतर्गत मा० कृषि मंत्री का वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

[१–मा० विधायक ने जिन १२ मार्गों का उल्लेख अपनी सूचना में किया है उनमें,–

(क) निम्नलिखित ८ मार्गों की स्वीकृति मण्डी परिषद के पत्रांक संख्या- १७९३ दिनांक २०-७-९१ द्वारा दी गयी है :–

(१) कलाल खेडिया कबीस मार्ग से सुल्तानपुर तक,

(२) बिसेरी मांड से स्लामपुर तक,

(३) जउपुरा सें मोहम्मदपुर तक,

(४) शमशाबाद रोड से कहरई कोलक्खा होकर देवरी मार्ग,

(५) कलाल खेडिया कबीस मार्ग से एलादपुर मदरा,

(६) बरोलीगूजर से महरा नाहरगंज,

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(७) बिचपुरी स्टेशन से बिचपुरी गांव तक,

(८) फतेहाबाद मार्ग से बमरौली कटरा जल निगम की टंकी ।

(ख) निम्नलिखित चार मार्गो की स्वीकृति स्तम्भ-१ में मा० विधायक द्वारा उल्लिखित नामों के स्थान पर स्तम्भ-११ में दिये नामों से परिषद् पत्रांकः १७९३ दिनांक २०-७-९१ द्वारा दी गयी है :–

स्तम्भ–१	स्तम्भ–२
१–बमरौली कटरा श्यामों मार्ग से गढ़ी कलाल खेडिया ।	१–बमरौली कटरा श्याम मार्ग से गढ़ी बृन्दावन झारपुरा होकर फतेहाबाद मार्ग तक ।
२–राजमार्ग नं० ३ से पचगाई हकीमपुरा होकर सलेमाबाद तक ।	२–रा० मा०-३ से पट्टी पचगाई हकीमपुरा होकर सलेमाबाद मार्ग ।
३–फैजाबाद मार्ग भटपुरा ।	३–फतिहाबाद मार्ग से भटपुरा ।
४–अकोला मार्ग से नगला श्याम ।	४–भौरी अकोला मार्ग से नगला श्याम ।

२–उपरोक्त १२ मार्गो की परिषद द्वारा इससे पूर्व कोई स्वीकृत दिनांक २-७-९१ को या अन्य कभी नहीं दी गयी थी ।

३–इन बारहों मार्गो में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि चल रहा है ।

४–श्री गुरूचरन सिंह वाधवाल की मण्डी समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नवम्बर, १९९१ में हुयी थी, उसके पश्चात् परिषद द्वारा उपरोक्त मार्ग के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी है । अतः उनके द्वारा फर्जी सड़कों की स्वीकृति कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

५–कलाल खेडिया कबीस मार्ग पर मिट्टी स्तर तक का कोई कार्य मण्डी परिषद द्वारा नहीं किया गया । यह मार्ग लगभग १४ किलोमीटर लम्बा है, जिसमें केवल चार किलोमीटर पर लेपन स्तर तक का कार्य मण्डी परिषद द्वारा किया गया था । जिसकी स्वीकृति नगला सेवला से कबीस मार्ग के नाम से परिषद पत्रांकः ३७६१, दिनांक २९-६-८९ द्वारा दी गयी थी । यह कार्य पूरा हो चुका है ।

६–इलाहाबाद रोड के तेहरा नाम के किसी मार्ग पर परिषद द्वारा अभी तक न तो किसी कार्य की स्वीकृति दी गयी है न ही कोई कार्य किया गया है, किन्तु इरादतनगर से बिसरा होकर बहेता तक चार किलोमीटर मार्ग की स्वीकृति परिषद पत्रांक : ६९० दिनांक १८-७-९० तथा उसके पश्चात् अतिरिक्त १.२० किलोमीटर बढ़ी हुई लम्बाई की स्वीकृति परिषद पत्रांक १८४३, दिनांक २७-७-९१ द्वारा दी गयी थी । यह स्वीकृतियां लेपन स्तर के लिये ही थी, जो समस्त कार्य पूरा हो चुका है ।

७–ककुआ कबूलपुर मार्ग के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि इस पर अलग-अलग भागों के लिये तीन बार में स्वीकृति दी गयी और तदनुसार कार्य किया गया । पहले चरण में ग्वालियर रोड से कबूलपुर नाम से परिषद पत्रांक ३७६१ दिनांक २९-६-८९ द्वारा तीन किलोमीटर की, दूसरे चरण में, "ककुआ कबूलपुर मार्ग को ६०० मीटर बढ़ाकर लगला ककरारी तक बढ़ाये जाने" के नाम से ६०० मीटर लम्बाई की स्वीकृति परिषद पत्रांक ६९१, दिनांक १८-७-९० द्वारा तथा तीसरे चरण में "ककुआ कबूलपुर बढ़ा हुआ" नाम से २७० मीटर लम्बाई की स्वीकृति " परिषद पत्रांक १८४३, दिनांक २७-७-९१ द्वारा दी

गयी थी । यह तीनों स्वीकृति लेपन स्तर तक कार्यों की थी, जो पूरे हो चुके हैं । इस प्रकार इन कार्यों की उपराक्त के अतिरिक्त कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

८–मनखेडा से रामनगर पिनाली की स्थिति इस प्रकार है कि इस पर भी स्वीकृति अलग-अलग भागों के लिये स्वीकृति दो बार में दी गयी है । पहले परिषद पत्रांक ३७६१, दिनांक २९-६-८९ द्वारा "मनकैण्डा से रामनगर पिनाली" नाम से चार किलोमीटर लम्बाई के लिये और इस परिषद पत्रांक १८४३, दिनांक २७-७-९१ द्वारा "मनकैण्डा से राम नगर पिनाली" की १.५० किलोमीटर बढ़ी हुयी अतिरिक्त लम्बाई के लिये स्वीकृतियां दी गयी है । इस मार्ग के लिये दो स्वीकृतियों के अलावा अन्य कोई स्वीकृतियां १९९० में अन्य कभी नहीं दी गई । इस मार्ग के लिये इन दो स्वीकृतियों के अलावा अन्य कोई स्वीकृतियां १९९० में या अन्य कभी नहीं दी गई । यह कार्य लेपन स्तर तक स्वीकृत किया गया है, जो अभी अपूर्ण है ।

९–शमशाबाद श्यामे मार्ग की ४५० मीटर लम्बाई तथा ग्वालियर रोड से रमपुरा १.५५ किलोमीटर के निर्माण का प्रस्ताव मण्डी समिति आगरा ने दिनांक ११-२-९२ को अपने स्तर पर पारित किया है, परन्तु वह प्रस्ताव अभी तक न तो क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर परीक्षण हेतु और न ही परिषद् स्तर पर स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब तक क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षण नहीं होता और परिषद् स्तर से स्वीकृति नहीं दी जाती है, कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, न उसके लिये कोई धन दिया जा सकता है । अतः जब तक परीक्षण होकर स्वीकृति न हो जाय, तब तक समिति के मात्र प्रस्ताव करने भर से समिति के धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता है ।

१०–फतेहाबाद रोड के करीब बमरौली कटरा से श्यामू स० मार्ग पर कोई कार्य मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है, बल्कि बमरौली कटरा श्यामू मार्ग के गढ़ी वृन्दावन झरपुरा होकर फतेहाबाद मार्ग पर लेपन स्तार का निर्माण की स्वीकृति परिषद् पत्रांक १७९३, दिनांक २०-७-९१ के द्वारा २.० और उसके आगे १.७० कि०मी० और लम्बाई बढ़ाये जाने की स्वीकृति लेपन स्तर तक परिषद् पत्रांक १०४ दिनांक १४-१-९२ द्वारा प्रदान की गयी है । निर्माण कार्य प्रगति में है । इस प्रकार अनियमित कार्य नहीं हुआ है ।

इस प्रकार मा० विधायक द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप निराधार हैं ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, [x x x] इस तरह से आप सदन की कार्यवाही चला रहे हैं । न्यायायिक जांच की घोषणा नहीं हो रही है । इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी व इनके दल के अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

राजकीय अस्पतालों में मेडिकल लैब केमिस्ट सम्वर्ग के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामीनाथ यादव द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन ।

जनपद उन्नाव में ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित विकास कार्यों में शिथिलता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन ।

अजुध्या डिस्टिलरी बिलारी, जनपद मुरादाबाद में गैस रिसाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या २५,२६ व मद संख्या २७ को स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न ११.०० बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

९ मार्च, १९९२

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

अतारांकित प्रश्न संख्या-८४ के उत्तर का संलग्नक चयनित अभ्यर्थियों के नाम व पंजीकरण संख्या

(देखिये अता० प्र० सं० ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४ पर)

जनपद--पौड़ी	पंजीकरण संख्या
१--श्री प्रेम सिंह	१७२६/८७
२--श्री केदार सिंह	१७७९/८६
३--श्री धीरज सिंह	१२४/८५
४--श्री गुमान सिंह	२४२३/९०
५--श्री सोहन सिंह	४११/८६
६--श्री उत्तम सिंह	१०६/८९
७--श्री सुरेन्द्र सिंह	६४१/८९
८--श्री उमेश चन्द्र	१३७४/८३
९--श्री गणेश प्रसाद	१८३६/८८
१०--श्री संग्राम सिंह	२५८६/८८
११--श्री ज्योतिष चन्द्र	१६६२/९०
१२--श्री उत्तम सिंह	१७५३/८९
१३--श्री सुमन चन्द्र	१८३९/८९
१४--श्री कुशल पाल सिंह	७६/८८
१५--श्री विनोद सिंह	१८८/८८
१६--श्री झब्बर सिंह	११४२/८३
१७--श्री राम चन्द्र सिंह	१८७/८९
१८--श्री सतीशानन्द्र	२३५३/८८
१९--श्री रवीन्द्र सिंह	२१४३/८८
२०--श्री रणजीत लाल	१५५/८५
२१--श्री देव सिंह	२५५९/८९
२२--श्री मिजाज अली	१९८५/८५
२३--श्री मदन सिंह	६८१/८७
जनपद--टिहरी	
२४--श्री बीरेन्द्र प्रसाद	१०१/८९
२५--श्री बलबीर सिंह	२५८८/८७
२६--श्री मंगल सिंह	२०७८/९८
२७--श्री बिजय पाल सिंह	५६३०/९०
२८--श्री जवाहर सिंह	२०२२/९०
२९--श्रीमती देवेश्वरी	१२७८/९०
३०--श्री महिपाल सिंह	२४८८/९०
३१--श्री ओम प्रकाश	४०८/९१
३२--श्री भागवत सिंह	५४४/९०
३३--श्री रिषिराम	४७२७/९०
३४--श्री हीरामणी	२५५४/८९
३५--श्री प्रेम लाल	१३८१/८९
३६--श्रीमती सुरेशी देवी	१०३/८९
३७--श्री लाखीराम	२९३७/९०
३८--श्री प्रताप सिंह	४०७७/९०
३९--श्री मुरलीधर प्रसाद	१३१३/८४

जनपद--चमोली	पंजीकरण संख्या
४०--श्री भारत सिंह	२३५७/८६
४१--श्री शीतल सिंह	४९५/९०
४२--श्री महावीर सिंह	६९/९८
४३--श्रीमती जानकी	३६७/९०
४४--श्रीमती मजूं देवी	२४/८९
४५--श्री रेवती बल्लभ	२५१५/९०
४६--श्री संग्राम सिंह	२६७६/९०
४७--श्री सुरेन्द्र सिंह	२४४३/९०
४८--श्रीमती माधुरी	४९८/८९
जनपद--उत्तरकाशी	
४९--श्री नन्द किशोर	५९३/८६
५०--श्रीमती उर्मिला	१९०/९१
५१--श्री जगत सिंह	१३१/८९
५२--श्रीमती सोवती देवी	२९२/९०
५३--श्रीमती शान्ति	२०/९१
५४--श्री रामनारायण	२१८/९०
५५--श्री भरत सिंह	१०४६/८९
५६--श्री जय कृष्ण	९५२/८७
५७--श्री रमेश लाल	९५९/८९
५८--श्री चन्द्र लाल	१००९/८५
५९--श्री सूरबीर लाल	१७५०/९८
जनपद--देहरादून	
६०--श्री रमेश चन्द्र	६०२७/८८
६१--श्री बीरेन्द्र सिंह	४३१/९१
६२--श्रीमती सुलोचना	३८१/८८
६३--श्री बलबीर सिंह	३२०४/८७
६४--कु० सुधा	३८४/९१

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० ९६ का उत्तर पिछे पृष्ठ ६९ पर)

वर्ष १९९० तथा ३१ अगस्त, १९९१ तक संस्थान मुख्यालय पर कराये गये मुद्रण कार्य का विवरण ।

क्रम सं०	अवधि	फर्म का नाम जिसे आपूर्ति आदेश दिये गये	भुगतान
१	जनवरी, १९९०	–	
२	फरवरी, १९९०		
३	मार्च, १९९०	मे० सी० जी० "एण्ड कम्पनी"	५,४१०.००
		मे० यूनीक प्रिन्टिग प्रेस	२,४३०.००
		मे० सी० जी० को प्रिटर्स	७८०.००
४	अप्रैल/मई, १९९०	मे० यूनीक प्रिन्टिग प्रेस	७,२७९.२०
५	जून, १९९०	मे० नवजीत प्रिन्टर्स	१६,१२५.००
६	जुलाई, १९९०	मे० यूनीक प्रिन्टिग प्रेस	१४,८८२.००
७	अगस्त, १९९०	–	–
८	सितम्बर, १९९०	मे० यूनीक प्रिन्टिग प्रेस	२,८००.००
९	अक्टूबर, १९९०	–	–
१०	नवम्बर, १९९०	मे० नवनीत प्रिन्टर्स	३०,५००.००
११	दिसम्बर, १९९०	मे० यूनीक प्रिंटिग प्रेस	१,३३५.००
१२	जनवरी, १९९१	तदैव	१,४५०.००
		मे० नवनीत प्रिन्टर्स	७५०.००
१३	फरवरी, १९९१	मे० रोहिताश्व प्रिन्टर्स	४,०२५.००
		मे० यूनीक प्रिन्टिग प्रेस	१४,५५०.००
१४	मार्च, १९९१	तदैव	१७,४३०.००
१५	अप्रैल, १९९१	मे० नवनीत प्रिन्टिग प्रेस	३२,०५०.००
१६	मई, १९९१	तदैव	६,०००.००
१७	जून, १९९१	मे० यूनीक प्रिन्टिग प्रेस	७,६००.००
१८	जुलाई, १९९१		
१९	अगस्त, १९९१		

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४–७५ पर)

क्रम सं०	विकास खंड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई	प्रस्तावित कार्य किमी०	प्रस्तावित कार्य पुलिया	पूर्ण कार्य किमी०	पूर्ण कार्य पुलिया	व्यय की धनराशि (रु० लाखों में)	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	खन्दौली	कुरसन्डा माइनर से नहराटेल	३.८०	३.८०	–	३.३०	–	१.६७५	
२	खन्दौली	छलेसर सगुढ़ा मार्ग	१.९०	१.९०	४	१.९०	४	१.६०६	
३	खन्दौली	पैसई से चोपड़ा मार्ग	१.५५	१.५५	२	०.८०	१	०.३०३	
४	एत्मादपुर	सिंहोरगढ़ से चूहरपुर	२.२५	२.२५	६	२.२५	५	१.८७६	
५	एत्मादपुर	चावली माइनर बुर्जगंगो मार्ग	१.०५	१.०५	३	०.९०	३	०.८५६	
६	एत्मादपुर	आगरा एत्मादपुर से नवलपुर	२.०१	२.०१	४	२.०१	४	१.५६	
		योग :–	१२.५६	१२.५६	१९	११.१६	[illegible]	७.८७६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७–७८ पर)

माननीय श्री चन्द्रभान मौर्य द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्न संख्या–११९ से संबंधित मरम्मत एवं शुद्धीकरण के कार्यों की सूची ।

क्रम सं०	वि० ख० का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई	प्रस्तावित कार्य मरम्मत (किमी०में)	पूर्ण मरम्मत कार्य (किमी० में)	वर्ष ९०-९१ में व्यय की गई धनराशि
१	२	३	४	५	६	७
१	एत्मादपुर	जमाल नगर से भैंस	३.२०	३.२०	३.२०	२५५६०.००
२	,,	एत्मादपुर से पवारी	३.८०	३.८०	३.८०	३०३६०.००
३	,,	बरहन से कुरगवां अहू	३.८०	३.८०	३.८०	३०३००.००
४	खन्दौली	नगला वेल मार्ग	०.९०	०.९०	०.९०	७१८०.००
५	,,	एत्मादपुर खन्दौली से अगवार	१.००	१.००	१.००	७५४०.००
६	,,	हाथरस से मलपुरा मार्ग	२.००	२.००	२.००	१६८००.००
७	,,	मूलपुर से हाजीपुर खेंडा गिजौली मार्ग	३.००	३.००	३.००	२४०००.००
८	,,	आगरा अलीगढ़ से खेड़िया	२.००	१.००	१.००	७९२०.००
९	,,	पैसई से इरनानाला मार्ग	०.८४	०.८४	०.८४	७९४०.००
१०	,,	पैसई से रुपधन मार्ग	२.००	२.००	२.००	१५९२०.००
११	,,	वास मोहन सहाय से सकतपुरा	१.६५	१.६५	१.६५	१६३६०.००
१२	,,	टेढ़ी बगिया से धौरऊ मार्ग	२.००	२.००	२.००	१५३६०.००
		योग :–	२६.१९	२५.१९	२५.१९	२,०५,२४०.००

प्रमाणित सही

160 7961 Part 6 अंक 8

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० १६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

विद्यालय– मोतीलाल विद्या मंदिर इन्टर कालेज, मालीपुर, फैजाबाद

<u>विज्ञापन की प्रतिलिपि</u>

समाचार पत्र का नाम–दैनिक जनमोर्चा प्रकाशन स्थल–बजाजा, फैजाबाद

प्रकाशन की तिथि – २८ सितम्बर, १९९०

आवश्यकता है

एक तदर्थ हिन्दी प्रवक्ता की/इच्छुक अभ्यर्थी १०-१०-९० तक आवेदन करें तथा १३-१०-९० को १२ बजे दिन में साक्षात्कार हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित निजी व्यय से विद्यालय में उपस्थित हों।

प्रबन्धक,
मोतीलाल विद्यामंदिर इन्टर कालेज,
मालीपुर, फैजाबाद।

उत्तर प्रदेश राजपत्र

पी० एस० यू० पी०–एल० ११४ विधान सभा–(१९१)–१९९३–५७२। (डी० टी० पी०)